खण्ड-281, अंक-2
सोमवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(16 मार्च, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२१–१२५
प्रश्नोत्तर	१२५–१५९
सदन के आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना (जारी)	१६०
अधिष्ठाता मंडल के लिये ४ सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में सूचना ..	१६०
सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	१६०–१६१
विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	१६१–१६३
इलाहाबाद में नक्सलपंथियों द्वारा खलियान लूटने व खेत जलाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१६३–१६५
फतेहगढ़ के व्यापारियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१६५–१६६
इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१६६–१६७
बुलन्दशहर तथा शाहजहांपुर जिलों में उपलवृष्टि से तथा आजमगढ़ जिले में उपलवृष्टि व झुलसा रोग से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१६७–१७३
बहराइच जिले के गौरा पिपरा तथा कड़ा गांवों में बाढ़-पीड़ितों के झोपड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाथियों से रौंदवाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१७३–१७६
श्री रामचन्द्र आजाद द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में सूचना	१७६
उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	१७६
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१७६
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१७७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (जारी)	१७७–२१०
विभिन्न विषयो के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	२१०–२१२
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (जारी)	२१२–२१५
नत्थियां	२१६–२२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७७

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चचल सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगावार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनरायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलूसिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री

रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव , श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति, 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)

श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुकम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ मार्च, १९७०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

ब्लाक प्रमुखों का चुनाव

*१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक ४ अगस्त, १९६९ ई० को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्नों के क्रम में क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन नामों के रह जाने का उत्तरदायित्व किस पर है और इसके लिये शासन ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

इस संबंध में यह कहना है कि निर्वाचक नामावलियों में नाम रह जाने के सामान्य कारण होते हैं। यथा निर्वाचक जो मत देने योग्य होते हैं वे अपना नाम शामिल कराने के लिये प्रयत्न नहीं करते हैं। इसके लिये किसी कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति के संबंध में यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो आवश्यक कार्यवाही कर ली जाती है।

श्री इन्द्रलाल---

दिनांक ४ अगस्त, १९६९ को इसी सदन में जब यह उत्तर दिया गया था कि २०० से अधिक निर्वाचक क्षेत्रों की नामावलियां शासन द्वारा प्रकाशित नहीं हो पायी थीं, तो आज माननीय मंत्री जी किस आधार पर कह रहे है कि इसमें विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ?

श्री बलवीर सिंह---

कायदा यह है कि जब सूची छापी जाती है तो उसको तहसील में या इलेक्शन आफिस में रख दिया जाता है और लोगों को सूचना दे दी जाती है कि वे आकर देख लें और जिनके नाम नहीं हों वे लिख कर दे दें । बाद को उनके नाम भी बढ़ा दिये जाते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

उनका तो कहना यह है कि नामावलियां प्रकाशित ही नहीं की गयीं, तब देखने का सवाल ही कहां उठता है। तो प्रकाशित न करने के कारण जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह---

इसके लिये कि छापी नहीं गयीं मुझे जानकारी नहीं है, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, ४ अगस्त, १९६९ को माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया था उसमें यह कहा था कि २०० निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियां प्रकाशित नहीं की गयीं। आज मन्त्री जी कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री बलवीरसिंह---

मैं इसकी जानकारी करा लूंगा और जानकारी कराने के बाद यदि ऐसा पाया गया कि प्रकाशित नहीं की गयी थीं तो उस संबंध में जो कार्यवाही उचित होगी वह अवश्य की जायगी।

श्री छांगुर---

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने बयान दिया कि नियमावली न आने का सामान्य कारण है, उसमें कोई विशेष कारण नहीं है और यह भी बताया कि जो बालिग हैं वे अपना सम्पर्क इसके लिए अधिकारियों से कायम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ शिकायत यह है कि निर्वाचक अपना नाम दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देते हैं, अपनी शिकायतें वहां पर देते हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब दरख्वास्त दी जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर कौन सा तरीका निर्वाचक अपनावें जिससे उसका नाम आ सके, और शिकायतें दूर हो सकें ?

श्री बलवीर सिंह---

अगर ऐसा कोई केस मुझे बताया जाएगा जिसमें ऐसा हुआ होगा कि दरख्वास्त दी गई किन्तु नाम नहीं चढ़ाया गया तो मैं उनकी जानकारी करूंगा।

श्री इन्द्रलाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी यह व्यवस्था चाहूंगा कि ४ अगस्त, १९६९ को एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि नाम रह गये और सदन में यह उत्तर दिया गया कि मध्यावधि चुनाव के समय पर यह देखा गया कि समय की कमी के कारण २०० से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की नामावली प्रकाशित नहीं हो पायी है, तो मैंने यह प्रश्न किया था कि जहां सरकारी कर्मचारियों द्वारा यह डिफाल्ट हुआ है, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलवीरसिंह---

इस पर नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

पहले मंत्री जी ने बताया था कि २०० क्षेत्रों के नाम प्रकाशित होने से रह गये थे, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तब से अब तक कितने निर्वाचन क्षेत्रों की नामावली प्रकाशित हो गई हैं और कितनों की बाकी हैं ? और उसका क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह---

इस पर तो मैंने कहा कि मैं इसका पता लगाऊंगा कि कितने बाकी हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं आप की एक व्यवस्था चाहता हूं, एक प्रश्न ४ अगस्त को हुआ है उस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट आ गया कि २०० स्थानों की नामावली प्रकाशित नहीं हुई है और उस पर अब यदि यह उत्तर दिया जाए कि नोटिस की आवश्यकता है तो श्रीमन्, नोटिस की परिभाषा क्या है ? इस तरह प्रश्न टालना ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कहा इस समय सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह प्रश्न उसी प्रश्न के क्रम में था, फिर भी उनके पास सूचना नहीं है आप इस पर वक्त दीजिए ।

[१६ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री कृष्ण मुरारी सहाय, संयुक्त निदेशक, आई० टी० आई०, का प्रत्यावर्तन

*१---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिछले दिनों करप्शन के आरोप में श्री के० एम० सहाय, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, आई० टी० आई० को उनके पद से हटाकर उनको आई० टी० आई०, मेरठ का प्रिंसपल बना दिया गया है ? यदि ऐसा है तो क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि किस कारण से यह कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

श्री कृष्ण मुरारी सहाय जो दिनांक ५ जनवरी, १९६७ से संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय) लखनऊ का कार्य स्थानापन्न रूप से देख रहे थे, का प्रत्यावर्तन, प्रधानाचार्य, आई० टी० आई०, मेरठ के पद पर इसलिये किया गया कि तत्कालीन श्रम मंत्री जी ने उनके कार्य को संतोषजनक नहीं पाया ।

श्री मंजूर अहमद---

क्या मन्त्री जी को इस बात का सन्तोष है कि उनके खिलाफ कोई इल्जामात इसके अलावा नहीं है, जिसके लिये उनको हटा दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

भूतपूर्व श्रम मन्त्री जी को उनकी शिकायत मिली थी कि यह ट्रांसफर के मामलों में रिश्वत लेते हैं । इसके अलावा उनके खिलाफ और भी व्यक्तियों ने शिकायत की थी और जब उनका निरीक्षण किया, तो जो सामग्री वहां पर केन्द्र में थी, उसका ठीक से रख-रखाव नहीं

पाया गया, वहां पर स्टाक रजिस्टर ठीक से मेन्टेन नहीं किया जाता था और सामान धूप में पड़ा हुआ था, इसके अलावा उन्होंने जो उत्तर दिया उसको मंत्री जी ने सन्तोषजनक नहीं पाया था इसलिए उनका तबादला करके उनको रिवर्ट कर दिया गया।

श्री मंजूर अहमद--

क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आई० टी० आई० में करोड़ों रुपये की मशीनें फालतू खरीद ली गई थीं, इसलिए उनको उनके पद से हटाया गया ? आपको इसकी जानकारी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, इस प्रकार की न लिखित शिकायत किसी माननीय सदस्य या किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी है न सरकार को जानकारी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि उक्त अधिकारी को कोई चार्जशीट दी गयी ? यदि दी गयी, तो क्या दी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

चार्जशीट जहां तक मेरी जानकारी है नहीं दी गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले अधिवेशन में इस सदन में यह सवाल उठाया गया था और श्री मंजूर अहमद ने ही उठाया था, ज्वाइंट डाइरेक्टर ने जरूरत से ज्यादा मशीनों के खरीद-फरोख्त कर डाली थी और जो उत्तर आया था उससे यह भी साबित हुआ कि जो बाजार भाव था उससे ज्यादा कीमत पर मशीनें खरीदी गयीं। अब मंत्री जी कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है। इस तरह का जवाब नहीं आना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका जवाब दिलवा दीजिये कि क्या इसी कारण ऐसा नहीं हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने जो उत्तर दिया है मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी के आधार पर है जब भूतपूर्व श्रम मन्त्री उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तब उनको रिवर्ट किया गया और तबादला किया गया। इससे अधिक, अगला प्रश्न है, उस सिलसिले में मैं जानकारी आप को दूंगा।

आई० टी० आई०, मेरठ द्वारा सामान की खरीद

*२--श्री मंजूर अहमद--

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि आई० टी० आई०, मेरठ में सन् १९६७-६८ व १९६८-६९ में लोकल पर्चेज से क्या-क्या मेटीरियल लिया गया और इस मेटीरियल को बेचने के लिये किस फर्म ने अपना-अपना रेट दिया तथा उनमें सबसे कम रेट किसका था और मेटीरियल किस फर्म से लिया गया और यह फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(मूल उत्तर के आगे) अगर माननीय सदस्य कुछ पूछेंगे तो इस सिलसिले में मैं उनके अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कुछ सूचना उपलब्ध है लेकिन पूर्ण सूचना जितनी मांगी थी वह उपलब्ध नहीं है। अगर इस पर भी आप पूछेंगे तो उत्तर दूंगा। अगर मुकम्मल चाहेंगे तो कुछ समय आपसे चाहूंगा।

श्री मंजूर अहमद--

मुकम्मल सूचना कब तक आप दे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो १४ दिन बाद आता है, लेकिन जब सदन बैठे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अगले दिन जब भी हो, दे दूंगा।

*३--श्री राम गोपाल सण्ड--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सहायक बिक्री-कर अधिकारी एवं सहायक वृत्ति-कर अधिकारी के पदों पर सचिवालय के सहायक

*४--श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय से जो सहायक बिक्री कर विभाग में सहायक बिक्री-कर अधिकारी एवं सहायक वृत्ति-कर अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर गये हैं उनके बिक्री-कर विभाग में स्थायीकरण के बारे में सरकार कौन से पग उठा रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

सचिवालय के सहायकों को सहायक बिक्री-कर अधिकारी तथा सहायक वृत्ति-कर अधिकारी के पदों पर स्थायीकरण करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि सचिवालय के कितने सहायक इस विभाग के अन्दर भेजे गये हैं और उनमें कितने दस वर्ष से ज्यादा इस विभाग में काम कर रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह--

१९६६ तथा उसके पश्चात् सचिवालय के कुल ४५ सहायक बिक्री-कर विभाग में भेजे गये। उनमें से ३२ सहायक वृत्ति-कर अधिकारी के रूप में लगाए गए और १३ सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पद पर।

श्री रामगोपाल सण्ड--

उनमें से कितने सहायक ऐसे हैं, जो पिछले दस वर्ष से इस पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी नहीं किया गया ?

श्री बलवीर सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या वित्त मंत्री बताएगें कि इन अधिकारियों को जो डेपुटेशन पर गये हैं, कब तक स्थायी करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह---
विचाराधीन है, बताया गया ।

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशें

*५---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो अभी हाल में सदस्यों को वितरित की गई है उनमें से कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार ने अस्वीकार की हैं ?

श्री बलबीर सिंह---

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने राज्य से संबंधित अनेक पहलुओं के विषय में संस्तुतियां की थीं । उनकी अनेक सिफारिशें स्वीकार करके कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं । अंतिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं ।

स्टेट लाटरी से आय तथा व्यय

*६---श्री मोहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट लाटरी के पिछले ड्रा से कितना लाभ सरकार को हुआ तथा इस लाभ का प्रयोग किन कार्यों के लिये किया जायगा और जिला बदायूं को इस धन में से कितना धन दिया जायगा ?

श्री बलबीर सिंह---

लाटरी के पिछले ड्रा में ३३,४३,८६७ टिकट बिके और २५,९६,००० रुपये की आमदनी हुई है लेकिन आय-व्यय के सभी आंकड़े अभी न आने के कारण शुद्ध आय का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है लेकिन अनुमान है कि शुद्ध आय लगभग १० लाख रुपये होगी ।

पहले चार ड्रा की शुद्ध आय रु० १,१६,३४,७४४ और २३ पैसे की है । इस शुद्ध आय को जिले के राजकीय चिकित्सालयों की उन्नति एवं आरक्षण के लिये तथा अपंग और अपाहिज व्यक्तियों की सहायतार्थ प्रयोग किया जायगा । चौथे ड्रा तक जितनी आय हुई है उसका ५० प्रतिशत जिलों के चिकित्सालयों की उन्नति एवं आरक्षण के लिये, उत्तर प्रदेश चिकित्सालय निधि को संक्रमित कर दिया गया है । बदायूं के लिये ६३,४४४ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है ।

५वें व ६ठें ड्रा के हिसाब बनने पर बदायूं जिले को भी उसके टिकटों की बिक्री के आधार पर अतिरिक्त धन मिल जायगा ।

जवही तथा शिवपुर दीयर गांवों की स्थिति

*७---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में ग्राम जबही और शिवपुर दीयर नामक गांव, बलिया बिहार की सीमा पर स्थित है और दोनों मौजों की स्थिति माल और फौजदारी क्षेत्राधिकार के अनुसार सामान्य है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

ग्राम जबही तथा ग्राम शिवपुर दीयर बलिया-बिहार की सीमा पर स्थित है । धार धुरा नियम के अनुसार इस समय ग्राम जबही पूर्ण रूप से तथा ग्राम शिवपुर दीयर का अधिकांश भाग बिहार राज्य के अन्तर्गत है और वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्रों पर माल और फौजदारी का अधिकार बिहार शासन का है ।

*८--श्री शम्भूनाथ चौधरी (अनुपस्थित)--

यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त जबही गांव में गांव पंचायत और गांव सभा की स्थापना हो गई है किन्तु उक्त शिवपुर दीयर गांव में गांव पंचायत और गांव सभा की स्थापना नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक स्थापना होगी ?

श्री शिवराज सिंह--

जबही और शिवपुर दीयर दोनों गांवों में गांव सभाएं एवं गांव पंचायतें स्थापित की गई थीं । जिलाधिकारी, बलिया की संस्तुति के आधार पर गांव शिवपुर दीयर का अधिकांश भाग बिहार में चले जाने से वहां की गांव सभा निदेशक, पंचायत राज द्वारा २५ मई, १९६८ से समाप्त कर दी गई है परन्तु गांव सभा जबही अब भी बनी हुई है । हाल में निदेशक, पंचायत राज, को जिलाधिकारी से सूचना मिली है कि जबही गांव पूर्ण रूप से बिहार में चला गया है इसलिये वहां की गांव सभा समाप्त करने की कार्यवाही निदेशक, पंचायत राज द्वारा की जा रही है ।

*९--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१०--११--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

पंचायत मन्त्रियों की मांगें

*१२--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत मंत्रियों द्वारा इस समय कोई आन्दोलन चल रहा है ? क्या इन मंत्रियों ने अपनी संस्था की ओर से मंत्री महोदय को कोई आवेदन-पत्र दे रखा है ? यदि हां, तो सरकार इन मांगों पर क्या विचार कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह--

जी नहीं ।

जी हां । पंचायत मंत्रियों का वेतन क्रम ५०-७५ को पुनरीक्षित करके अब रु० ७५--११५ कर दिया गया है । इनकी अन्य मांगों को वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है ।

श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पंचायत मंत्रियों की प्रमुख मांगें क्या है ?

श्री शिवराज सिंह--

पंचायत राज मंत्रियों की ६ प्रमुख मांगें थीं--

(१) पंचायत राज मंत्रियों का वेतन क्रम १२०-२०० कर दिया जाय ।

(२) पंचायत मंत्रियों को स्थायी घोषित कर दिया जाय ।

(३) पंचायत मंत्रियों की सेवाएं स्थायी की जायं ।

(४) राज्य कर्मचारियों के साथ पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि की सुविधा इनको भी दी जाय ।

(५) सहायक विकास अधिकारी पंचायत के शतप्रतिशत पदों को उन्हीं के पदोन्नति द्वारा भरा जाय ।

(६) पंचायत विभाग को एक अलग विभाग घोषित किया जाय। उक्त मांगों के अतिरिक्त उनकी यह भी मांग रही है कि उनके बढ़े हुए वेतन तथा महंगाई भत्ते का लाभ २० प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से न देकर सबको एक साथ दिया जाय। महंगाई भत्ते को पूरा शासन अपने पास से दे।

श्री रामगोपाल सण्ड—

यह विभाग २२ साल से चल रहा है। मंत्री जी ने बताया कि उनकी अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है। तो जो २०, २२ वर्ष से काम कर रहे हैं उनको कब तक स्थायी किया जायगा।

श्री शिवराज सिंह—

मैंने न तो मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और न अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह पुनरीक्षण, वेतन बढ़ाने का कब हुआ और क्या उसको लागू कर दिया गया है? और यदि नहीं, तो कब लागू किया जायगा ?

श्री शिवराज सिंह—

यह पुनरीक्षण, चालू वित्तीय वर्ष के बजट में हुआ कि २० प्रतिशत मंत्रियों का वेतन-क्रम बढ़ी हुई दर से दिया जाय। अगले वर्ष के लिये यह फैसला लिया गया कि सभी मंत्रियों को बढ़ी हुई दर से दिया जाय, साथ ही उनका महंगाई भत्ता जो साढ़े बारह प्रतिमास था उसको बढ़ाकर साढ़े ३७ प्रतिमास दिया जाय।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

छठी मांग को तो वित्तीय कारण से स्वीकार सरकार नहीं कर सकती किन्तु जो ५ मांगें हैं उन पर सरकार विचार करके उनको पूरा करने की कोशिश करेगी ?

श्री शिवराज सिंह—

उनको भी स्वीकार करने में सरकार को कठिनाई है। मैं उन कारणों को भी बतला सकता हूं किन्तु थोड़ा समय लगेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो उनकी ६, ७ मांगें हैं इनकी स्थिति क्या है, क्या किसी एक मांग पर भी सरकार विचार नहीं कर रही है और अगर नहीं कर रही है तो वह किसी नतीजे पर पहुंची है ?

श्री शिवराज सिंह—

जहां तक पहली मांग का संबंध है उसके संबंध में फैसला लिया गया और पुनरीक्षण के पश्चात् उनके वेतनक्रम को बढ़ा दिया गया, उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया।

जहां तक दूसरी मांग है कि पंचायत राज मंत्रियों को स्थायी घोषित किया जाय, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालीन व्यवस्था) विधेयक को प्रस्तुत करते समय उनके उद्देश्य में मैंने यह निवेदन किया था कि ये जो पंचायत और गांव सभा की इकाई हैं जो ७, ८ वर्ष से काम कर रही हैं ये कहां तक सफल हुई हैं सरकार को इस संबंध में विचार करना है और यह तय करना है कि पंचायत मंत्रियों के क्या फन्क्शन होंगे। अभी यह सरकार तय नहीं कर पाई है। इसलिये मंत्रियों को स्थायी करने का प्रश्न निश्चय नहीं किया जा सकता। जहां तक पंचायत मंत्रियों की सेवाओं को स्थायी किये जाने का प्रश्न है वह भी इसमें आ जाता है। तीसरी जो मांग है कि पंचायत मंत्रियों की सेवाओं को भी राजकीय कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन और ग्रेच्यूटी आदि सुविधाएं दी जाएं और उनको स्थायी राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाय। मैं सदन को याद दिलाऊंगा कि बलवन्त राय मेहता

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार किया था। हमने तीन इकाइयां गांव पंचायतें, क्षेत्र समितियां और जिला परिषदों का निर्माण किया था उस अधिनियम के माध्यम से और उनको कुछ अधिकार भी दिये थे लेकिन अगर इनको राजकीय कर्मचारी घोषित कर दें तो यह सरकार के विकेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त के विपरीत होगा। इसलिये उसे मानने में कठिनाई है। पांचवीं मांग है कि पंचायत मंत्रियों के सब पदों को ए० डी० ओ० के पद पर पदोन्नत किया जाय। वर्तमान स्थिति यह है कि ७५ प्रतिशत ए० डी० ओज० के पद पंचायत मंत्रियों में से भरे जाते हैं और शेष २५ प्रतिशत पदों को ग्राम सेवकों में से भरा जाता है। यह आवश्यक इसलिये है कि ए० डी० ओ० पंचायत में से पदोन्नति करके बी० डी० ओज० भी बनाए जाते हैं। इसलिये आवश्यक है कि ग्राम सेवकों को भी ए० डी० ओज० बनने का मौका मिल सके और उनकी यह पदोन्नति बन्द करना न्यायसंगत नहीं होगा। इन कारणों से हमारा अब तक यह निर्णय है।

श्री दीपनारायण मणि—

बलवन्त राय मेहता कमेटी ने पंचायत मंत्रियों को छोटी इकाई माना था और इस आधार को मानते हुए जब ग्राम सेवकों तथा पंचायत मंत्रियों का कार्यक्षेत्र करीब-करीब एक है तो शासन को यह फैसला करना होगा कि पंचायत मंत्रियों का महत्व अधिक है अथवा ग्राम सेवकों का अथवा दोनों का बराबर है ?

श्री शिवराज सिंह—

मेरी दृष्टि से ग्राम सेवकों की प्रशासनिक योग्यताएं तथा कर्त्तव्य पंचायत मंत्रियों से कहीं अधिक हैं लिहाजा दोनों के प्रति समान रूप से व्यहार करना उचित नहीं होगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मणि जी के सुझाव के अनुसार क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि ग्राम सेवकों और पंचायत मंत्रियों दोनों के पद एक ही आदमी को सौंप दिये जायं जिससे काम भी सुचारु रूप से चल सके और उनके वेतन बढ़ाने में जो दिक्कत है, वह भी दूर हो जाय ?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया प्रजातंत्र की इकाई गांव पंचायत और क्षेत्र समिति के कृत्यों के सम्बन्ध में सरकार पुनः विचार कर रही है और उनके क्या फंक्शंस हैं उनको सम्पादित करने वाले जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में भी सरकार पुनः विचार कर रही है। लिहाजा जो यह प्रश्न उठाया गया है, यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

पिछली सरकार ने ८० फीसदी पंचायत मंत्रियों का वेतन १ अप्रैल, ६९ से बढ़ाने का वायदा किया था। २० प्रतिशत का बढ़ गया था। तो उनके महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में १ अप्रैल, ६९ से दिये जाने की जो घोषणा की थी तो क्या इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश दिये जा चुके हैं या नहीं ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि चालू वर्ष में २० प्रतिशत मंत्रियों को ही बढ़ा हुआ वेतन क्रम दे पायेंगे। अगले वर्ष समस्त मंत्रियों को बढ़ा हुआ वेतन-क्रम तथा बढ़ा हुआ भत्ता देने की व्यवस्था होगी।

श्री रामचरण—

आपने जो २० प्रतिशत मंत्रियों को बढ़ा हुआ वेतन-क्रम देने की बात कही है तो इसके छांटने का आधार क्या होगा ? क्यों नहीं सारे मंत्रियों को जो वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं एक साथ वेतन-क्रम दिया जा रहा है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, रिकार्ड के आधार पर कह सकता हूं कि वित्तीय साधनों की कमी है। माप-दंड सीनियोरिटी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी उनके प्रतिनिधियों को बुला कर बातचीत करने के लिये तैयार हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनको ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों का कर्मचारी माना जाता है इसलिये इनका वेतन-क्रम इतना कम रखा गया है । पंचायतों का कार्य ठीक ढंग से चले इसलिये इनको सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर उनको वही वेतन क्रम देने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग से मैं सहमत नहीं हूं इसलिये दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि उनकी सेवायें सरकारी करने में विकेन्द्रीयकरण की नीति के कारण कठिनाई है । दूसरा यह संकेत किया कि गांव सभायें तथा गांव पंचायतें सफल हुईं या असफल इस पर वे विचार कर रहे हैं अगर असफल हो गईं तो उनको कहां सर्विस देंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामचन्द्र विकल---

श्रीमन्, अगर गांव सभायें और पंचायतें असफल हो गईं तो इनको कहां नौकरी देंगे ?

रोडवेज क्षेत्र , देहरादून में बिना टिकट यात्रा के मामले

*१३---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून क्षेत्र में कितने केसेज १९६४ से दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ तक यातायात सरकारी वाहनों में बिना टिकट यात्रा से सम्बन्धित पकड़े गये ? उनमें से कितने तय किये गये, कितने शेष हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, यह प्रश्न नवम्बर में आ गया था तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ५ महीनों में कितनी सूचना एकत्रित हो गई है ?

श्री धर्मसिंह---

मान्यवर, यह कई जिलों से संबंधित है और पांच साल की सूचना मांगी गई है । जो सूचनायें आईं थीं उनसे सरकार को संतोष नहीं हुआ तो क्लेरीफिकेशन मांगा गया इसीलिये देरी हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी यह सूचना दे पायेंगे कि कितने केसेज पकड़े गये ?

श्री धर्मसिंह---

जी हां, ५६७ केसेज पकड़े गये हैं ।

वाराणसी यातयात विभाग के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतें

*१४---श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के यातायात विभाग के वाराणसी के सामान्य प्रबन्धक ४ जुलाई, १९६८, २६ जुलाई, १९६८ के अपरान्ह तक आजमगढ़ में रहे हैं ? इन दिनों का भत्ता उन्होंने परिहन आयुक्त से मांगा है ?

*१५---क्या यह सत्य है कि वाराणसी यातायात सामान्य प्रबन्धक ने लखनऊ क्षेत्र के चारबाग के सहायक सामान्य प्रबन्धक के समक्ष कन्डक्टर, श्री राममेश्वर के विरुद्ध बयान दिया है कि उन्होंने २५ जुलाई, १९६८ को कादीपुर में उसकी बस को चैक किया है ? यदि यह सत्य है तो सरकार द्वारा वाराणसी के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मसिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नगीना सिंह---

यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी और सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---

मान्यवर, जब कोई प्रश्न स्थगित हो जाता है तो दुबारा आता और जल्दी आ जाता है।

श्री कृष्णानन्द राय--

मान्यवर, उत्तर से मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, केवल सूचना एकत्रित कर रहे हैं ।

गजरौला में खांडसारी इकाई स्थापित करने की स्वीकृति

*१६---श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९ में मुरादाबाद जिले के गजरौला रेलवे स्टेशन के पास किसी को सल्फर शुगर फैक्टरी (पलान्ट) लगाने का कोई नया लाइसेन्स दिया गया है अथवा किसी अन्य स्थान से गजरौला को कोई कोई लाइसेन्स ट्रान्सफर हुआ है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों वश ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कोई नया लाईसेंस नहीं दिया गया था । सर्वश्री कृष्ण उद्योग, ग्राम डिडौली, जिला मुरादाबाद की खांडसारी इकाई को ग्राम डिडौली से ग्राम जगरौला में स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई थी । वर्ष १९६८-६९ की लाइसेंस देने की नीति के अनुकूल होने के कारण प्रार्थना स्वीकार की गई थी ।

विकास अधिकारियों की जीपें

*१७---श्री इन्द्रलाल---

विधान सभा की बैठक दिनांक ५ अगस्त, १९६९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम पर क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि जिन ६२८ विकास खण्डों में एक-एक जीप गाड़ी क्षेत्र विकास अधिकारियों के उपयोग हेतु दी गई है इसका उपयोग केवल बी० डी० ओज० ही करते हैं या अन्य सरकारी अधिकारी भी उपयोग में लाते हैं ? यदि हां, तो वह कौन-कौन अधिकारी हैं ?

श्री शिव राज सिंह---

विकास खंड की जीप को विकास कार्यों के लिये मुख्यतय: खंड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख तथा सहायक विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। आवश्यकतानुसार (यूनीसेफ की गाड़ियों के अलावा) अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) / जिला नियोजन अधि-

कारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला सहकारी अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि भी इनका उपयोग करते हैं और अपनी यात्राओं से संबंधित पेट्रोल आदि का व्यय अपने विभाग के बजट से वहन करते हैं। जिलाधीश के आदेश पर कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने हेतु (यूनीसेफ की गाड़ियों के अलावा) इन गाड़ियों का उपयोग माल विभाग के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है जिसके पेट्रोल आदि का व्यय माल विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है।

*१८--श्री इन्द्र लाल---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन जीप गाड़ियों को प्रति मास कितने किलोमीटर चलाने की अनुमति शासन ने दी है और कितना खर्चा पेट्रोल के लिये नियत है?

श्री शिवराज सिह---

डेढ साइज विकास खंडों एवं ऐसे विकास खंडों जो पहाड़ी जिलों, बुन्देलखंड मंडल और मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत आते हैं, में सामुदायिक विकास विभाग की जीप के प्रयोग की अधिकतम सीमा ७२० किलोमीटर प्रतिमास है। अन्य सभी विकास खंडों में यह सीमा ४८० किलोमीटर प्रतिमास है तथा पौष्टिक आहार योजना वाले विकासखंड में ५६० किलोमीटर प्रतिमास है। प्रत्येक विकास खंड में जीप गाड़ी के पेट्रोल आदि पर व्यय करने हेतु रुपये १५००--०० (एक हजार पांच सौ रुपये) प्रतिवर्ष निर्धारित किये गये हैं।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि समस्त प्लानिंग के अधिकारी जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, वे किन कारणों से इन गाड़ियों को ले जाते हैं ?

श्री शिवराज सिह---

जब इनकी गाड़ियां कार्य करने योग्य नहीं होतीं, या कार्य का भार अधिक होता है, उस अवस्था में वे उनका प्रयोग करते हैं और करना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन ब्लाकों की गाड़ियों को प्रयोग करने का क्या क्षेत्र समितियों के प्रमुखों को भी अधिकार है ?

श्री शिवराज सिह---

मैंने मूल उत्तर में यह निवेदन किया था कि जितने अधिकारियों को ब्लाकों की गाड़ी प्रयोग करने का अधिकार है उनमें ब्लाक प्रमुख भी सम्मिलित हैं।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २--१ महीने पूर्व समस्त जिला अधिकारियों को यह आदेश गया था कि नियोजन के कार्य के निरीक्षण के लिये अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित विधायक-गण भी उन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे ?

श्री शिवराज सिह--

रिकार्ड के अलावा मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसी सदन में कुछ दिन पूर्व इस आशय का आश्वासन दिया गया था कि क्षेत्रों के विधायकगण भी ब्लाकों की गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते है, फिर ऐसे आश्वासन का पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिवराज सिह--

जो सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य की सूचना का आदर करते हुए, मैं इसकी छानबीन करूंगा। अगर इस प्रकार का कोई आदेश प्रसारित किया गया है तो उसको कार्यान्वित करने की अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन---

मंत्रीजी ने काफी लम्बी फेहरिश्त उन अधिकारियों की बतलाई जो कि जिला हेडक्वार्टर्स पर रहते हैं और ब्लाक की जीप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ब्लाक के हेडक्वार्टर्स जिले के हेडक्वार्टर्स से ४०, ५० मील दूर होते हैं तो ब्लाक की जीप जिला हेडक्वार्टर्स पर न रखकर ब्लाक पर क्यों रहती हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

प्रश्न का अभिप्राय यदि मैं ठीक समझा हूं तो सामान्यत: ब्लाक की जीप ब्लाक पर ही रखने का प्राविधान है ।

श्री रियासत हुसैन---

चूंकि जिला कृषि अधिकारी और डी०पी०ओ० को उस जीप को इस्तेमाल करने का अधिकार है इसलिये वह जीप अधिकतर जिला हेडक्वार्टर्स पर ही रहती हैं और ब्लाक पर जीप न रहने के कारण उसको बी०डी०ओ० या प्रमुख इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जीप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर न रह सके क्योंकि वहां पर और भी गाड़ियां होती हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जीप गाड़ी पर प्राथमिकता ब्लाक कार्य को मिलना चाहिये और साधारणत: यह गाड़ी ब्लाक के ही मुख्यालय पर रहना चाहिये। मैं इस तरह के आदेश प्रसारित कर दूंगा ।

बांसगांव ब्लाक में पेय जल व्यवस्था

*१९---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में बांसगांव ब्लाक में १ जनवरी, १९६९ से ३१ अक्तूबर, १९६९ तक देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये कितने हैंड पाइप देहाती क्षेत्रों में लगाये गये और कौन-कौन से गावों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई ?

श्री शिवराज सिंह---

प्रश्नगत अवधि में विकास खन्ड, बांसगांव में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये किसी ग्राम में कोई हैंड पम्प नहीं लगाये जा सके। इस क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये वर्ष १९६९-७० में १७,००० रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है जिससे ७२ हैंड पम्प तथा ६ कुओं का निर्माण जिला परिषद् की स्वीकृत के उपरान्त होगा ।

*२०---श्रीमती मसाली देवी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांसगांव, विकास खन्ड में जनवरी, १९६९ से ३१ अक्टूबर, १९६९ तक पम्पिग सेट एवं कुओं के लिये कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे ? कितने पर कार्यवाही हुई और कितने रद्द किये गये ?

श्री शिवराज सिंह-

प्रश्नगत अवधि में कूप निर्माण तथा पम्पिग सेटों के १४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। १३ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये तथा १ रद्द किया गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो यह धनराशि बतलाई कि अगले वर्ष में खर्च की जायेगी तो क्या उनके पास सूचना है कि किन-किन गांवों में यह पैसा लगाया जायगा

और खासकर जो वहां की हरिजन बस्तियां हैं, क्या उनके जो जिला स्तर पर प्रार्थना-पत्र आये हैं उनको भी दिया जावेगा या अलग से व्यवस्था की जावेगी ?

श्री शिवराज सिंह--

जहां तक पेयजल योजना का सम्बन्ध है गोरखपुर के लिये २ लाख १७ हजार रुपये की व्यवस्था की गई है और उस जिले के अन्दर विभिन्न विकास खन्डों में जो आवंटन हुआ है, उसके अनुसार १७,००० रुपया इस विकास खंड के लिये है। यह निर्णय उस विकास खंड को लेना है कि कहां कितना रुपया खर्च किया जाय।

श्री दीपनारायण मणि---

गोरखपुर में बांसगांव का बड़ा इलाका है और वहां पर ३१ अक्तूबर, १९६९ एक भी पाइप नहीं लग सका, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, कारण स्पष्ट है, प्रश्नोत्तर में दिया हुआ है कि नियमानुसार जो भी योजना विकास खंड द्वारा निश्चित की जाती है उसकी स्वीकृति जिला परिषद् से आवश्यक है। वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो यह त्रुटि जिला परिषद् की है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

इस अवधि में बासगांव से कितनी दरख्वास्तें पेयजल के लिये प्राप्त हुई थीं ?

श्री शिवराज सिंह---

सूचना की आवश्यकता है।

विकास खंड कुण्डा तथा कालाकांकर में ग्रामीण जन शक्ति द्वारा कार्य

*२१-श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला प्रतापगढ़, विकास खंड कुण्डा तथा कालाकांकर से ग्रामीण जनशक्ति योजना हटा ली गई है ? इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई सड़कों व पुलों के निर्माण कार्यों को कब तक तथा कैसे पूरा किया जायगा ?

श्री शिवराज सिंह---

प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा तथा कालाकांकर विकास खंडों में ग्रामीण जनशक्ति योजना चल रही है। इस योजना में प्रारम्भ की गई सड़कों व पुलों के निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग व जिला परिषद् के माध्यम से पूर्ण कराये जा रहे हैं जो कि सम्भवत: वर्ष १९७०-७१ के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगे।

*२२-श्री जयराम यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त विकास खण्डों में कितनी लम्बी सड़क तथा कितने पुल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उसमें कितनी उपलब्धि दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ तक हुई ?

श्री शिवराज सिंह--

वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ२१६-२१७ पर)

एक सदस्य--

कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनको यह दिया गया है ?

श्री शिवराज सिंह--

श्रीमन्, उसकी सूची यहां पर संलग्न है जो काफी बड़ी है । यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं उसको पूरी तरह से पढ़ भी सकता हूं ।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर जन शक्ति योजना चालू की जाती है तो उसका आधार क्या है ?

श्री शिवराज सिंह--

उस क्षेत्र की आवश्यकता और लोगों का उत्साह, श्रीमन् ।

*२३--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले में ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*२४--श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के हाटा, सुकरौली और कप्तानगंज, ब्लाक के अन्तर्गत आर० एम० पी० स्कीम में १९६६-६७ में कौन-कौन सी सड़कें निर्माण हेतु ली गई थीं ?

श्री शिवराज सिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१८ पर)

*२५--श्री बांकेलाल--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा ब्लाक के अन्तर्गत हाटा से देवरिया होते हुये मिस्वां बढ़हरा जो रोड पिपरा अजीजनगर रोड में मिलती है उस पर कितना काम आर० एम० पी० स्कीम द्वारा हुआ है ?

श्री शिवराज सिंह--

प्रश्नगत सड़क ग्रामीण जनशक्ति योजना में स्वीकृत नहीं है अतः इस पर कोई भी काम होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बांकेलाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाटा ब्लाक के अन्तर्गत बरसौनी सड़क पर जो कार्य हुआ था वह आधा ही हुआ है और उस पर केवल मिट्टी डाल कर छोड़ दिया गया है ?

श्री शिवराज सिंह--

उपलब्ध सूचना के आधार पर मैं कहूंगा कि विकास खंड, हाटा के अन्तर्गत इस सड़क पर कार्य जून, १९६७ में आरम्भ हुआ था और उस पर ३१-१२-६८ तक १ लाख ७८ हजार रुपया व्यय हुआ। उस सड़क के बारे में अब तक की रिपोर्ट यह है कि उस पर मिट्टी का काम प्रायः समाप्त हो चुका है और सड़क २ मील ५ फर्लांग तैयार है।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, सवाल मेरा कुछ और है और मंत्री जी ने दूसरा ही उत्तर दिया है। मैं श्रीमन्, पिपरा, बढ़हरा, कप्तानगंज के बारे में कह रहा हूं जिस पर मिट्टी और कंकड़ दूर तक पड़ा है। उस सड़क पर पिछले वर्ष मिट्टी पड़ी और उसके बाद बरसौनी तक मिट्टी पड़ी है। वह मिट्टी बरसात के कारण बह रही है। क्या मंत्री जी उसके बारे में जांच करवायेंगे और उसकी सूचना देने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह कह रहा था कि जनशक्ति योजना में वह सड़क ली गई है बरसौनी तक काम हुआ है परन्तु वह काम पूरा नहीं हुआ है और वहां पर मिट्टी और कंकड़ पड़ा है। मैं मंत्री जी से यह बतलाना चाहता हूं कि क्या वे बरसौनी रोड का सर्वेक्षण करवायेंगे और जो आधी बनी हुई सड़क पड़ी है उसको पूरी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

उपलब्ध विभागीय सूचना के आधार पर मैं यह निवेदन करूंगा कि मिस्वां बड़हरा रोड ग्रामीण जनशक्ति योजना में स्वीकृत नहीं है। यदि माननीय सदस्य को इसके विपरीत जानकारी हो, तो वे मुझे लिख कर दे दें। मैं उसकी छानबीन कराऊंगा और दूसरा संशोधित उत्तर सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा ब्लाक में कौन-कौन सी सड़क ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सड़क दूसरी है—प्रश्न इस सड़क से संबंधित नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह सड़क भी उसी ब्लाक में है, श्रीमन्। मंत्री जी या तो कन्फयूज कर रहे हैं या कन्फ्यूज हो रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि इसी ब्लाक के अन्दर और कौन-कौन सी सड़कें ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न तो मिस्वां-बड़हरा सड़क से संबंधित है। आपका प्रश्न उस प्रश्न से अलग है।

श्री शिवराज सिंह—

हाटा ब्लाक के अन्दर ३ सड़कें ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत हैं और उन पर कार्य हो रहा है :—

(१) पिपरा-बेहटा कप्तानगंज सड़क—४ मील ३ फर्लांग।
(२) देवरिया—हाटा मार्ग का निर्माण।
(३) सिरसा मार्ग—२ मील।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रश्न हो सकें। प्रश्न संख्या २६ व २७।

देवरिया जिले में सिंचाई साधनों के लिए ऋण

*२६—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत सन् १९६६ से ३० जून, १९६९ तक कितना रुपया किसानों को पम्पिग सेट, ट्यूबवेल एवं रहट के लिये कर्ज दिया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

देवरिया जिल में १ जनवरी, ६६ से ३० जून, ६९ तक २,३०,३४,००५ रुपया किसानों को पम्पिग सेट, ट्यूबवेल एवं रहट के लिये कर्ज दिया गया।

*२७—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कार्यों को पूरा करने के बाद सब्सिडी किसानों को दी गई ? यदि नहीं दी गई तो, क्यों तथा उसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री शिवराज सिंह—

४,४१५ किसानों को अनुदान दिया जा चुका है, १,२०३ किसानों को अनुदान देय नहीं है तथा ४४७ किसानों को अनुदान देने की कार्यवाही की जा रही है।

अस्वीकृत किये गये १,२०३ अनुदान के मामलों में से ८९६ मामले १-१-६८ के बाद के हैं जिनमे अनुदान बन्द किया जा चुका है और ३०७ शेष मे या तो निर्धारित समय मे कार्य पूर्ण नहीं हुआ या स्वीकृत मेक का पम्प सेट नहीं लगाया गया या जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया उसके बजाय कोई दूसरा कार्य किया गया जिसके लिये कृषक स्वयं जिम्मेदार हैं।

श्री हरिवंश सहाय—

मेरा मंत्री जी के प्रश्न से संबंधित है। ८९६ मामले १-१-६८ के बाद के हैं। इसलिए उनको अनुदान नहीं दिया जा सका। क्या इस प्रकार की कार्यवाही से कृषि की प्रगति को धक्का नहीं लगेगा और किसानों का मनोबल नीचे नहीं गिरेगा ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, यह फैसला तत्कालीन मंत्रि परिषद् का है। उस फैसले से मैं भी सहमत हूं। इसललिए मजबूरी है।

श्री दीपनारायण मणि—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६७-१९६९ के जो सब्सिडी के मामले हैं उनको अनुदान दिया जा सका है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या उन मामलों की फिर से जांच करायेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

माननीय सदस्य जो भी शिकायतें देंगे उनकी मैं अविलम्ब जांच कराऊंगा।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

यदि एक काश्तकार समय पर काम पूरा कर लेता है, नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा कर सब्सिडी की दरख्वास्त करता है, तो क्या उसके लिए यह जरूरी है कि वह सिंचाई विभाग या किसी अन्य विभाग के अधिकारियों से यह रिकमेंड करवाए कि उसको सब्सिडी दे दी जाये ? यदि यह आवश्यक नहीं है तो फिर उनको सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री शिवराज सिंह—

यों तो प्रश्न स्पष्ट और निश्चित नहीं है और मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य समझ नहीं पाया। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के किसी नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट की परियोजना के समाप्त हो जाने के पश्चात जरूरत नहीं पड़ती।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

मेरा मतलब यह था कि जब कृषक कार्य पूरा कर लेते हैं तो इस आशय का नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट दाखिल करते हैं नहर विभाग का कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, बिजली दे दी जाय। मेरे यहां कृषकों ने कार्य पूरा होने के बाद प्रार्थना-पत्र दिये जो कि ब्लाक स्तर पर रजिस्टर्ड हुए। लेकिन ए० डी० ओ० प्लानिंग ने कहा कि नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट में यह नहीं है कि सब्सीडी दी जाय इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर इस बात की आवश्यकता नहीं है। यह बात सही है कि किसी भी निजी परियोजना की समाप्ति तभी मानी जाती है जब कि वह परियोजना आबपाशी देने की अवस्था में आ जाय। उसके लिए आवश्यकता यह है कि बिजली सेंक्शन हो जाय और लग जाय। बिजली पाने और लगने के लिए दोनों अवस्थाओं में नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट की जरूरत पड़ती है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बात इन दोनों अवस्थाओं के बीच की है। अन्तिम अवस्था की बात नहीं है।

हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज, मुरादाबाद पर बकाया

*२८—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज का कितना रिबेट का रुपया यू० पी० आई० सी० ए० ने रोक रखा है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कुछ भी नहीं।

*२९—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० पी० आई० सी० ए० का कितना रुपया हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज, मुरादाबाद की तरफ बकाया है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दिनांक २८-२-७० तक रुपये १२,९४४·८६ पैसे बकाया थे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि एक ही जिले में १२ हजार ९४४ रुपया ८६ पैसे की बकाया है और इस तरह यू० पी० भर में कई लाख रुपया होगा गोलमाल में तो यूपिका का कोई स्पेशल आडिट करायेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर १५-३-७० तक इस जिले में काफी रुपया वसूल हो चुका है और अब केवल ४ हजार ३८३ रुपये २ पैसे शेष हैं जिसकी वसूलयाबी शीघ्र की जा रही है। प्रदेश भर में कितना बकाया है तो उसकी फिगर्स इस समय उपलब्ध नहीं है। अगर कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे तो यकीनी तौर पर उसका आडिट करवायेंगे।

श्री छांगुर—

अभी माननीय सदस्य ने सारे प्रदेश भर के आडिट कराने की बात कही लेकिन मंत्री जी उससे कतरा रहे हैं। जब एक जिले की इतनी फिगर्स हैं तो साफ है कि हर जिले में इसी तरह से है। तो मंत्री जी कृपा करके सारे प्रदेश का इस सिलसिले में आडिट करायेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आडिट तो होता ही है और हम अपनी तरफ से करवा लेंगे। अगर माननीय सदस्य कोई विशेष सूचना देंगे तो उस पर जांच करा देंगे।

श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)--

यह जो रुपया बकाया बतलाया गया तो यह कितना पुराना है? किस साल का है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

तीन सोसाइटीज का है। एक सोसाइटी पर १८०, दूसरी पर १,२८१ और तीसरी पर २,६२० रुपया है। यह सन् ६२ का शेष है।

सर्विस मैनेजर, रोडवेज, इलाहाबाद के अधीन मोची तथा क्लीनर

*३०--श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि सर्विस मैनेजर, रोडवेज, इलाहाबाद के अधीन कितने व्यक्ति मोची और क्लीनर के पद पर काम करते हैं? १९६७ ई० से दिनांक ३१ जनवरी, १९६९ तक कितने मोची और क्लीनर स्वाभाविक रीति से हट गये, कितने हटा दिये गये और कितने नियुक्त किये गये? क्या नियुक्ति हेतु कोई ज्येष्ठता की लिस्ट भी है और उसी के आधार पर नियुक्तियां होती हैं? यदि हां, तो वह लिस्ट क्या है?

श्री धर्म सिंह--

४ मोची और २२७ क्लीनर हैं। १९६७ ई० से ३१ जनवरी, ६९ तक तीन क्लीनर स्वाभाविक रूप से हट गए। उपरोक्त अवधि में कोई क्लीनर नहीं हटाया गया और पांच व्यक्ति क्लीनर के पद पर नियुक्त किए गए। इस अवधि में न तो कोई मोची स्वाभाविक रूप से हटा, न हटाया गया और न ही किसी मोची की नियुक्ति की गई। क्लीनरों की नियुक्ति हेतु ज्येष्ठता सूची है और उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। उपर्युक्त अवधि के लिए मोची के पद के लिए कोई ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गई। क्लीनरों की ज्येष्ठता सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१९ पर)

श्री रामदेव--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १९६७ से ३१ जनवरी, ६९ तक ज्येष्ठता के आधार पर कोई प्रतीक्षा सूची मोची पद के लिये क्यों नहीं बनवायी गयी और क्या अब बनवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री धर्म सिंह--

उनकी ज्यादा मांग नहीं रहती है और जो सूची थी उसमें दो व्यक्ति थे। कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रामदेव--

क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि १९६७ से ७० के बीच बैजनाथ, हरिजन ग्राम वासी संसा, प्रतापगढ़ की नियुक्ति मोची के पद पर हुई और ६-७ महीने के बाद ही बिना किसी शिकायत के उसको हटा दिया गया इसलिये कि एक मंत्री महोदय के प्रत्याशी की नियुक्ति करनी थी?

श्री धर्म सिंह--

मेरे पास तो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं इस मामले की छानबीन करा लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रोडवेज कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन्स के कारण ही ये प्रश्न उठते हैं तो १९६० की सेवा शर्तों को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह---

यह तो पृथक प्रश्न है। क्या काम्प्लीकेशन्स हैं, मैं उस पर विचार कर लूंगा।

सिन्थेटिक रबड़ फैक्टरी, बरेली की खाली जमीन

*३१---श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स, बरेली को १९६० में १३८१ एकड़ भूमि एलाट की गई थी परन्तु अभी तक केवल लगभग ४०० एकड़ भूमि उपयोग में लाई गयी है ? तथा शेष भूमि वर्षों से बेकार पड़ी है ? तो क्या सरकार शेष भूमि वापस लेकर भूमिहीनों को पट्टे पर कृषि कार्य के लिये देने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मेसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली को मार्च, १९६१ में १,३८०.२६ एकड़ भूमि सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री की स्थापना तथा तत्संबंधी अन्य कार्यों के लिये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अध्याप्त करके दी गई थी। फरवरी, १९६८ तक कम्पनी ने लगभग ६६६ एकड़ भूमि उपयोग कर ली थी। शेष (७१५ एकड़) भूमि को कम्पनी उक्त फैक्ट्री के विस्तार, सहायक उद्योगों की स्थापना, श्रमिक तथा अधिकारियों के लिये आवास गृह निर्माण इत्यादि में उपयोग करना चाहती थी। कम्पनी ने फैक्टरी के विस्तार के लिये जुलाई, १९६९ में भारत सरकार से लाइसेंस की मांग की थी। कम्पनी के उक्त प्रस्ताव पर प्रदेशीय सरकार ने भी भारत सरकार को लाइसेन्स देने की सिफारिश की थी। विस्तार के प्रस्ताव पर भारत सरकार के आदेश न प्राप्त होने पर कम्पनी को सरकार ने, १० फरवरी, १९७० को इस आशय का रजिस्टर्ड नोटिस दिया कि यदि नोटिस के दिनांक से दो महीने के अन्दर कम्पनी भारत सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लेगी तो सरकार समस्त खाली जमीन उससे वापस ले लेगी। चूंकि भारत सरकार ने कम्पनी की प्रसार योजना अस्वीकार कर दी है, अतः जिला अधिकारी, बरेली को यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे खाली भूमि का कब्जा १० अप्रैल, १९७० को ले लें। खाली भूमि के वापस लेने के बाद इस बात पर विचार किया जायगा कि इस भूमि को अस्थाई तौर पर पट्टे पर कृषि कार्य के लिये दिया जाय या लाभदायक उद्योगों की स्थापना के लिये प्रयोग किया जावे।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री महोदय इस पर भी विचार करेंगे कि जिन काश्तकारों से यह जमीन ली गयी है, उन्हीं को वापस दे दें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

नियम तो इसी प्रकार का है कि जिन लोगों की जमीन ली जाती है अगर उसका उस काम में प्रयोग न आये तो वह उन्हीं को लौटा दी जाती है जिनसे ली गयी है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों के लिये जो जमीन जिस तारीख से एलाट की जाती है उसके कितने समय के अन्दर उनको कार्य कर लेना चाहिये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

दो साल के अन्दर। २० मार्च, १९६३ तक इस जमीन का उन्हें प्रयोग कर लेना चाहिये था। मैं यह समझता हूं कि इसमें अत्यधिक ढिलाई हुई और ऐसा भी दीखता है मुझे कि इन मिल मालिकों के साथ रियायत बरती गयी है और जिस भूमि का प्रयोग २ साल में हो जाना चाहिये था वह ८ साल तक नहीं कर सके, उसके बाद भी २ मास की मोहलत और दी गई। अब आज ही मैंने आदेश दिये हैं कि मौके पर देखा जाय कि कितनी जमीन दरअसिल प्रयोग में है और जो शेष है उसको जल्द से जल्द ले लिया जाय।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

जिन व्यक्तियों की जमीन ली गई है और जो आज रोजी रोटी से बेकार हैं और जिनके यहां खाने के लाले पड़े हैं तो क्या उन व्यक्तियों को वहां नौकरी मिली या नहीं और नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, इसका प्रश्न तो इससे नहीं उठता कि किस को वहां नौकरी मिली या नहीं मिली, ऐसी कोई शर्त थी या नहीं, वह अगर लिख कर देंगे तो हम पता लगा लेंगे।

रोडवेज बसों में सीटों का अपर वर्ग समाप्त करने का सुझाव

*३२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजकीय परिवहन विभाग की बसों में कायम लोअर तथा अपर वर्ग का वर्गीकरण समाप्त करके लोअर वर्ग के ही किराये पर पूरी बस एक ही वर्ग की करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से चालू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह--

विस्तृत सूचना वर्तमान सत्र के दूसरे सोमवार (दिनांक ९-३-७०) को माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ३१ के उत्तर में दी जा चुकी है।

महोली गन्ना विकास समिति पर बकाया

*३३--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि महोली गन्ना विकास समिति पर कितना धन कुल कितने काश्तकारों का बकाया है और यह बकाया किन-किन सालों का है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सीतापुर जिले की महोली गन्ना विकास समिति पर १९ जनवरी, १९७० तक अतिरिक्त गन्ना मूल्य एवं गन्ने मूल्य के रूप में रुपया ४,३५,२१५.६५ पैसा कुल १८,४४२ काश्तकारों का बकाया था। यह बकाया वर्ष १९५९-६० से वर्ष १९६८-६९ तक का है।

*३४--श्री रामलाल राही--

क्या सरकार इसका शीघ्र भुगतान करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था जारी है।

*३५--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[प्रश्न कर्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

नोट:--तारांकित प्र० सं० ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट शो रूम्स का आय-व्यय

*३६—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट के शो रूम इस समय कहां-कहां चल रहे हैं तथा वित्तीय वर्ष, १९६७-६८ व १९६८-६९ में उनमें कुल कितनी बिक्री हुई, कितना व्यय हुआ तथा शुद्ध लाभ या हानि कितनी हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के शो रूम इस समय लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, नई दिल्ली, नागपुर, कलकत्ता, हैदराबाद तथा भोपाल में चल रहे हैं। वर्ष १९६७-६८ व १९६८-६९ की बिक्री तथा व्यय का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में शुद्ध हानि क्रमशः ३,५४,३१० रुपये व ४,६८,१४६ रुपये हुई।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२० पर)

लघु उद्योग इकाइयों को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट

*३७—श्री जगदीश गांधी तथा श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो साल में उद्योग संचालक ने किन-किन लघु उद्योगों को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट जारी किये, उनमें से कितनों को केन्द्रीय सरकार ने इंपोर्ट लाइसेन्स जारी किये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष १९६७-६८ में ५१० लघु उद्योग इकाइयों को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट (अनिवार्यता प्रमाण-पत्र) जारी किये गये तथा उनमें से ३७३ लघु उद्योग इकाइयों को इंपोर्ट लाइसेंस (आयात लाइसेंस) दिये गये। इसी प्रकार वर्ष १९६८-६९ में ६३७ लघु उद्योग इकाइयों को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट (अनिवार्यता प्रमाण-पण) जारी किये गये जिनमें से ३५८ इकाइयों को इंपोर्ट लाइसेंस (आयात लाइसेंस) दिये गये।

उक्त लघु उद्योग इकाइयों को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र तथा आयात लाइसेंस दिये जाने के संबंध में पूर्ण विवरण माननीय सदस्यगण मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

*३८—श्री त्रिवेणी सहाय—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

फैजाबाद जिले में औद्योगिक ऋणों का बकाया

*३९—श्री रामचन्द्र आजाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कितना धन उद्योग ऋण का बकाया है और उसके वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

फैजाबाद जिले में औद्योगिक ऋणों का ७,७०,५९२ रुपया बकाया है। उसके वसूल करने के लिये ऋणियों को नोटिस दिये गये और तदुपरान्त जिन्होंने अदायगी नहीं की, उनसे लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत बकाया की वसूली मालगुजारी के बकाया के तौर पर तहसील द्वारा करने के लिये कलेक्टर को वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये। इस तरह कुल ६,४५,०४२ रुपये की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गए।

*४०—श्री रामचन्द्र आजाद—

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के कुछ विधायकों के जिम्मे उद्योग विभाग का ऋण बकाया है ? यदि हां, तो कितनों पर ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां । दो विधायकों पर औद्योगिक ऋण बाकी है ।

उद्योग निदेशालय, खादी बोर्ड से पत्र-व्यवहार की भाषा

*४१—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक उद्योग निदेशक के कार्यालय राज्य खादी बोर्ड तथा उद्योग विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१ मार्च, १९६९ से सितम्बर ३०, १९६९ की अवधि में शासकीय अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र शासनादेश तथा विज्ञप्ति इत्यादि उद्योग निदेशालय खादी बोर्ड तथा उद्योग विभाग द्वारा अधिकतर हिंदी में ही जारी किए गए हैं । इनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी यह बताना कठिन है। क्योंकि इस आशय का कोई रजिस्टर इत्यादि निर्धारित नहीं है जिसमें यह सूचना उपलब्ध हो । इसके अलावा उक्त सूचना प्राप्त करने के लिये निदेशालय, खादी बोर्ड तथा सचिवालय की प्रत्येक पत्रावली की छानबीन करनी पड़ेगी जिसमें समय लगेगा और फिर भी सही सूचना देना संभव न हो सकेगा ।

गन्ना क्रय-कर

*४२—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव) तथा श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि अपने प्रदेश की चीनी मिलों के कितने फार्म ऐसे हैं जिनसे गन्ने का क्रय-कर नहीं लिया जाता है और इससे प्रति वर्ष कितनी रकम मिलों को माफ हो जाती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रदेश की चीनी मिलों के ३३ फार्म ऐसे हैं जिनसे क्रय-कर नहीं लिया जाता है । क्रय-कर गन्ने की खरीद पर लगता है न कि निजी गन्ने पर । अतएव, प्रतिवर्ष कितनी रकम माफ होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४३—श्री गोपीनाथ दीक्षित तथा श्री गेंदासिंह—

केन सेस तथा पर्चेज टैक्स जब से लगाया गया तब से अब तक कितने रुपयों की छूट अलग-अलग मिलों को हुई है? क्या सरकार अब उन बकाया रुपयों को वसूल करने का विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न स्पष्ट नहीं है । निजी गन्ने पर क्रय-कर से छूट देने का प्रश्न नहीं उठता । तथापि जब से सेस तथा परचेज टैक्स लगाया गया है तब से अब तक अलग-अलग मिलों को रु० ४७८.४९ लाख की छूट दी गई है । उन रुपयों के वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रजाबुलन्द शुगर फंक्टरी, रामपुर पर किसानों का बकाया

*४४—श्री राम सागर—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि १९६८–६९ सीजन के सरकारी रिसीवरी के काल में रजाबुलन्द शुगर कंपनी, रामपुर क्षेत्र के गन्ना किसानों को कुल कितना रुपया गन्ना मूल्य के रूप में दिया गया और इसमें पिछले बकाया के विरुद्ध दिया गया और कितना चालू सीजन १९६८–६९ के लिये दिया गया तथा उपरोक्त सीजन का कितना और देना बाकी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गन्ना मूल्य आदि के लिये निम्नलिखित भुगतान किये गये—

	रु० (लाख रु० में)
१—१९६८–६९ का गन्ना मूल्य	२४८.६५
२—पिछला बकाया	८.६९
योग ..	२५७.३४

सीजन १९६८–६९ का गन्ना मूल्य रु० १६.७६ लाख शेष रह गया है। इसमें से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक रु० ११.२६ लाख का भुगतान और किया जा चुका है।

*४५—श्री राम सागर—

क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त अवधि में रजाबुलन्द फैक्टरी दो दिन लाइम-स्टोन की कमी के लिये बन्द रही ? यदि हां, तो सरकार ने इस हानि के लिये उत्तरदायी सरकारी रिसीवर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। लाइम स्टोन के खरीद-फरोक्त का कार्य केमिस्ट इंचार्ज के जिम्मे था और इसका सीधा संबंध रिसीवर से नहीं था। तत्कालीन केमिस्ट इंचार्ज के नौकरी छोड़ देने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो सकी।

गोरखपुर रोडवेज में गबन तथा अनिश्चित वेतन वाले रोडवेज कर्मचारी

*४६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में गोरखपुर रोडवेज में कुल कितने रुपये का गबन हुआ था और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

*४७—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन १ अप्रैल, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६९ तक निश्चित नहीं हुआ ?

श्री धर्मसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारी चीनी मिलों से रिकवरी

*४८—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सहकारी स्तर पर चलने वाली चीनी मिल कितनी हैं तथा क्या सरकार उन सभी की वित्तीय वर्ष, १९६५-६६, १९६६-६७, १९६८-६९ की बैलेंस-शीट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*४९—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित चीनी मिलों में रिकवरी का प्रतिशत गत तीन वर्षों में क्या रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कानपुर-विधूना रूट बस सर्विस

*५०—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि कानपुर से विधूना रूट पर रोडवेज की बसों को बन्द कर प्राइवेट लारियों को चलवाने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस कारण तथा कब से ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं ।

अकबरपुर में रोडवेज बस स्टेशन की इमारत का ठेका

*५१—श्री राम अवध (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के अन्तर्गत अकबरपुर में रोडवेज बस स्टेशन के अहाते में रोडवेज की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो कब इसका ठेका दिया गया है और इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां, फैजाबाद के अन्तर्गत अकबरपुर में रोडवेज बस स्टेशन के अहाते में निम्नलिखित कार्य हो रहे हैं:—

१—कर्मशाला, अकबरपुर में लुहारखाना, वाश प्लेट फार्म तथा रिपेयर शेड का निर्माण ।

२—अकबरपुर बस स्टेशन पर स्टार्टिंग शेड, तीन कमरों के खण्ड का निर्माण कार्य तथा सोकपिट सेप्टिक टैंक तथा सेनिटरी फिटिंग आदि का कार्य । वे कार्य दो भिन्न-भिन्न एग्रिमेंट के अनुसार दो ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे हैं । ये ठेके क्रमश: १९ मई, १९६९ तथा ६ जनवरी, १९७० को दिये गये थे । उक्त ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले निर्माण-कार्य की समाप्ति की तिथियां क्रमश: १८ मार्च, १९७० तथा ५ जून, १९७० हैं। इन्हीं तिथियों तक इन कार्यों के पूरे होने की आशा है ।

*५२—श्री राम अवध—

क्या यह सही है कि उपरोक्त अधूरी बिल्डिग का भुगतान पूर्ण रूप से हो गया है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं, यह सही नहीं है कि उपरोक्त अधूरी बिल्डिंग का भुगतान पूर्ण रूप से हो गया है ।

बिजनौर चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*५३—श्री शौनाथ सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बिजनौर शुगर मिल से काश्तकारों को उनकी पिछली बकाया गन्ने की कीमत दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इस मिल को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ की धारा ४८-क के अधीन जिलाधिकारी ने आदेश दिये थे। अध्यासी ने इन आदेशों का उल्लंघन किया। अतः इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २२ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर रोडवेज में ए० टी० आई० के लिए हरिजन उम्मीदवार

*५४--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या परिवहन मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में जी० एम० रोडवेज के यहां जुलाई, १९६९ ई० से दिसम्बर, १९६९ ई० तक कितने हरिजनों के नाम ए० टी० आई० एवं कर्णिक पद हेतु अलग-अलग जा चुके हैं ? इनमें से कितने प्रतिशत सेवारत हो गये एवं कितने प्रतिशत शेष हैं ?

श्री धर्मसिंह--

जुलाई, १९६९ से दिसम्बर, १९६९ तक हरिजन उम्मीदवार के तीन प्रार्थना-पत्र ए० टी० आई० के पद के लिये एवं पांच प्रार्थना-पत्र कर्णिक पद के लिये प्रधान प्रबन्धक, राजकीय रोडवेज, गोरखपुर द्वारा प्राप्त हुए। इन उम्मीदवारों में से किसी को भी सेवारत नहीं किया गया है, क्योंकि उपरोक्त अवधि में कोई भी सीधी भरती नहीं की गई।

परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों की खरीद

*५५--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६९-७० में राजकीय परिवहन विभाग द्वारा कितने रुपये की बसेज, ट्रक्स, कार्स अथवा चेसिस खरीदी जायंगी और किस एजेंट के द्वारा ?

श्री धर्मसिंह--

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में कुल रु० ४,९५,५९,२००·०० की बसें, टैक्सी कारें तथा मिनी बसों को क्रय करने का प्रस्ताव है, जिन्हें निम्नलिखित फर्मों से क्रय किया जायेगा :--

१--सर्वश्री टाटा इंजीनियरिंग व लोकोमोटिव कं०, बंबई,

२-- ,, अशोक ले लैंड लि०, मद्रास,

३-- ,, हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता,

४-- ,, प्रिमियर आटोमोबाइल्स, लि०, बंबई।

क्षेत्रीय परिवहन मैजिस्ट्रेट, लखनऊ, श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय के खिलाफ जांच

*५६--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ के क्षेत्रीय परिवहन मैजिस्ट्रेट श्री रमेशचन्द्र पांडेय के विरुद्ध लखनऊ कचहरी में काम करने वाले वकीलों ने सितम्बर, १९६९ में एक शिकायत, श्री जी० डी० शुक्ल, सदस्य, राजस्व परिषद् के यहां की थी जिसकी जांच हो रही है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्म सिंह--

जी हां। आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा २० दिसम्बर, १९६९ को क्षेत्रीय परिवहन मैजिस्ट्रेट लखनऊ, श्री रमेश चन्द्र पांडेय की अदालत का मुआयना किया गया। अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है।

*५७--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या यह भी सही है कि उक्त परिवहन मैजिस्ट्रेट श्री रमेशचन्द्र पांडेय, परिवहन विभाग (ख) के आदेश संख्या २५७५, दिनांक २७ जनवरी, १९६६ की अवहेलना कर १८० दिन से पहले ही बहुत से मुकदमों की फाइलें फाड़ डालीं, जिससे जांच में सबूत न मिल सके ?

श्री धर्मसिंह--

इस संबंध में अभी जांच की जा रही है ।

न्यौली चीनी मिल में गन्ने के मूल्य में नाजायज कटौती

*५८--श्री सिया राम (जिला एटा)--

क्या यह सही है कि एटा जिले के न्योली शुगर फैक्ट्री में गन्ना सप्लाई करने वाले सभी काश्तकारों को गन्ने का मूल्य देते समय प्रति गाड़ी १.२५ रु० काट लिया जाता है तथा उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है ? क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कटौती कब से की जा रही है ? कटौती का यह रुपया किसके पास जमा है और कितना तथा कटौती के लिये रसीद न देने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

न्यौली शुगर फैक्टरी, जिला एटा सीधे किसानों से गन्ना खरीदती है और उसका मूल्य भी स्वयं भुगतान करती है, अतएव, वांछित सूचना तथा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । नाजायज कटौती करने की इस चीनी मिल के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं, जिन पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

*५९--श्री सिया राम--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले की न्योली शुगर मिल में गन्ना सप्लाई सीधे काश्तकारों द्वारा होती है अथवा केन सोसाइटियों के माध्यम से ? यदि गन्ना उत्पादक सप्लाई करते हैं तो अब तक सोसाइटियां न बनने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

न्यौली शुगर फैक्टरी, जिला एटा, जिला फर्रुखाबाद तथा एटा के गन्ना उत्पादकों से सीधे गन्ना खरीदती है । उक्त चीनी मिल को जिला बदायूं से गन्ना समिति, बदायूं के तथा गोकुलनगर एवं किच्छा क्षेत्र से हल्द्वानी गन्ना समिति के माध्यम से गन्ना सप्लाई होता है । न्यौली, जिला एटा तथा कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में गन्ना समितियां तो हैं लेकिन निष्क्रिय पड़ी हैं ।

गन्ना सहकारी समिति लि० भोजीपुरा में गन्ने के मूल्य में कटौती

*६०--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति, भोजीपुरा, जिला बरेली में वहां के गन्ना उत्पादक सदस्यों से प्रति गाड़ी कटौती कर के कुछ धन लिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ? तथा उसकी रसीद क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

गन्ना सहकारी समिति लि०, भोजीपुरा, जिला बरेली में वहां के गन्ना उत्पादक सदस्यों से प्रति गाड़ी वर्ष ६९-७० के गन्ना मूल्य से जिस दर से कटौती की जा रही है उसका विवरण निम्न प्रकार है :

१--सड़क निर्माण हेतु	..	रु० १.०० प्रति गाड़ी ।
२--आंख के अस्पताल हेतु	..	रु० ०.०६ पै० प्रति गाड़ी।
३--शिक्षा फंड हेतु	..	रु० १.०० प्रति गाड़ी भोजीपुरा क्रय केन्द्र पर।

४— शिक्षा फंड हेतु रु० ०.५० पै० प्रति गाड़ी देवरिया क्रय केन्द्र पर।
५— ,, ,, .. रु० ०.५० पै० ,, धौरा क्रय केन्द्र पर।
६— ,, ,, .. रु० ०.०८ पै० प्रति कुन्टल आटामांडा क्रय केन्द्र पर।

समिति की निधि को बढ़ाने के लिये पास बुक के मद में कटौतियां निम्न दर से की जाती है—

१—रु० ०.५० पै० प्रति पास बुक १ गाड़ी से ४ गाड़ी तक के सट्टे दारों से
२—रु० १.०० ,, ,, ५ गाड़ी से ४० गाड़ी ,, ,,
३—रु० २.०० ,, ,, ४१ गाड़ी से २०० ,, ,,
४—रु० ५.०० ,, ,, २०० गाड़ी से ऊपर के सट्टेदारों से

उक्त समिति के संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त कटौती सामान्य जन हित के कार्य में की जा रही है। कटौती का धन निश्चय मदों में जमा कर दिया जाता है। सामान्य जन हित कटौती का पूर्ण विवरण भुगतान शुदा परची पर अंकित कर दिया जाता है और पास बुक में भी दर्ज कर दिया जाता है, इसलिये अलग से रसीद देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी की बैठकों में निर्णय

*६१—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी की बैठकें संविद शासन समाप्त होने के बाद से १५ जनवरी, १९७० तक किस-किस तिथि को हुयीं तथा उनमें क्या फैसले लिये गये ?

श्री धर्मसिंह—

स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी की बैठकें, संविद शासन समाप्त होने के बाद से १५-१-७०, तक निम्न तिथियों में हुई :—

१—अप्रैल १९-२०, १९६८ (स्थागित बैठक)
२—मई २४-२५, १९६८ (स्थगित बैठक)।
३—जुलाई १-२, १९६८ (१३४वीं बैठक)
४—अगस्त २३-२४, १९६८ (१३५ वीं बैठक)।
५—सितम्बर २७-२८, १९६८ (स्थगित बैठक)।
६—नवम्बर २९-३०, १९६८ (१३६ वीं बैठक)।

उक्त बैठकों में लिये गये फैसलों की तिथिवार **प्रतियां संलग्न हैं।

तुलसीपुर चीनी मिल पर किसानों का वकाया

*६२—श्री सूरज लाल गुप्ता (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर शकर मिल पर काश्तकारों का सन् १९६१ से १९६९ तक कितना रुपया बकाया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जनपद गोंडा के तुलसीपुर, शकर मिल पर काश्तकारों का गन्ना मूल्य के रूप में सन् १९६१ से १९६९ तक कुछ भी बाकी नहीं हैं।

**छापी नहीं गयी।

*६३—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या सरकार किसानों के बकाया रुपये का भुगतान करने का आदेश शीघ्र ही शकर मिल को देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में बुनकरों का मांग-पत्र

*६४—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक १२ सितम्बर, १९६९ को जिला बाराबंकी के बुनकरों ने वहां के जिलाधीश के सामने प्रदर्शन करके उन्हें एक मांग पत्र, जिसकी एक एक प्रति मुख्य मंत्री व उद्योग मंत्री को भी प्रेषित की गई, दिया था ? यदि हां, तो मांग पत्र में अंकित मांगें क्या हैं और उनकी पूर्ति की दिशा में क्या प्रगति हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, मांग पत्र में अंकित मांगों तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २२१ पर)

*६५—६६—श्री बीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

रजा शुगर फैक्टरी, रामपुर के रिसीवर , श्री पी० सी० झुनझुनवाला की नियुक्ति

*६७—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि रजा शुगर फैक्ट्री, रामपुर के रिसीवर को ५ जून, १९६९ को बदला गया है और नवनियुक्त रिसीवर को कुछ शर्तों के साथ नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो वे शर्तें क्या थीं और वह अब तक क्यों पूरी नहीं की गई हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नवनियुक्त रिसीवर, श्री पी० सी० झुनझुनवाला ने दिनांक १० जून, १९६९ को कार्यभार ग्रहण किया । उनकी नियुक्ति की शर्तें तालिका 'ब' में संलग्न है । उन्होंने इनमें से कुछ शर्तों का पालन नहीं किया था । अतएव दिनांक ३-३-७० से श्री अनश्याम पंत, डिप्टी कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२२-२२३ पर)

गन्ने का उत्पादन

*६८—श्री गेंदा सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि गत वर्ष सीजन में कितना गन्ना पैदा हुआ था तथा अनुमान कितना था तथा उस गन्ने की खपत किस प्रकार हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रदेशीय सरकार कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कर रही है, जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में पिछले सीजन की गन्ने की वास्तविक पैदावार बताई जा सके । प्रदेश की चीनी मिलों के लिये सुरक्षित और आरक्षित क्षेत्र में गन्ने की अनुमानित उपज ३८४.६८ लाख टन थी । इसमें से १२९.६१ लाख टन गन्ना चीनी मिलों ने पेरा तथा शेष गुड़ व खंडसारी बनाने में, बीज वितरण, चूसने, इत्यादि के काम आया ।

*६९—श्री गेंदा सिंह—

चालू सीजन में कितने गन्ने उत्पादन का अनुमान है, उसे किस प्रकार खपाया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पूरे प्रदेश में पैदावार का अनुमान उपलब्ध नहीं है। प्रदेश की चीनी मिलों के लिये सुरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्र में गन्ने का ४६४ लाख टन उत्पादन अनुमानित है। इसमें से १६६.६ लाख टन चीनी मिलों द्वारा पेरे जाने का अनुमान है तथा शेष गुड़ व खांडसारी बनाने में, बीज वितरण, चूसने इत्यादि के प्रयोग में लाया जावेगा।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग

*७०—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में हाल में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार को दिनांक १९ सितम्बर, १९६९ को चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संबंध में लिखा था कि इस उद्योग के बारे में जो भी नीति अपनाई जाये वह सारे देश पर लागू होगी।

चीनी मिलों तथा गन्ना समितियों पर किसानों का बकाया

*७१—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों तथा गन्ना समितियों पर किसानों के गन्ने का मूल्य कितना-कितना १५ अक्तूबर तक बाकी है ? उसे सरकार दिलाने के लिये कब तक सोच रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गन्ना मूल्य के बकाये का विवरण मासिक तैयार किया जाता है। अतः १५ अक्टूबर तक का पाक्षिक विवरण उपलब्ध नहीं है। सितम्बर, ३०, १९६९ तथा अक्तूबर ३१, १९६९ के दो संलग्न †तालिका 'ब' व 'स' में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है। गन्ना समितियां गन्ना उत्पादक सदस्यों की सामूहिक संस्था है तथा अधिकतर गन्ने का मूल्य किसानों को उन्हीं के माध्यम से वितरण होता है। बकाया की वसूली के लिये सरकार सतत प्रयत्नशील रहती है तथा आवश्यक कार्यवाही जारी है।

रोडवेज स्टेशन, अकबरपुर पर बुकिंग क्लर्क

*७२—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि यातायात क्षेत्र, वाराणसी के अकबरपुर रोडवेज स्टेशन, फैजाबाद, में कुल कितने बुकिंग क्लर्क हैं और वह उसी स्टेशन पर लगातार कितने दिनों से काम करते चले आ रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—

ग्यारह बुकिंग क्लर्क हैं। इनकी अकबपुर बस स्टेशन पर नियुक्ति की तिथि इस प्रकार है :—

१—श्री कपिल देव शर्मा	.. ..	७-५-१९५९
२—श्री उदय बहादुर सिंह	.. ..	३-४-१९६०

†छापी नहीं गयी।

३—श्री रहीम उल्ला	..	..	८-६-१९६०
४—श्री वीरेन्द्र पाठक	..	..	२-२-१९६२
५—श्री रमेश लाल	..	..	१८-१२-१९६६
६—श्री दिवाकर लाल	..	..	१-५-१९६७
७—श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्र	..	..	१२-८-१९६७
८—श्री राजा राम वर्मा	..	..	१३-८-१९६७
९—श्री इरसाद अहमद	..	..	५-१०-१९६७
१०—श्री प्रभु नाथ खत्री	..	..	५-१०-१९६७
११—श्री राम अवध राम	..	..	१६-७-१९६७

(इनके स्थानान्तरण का आदेश ३१-१-७० को बलिया के लिये हो गया है। पर ७-२-७० से निलम्बित हैं।

रोडवेज मजदूर सभा की मांगें

*७३—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज मजदूर सभा उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे २७ नवम्बर, १९६९ को मिला था ? यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल ने क्या क्या मांगें पेश कीं और उनमें से कौन-कौन सी मांगें मानी गईं और कौन-कौन सी नहीं ?

श्री धर्मसिंह—

मांग	स्थिति
१—१९६० की जबरिया लादी गई नौकरी की नई सेवा शर्तों को वापस लिया जाये तथा पहले वाली समस्त सुविधाएं रोडवेज कर्मचारियों को दी जायें।	नई सेवा शर्तों को अपनाने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक विकल्प दिया गया था। इसलिये इन्हें वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।
२—यू० पी० रोडवेज कर्मचारियों पर बोनस अदायगी अधिनियम, १९६५ लागू किया जाये तथा बोनस का भुगतान किया जाये।	रोडवेज संगठन शासन का एक विभाग है। अतः बोनस अधिनियम लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।
३—उन सभी रोडवेज कर्मचारियों को स्थाई बनाया जाये जिन्होंने एक वर्ष या दो सौ चालिस दिन सेवा कार्य कर लिया हो।	शासन की स्थायीकरण की नीति सभी विभागों के लिये समान है। इसलिये रोडवेज कर्मचारियों को भी उसी नीति के अनुसार स्थायी किया जाता है।
४—यू० पी० रोडवेज का एक स्वशासित परिवहन निगम बनाया जाये।	शासन ने इस विषय में समय समय पर विचार किया लेकिन अभी तक स्वशासित परिवहन निगम बनाने की आवश्यकता नहीं समझी।
५—रोडवेज का मैनुअल यथा शीघ्र बनाया जाय तथा सभी श्रम कानूनों को लागू करके उनका कड़ाई के साथ पालन करवाया जाये।	रोडवेज मैनुवल बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्रम कानूनों का पालन करने में भी यथासम्भव कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है।

रोडवेज कण्डक्टरों व ड्राइवरों को बरसाती देने की सिफारिश

*७४—श्री शिवकैलाश—

क्या परिहन मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कण्डक्टरों व ड्राइवरों को बरसाती देने का विचार कर रही है। यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं ।

मेरठ जिले में फैबरीकेटर्स को कच्चा माल न मिलना

*७५—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ के एप्रूब्ड फैवरीकेटर्स को जो गत तीन वर्षों से लोहा तथा इस्पात का कच्चा माल नहीं मिल सका था उसकी पूर्ति कब तक की जायगी और सरकार भविष्य में इन लोगों को समय पर कच्चा माल मिलने के विषय में क्या सुधार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला मेरठ के अप्रूब्ड फैब्रीकेटर्स को लोहा तथा इस्पात का जो कच्चा माल गत तीन वर्षों से नहीं मिल सका उसकी पूर्ति उत्पादकों से माल प्राप्त हो जाने पर लघु उद्योग निगम द्वारा की जायेगी। भविष्य में इन लोगों को समय पर कच्चा माल अन्य लोगों से दिलाने के लिये मामला विचाराधीन है ।

*७६—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या उद्योग मंत्री को यह विदित है कि गत तीन वर्षों से इन मेरठ जिले के फैवरीकेटर्स को कच्चा माल न मिलने के कारण इनके लघु उद्योग संकट में पड़ गये हैं, उक्त विषय में क्या सुधार किया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गत तीन वर्षों से फैबरीकेटर्स को कच्चा माल न मिलने की स्थिति से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये उत्पादकों से प्राप्त काली चादरों के टुकड़ों का पूरा आबंटन फैबरीकेटर्स को किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोहे, सफेद चादर एवं नालीदार चादरों का आवंटन भी इन फैबरीकेटर्स को सहानुभूति पूर्वक किया जा रहा है ।

*७७-७८—श्री रामकिंकर—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*७९-८०—श्री धूम प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सहकारी आडिटरों का वेतन-क्रम सम्बन्धी स्मृति-पत्र

*८१—श्री रामबचन—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव आडिट आर्गनाइजेशन में काम करने वाले पुराने आडिटरों (१२० रु० से २२० रु० के वेतन-क्रम वाले) द्वारा उनके वेतन का अभिनवीकरण किये जाने के संबंध में कोई स्मृति-पत्र जुलाई अथवा अगस्त, १९६९ में मिला ? यदि हां, तो स्मृति-पत्र क्या है तथा उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, रु० १२०–२२० के वेतन-क्रम में कार्य करने वाले पुराने सहकारी आडिटरों के उन्हें रु० १६०–२८० का वेतन-क्रम स्वीकृत किये जाने हेतु स्मृति-पत्र शासन को मिले हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

वाराणसी कमिश्नरी में जिला परिषद् कर्मचारियों का बकाया वेतन

*८२—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कमिश्नरी के अधीन जिला परिषदों के ऐसे कार्याधिकारी कितने हैं जिन्हें गत ६ मास से वेतन नहीं दिया गया है तथा वेतन न देने का कारण क्या है ?

श्री शिवराज सिंह—

दो।

एक का वेतन सन् १९६१–६२ की स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की एक आपत्ति के आधार पर अधिभार की कार्यवाही के लिए रोक लिया गया है। मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है।

दूसरे की नियुक्ति को एक साल के आगे जारी रखने के जिला परिषद् के प्रस्ताव को शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

रोडवेज क्षेत्र, मेरठ में ए० टी० आई० का भत्ता

*८३—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५ के जुलाई माह से अक्तूबर, १९६५ तक का दैनिक भत्ता मेरठ डिवीजन के सहायक यात्रा निरीक्षकों (A. T. I.) को २० जनवरी, १९७० तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उस भत्ते को तुरन्त बटवाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद् तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के लिपिकों के वेतन में असमानता

*८४—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के लिपिक जो प्रारम्भिक विद्यालय के कार्य संचालन का काय कर रहे हैं उनके वेतन-क्रम और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक के वेतन-क्रम में जो असमानता है उसे दूर करने को सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवराज सिंह—

ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

न्योतनी बस सर्विस की मांग

*८५—श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करें गे कि उन्नाव–हसनगंज तथा उन्नाव–मलिहाबाद मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें, सरकारी आ देश के बावजूद कस्बा न्योतनी, जिला उन्नाव नहीं जा रही हैं ? यदि हां, तो कब तक उनके न्योतनी जाने की व्यवस्था हो जायगी ?

*८६—क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा न्योतनी से उन्नाव तक यात्रियों की सुविधा के लिये उक्त मार्ग पर चल रही बसों के अतिरिक्त ३ प्राइवेट अथवा राजकीय रोडवेज बसों की अलग से व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रधान प्रबंधक, रोडवेज, वाराणसी द्वारा स्टाफ कार के इस्तेमाल पर व्यय

*८७—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधान प्रबन्धक रोडवेज, वाराणसी ने १ अप्रैल, १९६७ से दिसम्बर, १९६९ तक कितने किलोमीटर अपनी स्टाफ कार का इस्तेमाल किया और कितना धन व्यय हुआ?

श्री धर्म सिंह

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फैजाबाद जिले में लोहे की नालीदार चद्दरों का वितरण

*८८—श्री रामचन्द्र आजाद—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९६८-६९ व १९६९-७० विकास कार्यों के लिये लोहे की नालीदार चद्दरों का कोटा डी० डी० सी० (उप विकास आयुक्त), फैजाबाद द्वारा जो कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये निर्धारित किया गया था, किन-किन फर्मों को दिया गया है तथा फैजाबाद जिला में किन-किन कृषकों को परमिट दी गई है? इसकी पूरी सूचना सदन की पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहकारी सूती मिल, इटावा द्वारा उत्पादित सूत

*८९—श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी सूती मिल, इटावा में सन् १९६९ में जनवरी से दिसम्बर तक हर महीने में कितना सूत तैयार हुआ और उसमें से कितना सूत हर माह हिस्सेदार सहकारी समितियों को दिया गया और हर महीने कितना-कितना सूत बाजार में बेचा गया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जनवरी, १९६९ से दिसम्बर, १९६९ की अवधि में सहकारी सूत मिल, इटावा द्वारा उत्पादित सूत के माहवार आंकड़े तथा सहकारी समितियों और अन्य लोगों को बेचे गये सूत का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २२४ पर)

*९०—श्री होतीलाल अग्रवाल—

क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेगी कि हिस्सेदार सहकारी समितियों को इस सहकारी मिल का सूत पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सहकारी समितियों को पर्याप्त मात्रा में सूत देने का प्रबन्ध मिल के द्वारा किया गया है।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में कृषि-यंत्रों की सप्लाई

*९१—श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९६४ से १९६८ के बीच ग्राल मशीन फर्म, गोरखपुर ने गोरखपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत पड़ने वाले जिलों में कृषि के यन्त्र की सप्लाई प्रत्येक विकास खण्ड को दिया है? यदि हां, तो कितने लागत का सामान सम्पूर्ण कमिश्नरी के जिलों के विकास खण्डों में था?

श्री शिवराज सिंह—

जी नहीं। केवल गोरखपुर तथा देवरिया जिलों के विकास क्षेत्रों को ही कृषि यंत्र सप्लाई किये गए हैं।

इन दोनों जिले के विकास क्षेत्रों में रु० ९,७४६.४० पैसे के कृषि यंत्र सप्लाई किये गये थे।

*९२—श्री राजित राम पांडेय—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त फर्म के मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं डाइरेक्टर कौन-कौन व्यक्ति हैं और उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

उक्त फर्म लिमिटेड नहीं है। इसलिए मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं डाइरेक्टर नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्न

रोडवेज वर्क शाप्स में मोटर पार्ट्स तथा रोडवेज गाड़ियों का क्रय

१—श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की वर्कशापों में कितनी धनराशि के मोटर पार्ट्स बेकार पड़े हुए हैं?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

२—श्री गोविन्द सिंह—

१९६९-७० में कितनी बड़ी और कितनी छोटी मोटर गाड़ियां रोडवेज के लिये खरीदी गयीं?

श्री धर्म सिंह—

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में कुल रुपये ४,९५,५९,२००.०० की ७४२ बसों, २६ टैक्सी कारों तथा ४ मिनी बसों को क्रय करने का प्रस्ताव है।

३—श्री गोविन्द सिंह—

१९६९-७० में कितनी पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटाई गईं? और हटाये जाने के बाद उनका क्या किया गया?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सदन के आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

१३ मार्च को उठते समय माननीय अध्यक्ष ने सदन में यह घोषणा की थी कि सदन १६ मार्च को बैठेगा और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, १९७० पर १६ मार्च को बहस होगी और १७ मार्च तक बहस चलेगी। १७ मार्च को अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस चलेगी। १८ मार्च को शाम को उस पर तथा विधेयक पर मतदान लिया जायगा। उसके तुरन्त बाद कुछ सदस्य माननीय अध्यक्ष से मिले और उन्होंने १८ तारीख को सदन की बैठक में आने की असमर्थता प्रकट की। इस कारण माननीय अध्यक्ष ने विभिन्न दलों के नेताओं को १४ मार्च, ७० को अपने कमरे में विचार-विमर्श के लिये बुलवाया जिसमें लगभग सभी दलों के नेता या प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री जायसवाल ने आने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। इन नेताओं ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर १६ तथा १७ मार्च को २ बजे तक सामान्य विवाद होगा और उसी में खंडों में जो संशोधन हैं, उस पर भी विचार हो जायगा लेकिन कोई मतदान नहीं होगा।

(२) १७ मार्च को २ बजे से अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद आरम्भ होगा जो २० और २१ मार्च को ४ बजे तक चलेगा और २१ मार्च, को ४ बजे उस पर मतदान होगा।

(३) अविश्वास के प्रस्ताव के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर भी मतदान होगा और संशोधन पर मतदान होगा किन्तु खंडों पर पृथक से कोई विवाद नहीं होगा।

(४) श्री शिवदास जी के विरुद्ध सदन की मर्यादा के अवमान के प्रश्न पर भी विचार तथा निर्णय २१ मार्च को उपरोक्त मदों के उपरान्त होगा।

(५) उपर्युक्त के फलस्वरूप शनिवार, २१ मार्च, १९७० को भी बैठक होगी जिसके लिये किसी औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी दलों की स्वीकृति से ये निर्णय लिये गये हैं जो सदन के निर्णय समझे जायंगे।

(६) इस प्रकार अब १८ व १९ मार्च को सदन नहीं बैठेगा।

अधिष्ठाता मंडल के लिये ४ सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष ने अधिष्ठाता मंडल के लिये श्री रामचन्द्र विकल, श्री जगवीर सिंह, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, श्री नित्यानन्द स्वामी को मनोनीत किया है।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना—(क्रमागत)

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय तो शिरोधार्य है लेकिन मुझे एक निवेदन करना है कि जिस क्रम से सदन में कार्य को लिया जा रहा है उसी क्रम से उस पर मतदान भी कराया जाय, यह चीज अधिक उचित और न्याय संगत होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर विचार पहले होगा और उसके बाद मंत्रि परिषद् पर अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। परन्तु आपने

जो मतदान का कार्यक्रम बताया है वह इसके विपरीत है। मेरा अनुरोध है कि जो आइटम कार्यसूची में पहले है यानी इस विधेयक पर पहले मतदान हो और अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान बाद में हो। यह मेरे खयाल से अधिक उचित और न्यायसंगत होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन् निवेदन है कि चाहे विभिन्न दलों के नेता की समिति हो और चाहे बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की समिति हो हमारे मित्र लोग ही उसमें जाते हैं। उनमें चौधरी साहब तो जाते नहीं हैं और जो भी वहां पर निर्णय हो जाता है, उस पर यहां पर एतराज हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि जो वहां पर तय होता है, वही यहां पर माना जाय?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो वहां पर उपस्थित नहीं था जो १४ तारीख को मीटिंग हुयी थी। लेकिन उसमें माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गिरधारीलाल, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय रामचन्द्र विकल, माननीय रामकरन सिंह, माननीय महीलाल, माननीय अजीत प्रताप सिंह, माननीय शांति प्रपन्न शर्मा, माननीय नारायण दत्त तिवारी, माननीय गोविन्द सिंह नेगी, माननीय महमूद अली खां, माननीय अली जहीर, माननीय गुलाब सिंह और माननीय वीरेन्द्र वर्मा उपस्थित थे। मतदान के लिए यह तय हुआ था कि पहले अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान होगा और उसके पश्चात् क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, पर मतदान होगा और तत्पश्चात् सदन के अवमान का प्रश्न लिया जायगा।

श्री शिवराज सिंह--

हमें स्वीकार है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, जो अधिष्ठाता मंडल का निर्माण हुआ है उसमें हमारे दल का कोई आदमी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं लिया गया है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो सूची में ४,५,६,७,८ और ९ आइटम पर विषय दिये हुए हैं, इनके बारे में मुझे यह कहना है कि इन पर माननीय मंत्री जी वक्तव्य रख देगें और इन पर आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे?

(माननीय मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, वक्तव्य की प्रति हमको नहीं दी गई है? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, ५ और ६ आइटम पर दिये हुये प्रश्न बड़े गम्भीर प्रश्न हैं। वहां पर बड़ा असंतोष है। डिग्री कालेज से सम्बिन्धत प्रश्न पर एक प्रश्न तो कर लेने दीजिए? (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, एक दो प्रश्न तो कर लेने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी प्रतिलिपि दल के नेताओं को मिल गयी है।

एक सदस्य--

श्रीमन्, उनको मिली होगी, सब को तो नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि प्रतिलिपि उस सदस्य को मिलनी चाहिये जिसके सवाल पर यह वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

एक माननीय राम गोपाल संड को दे दी गई है और एक माननीय नेता दल को भी दे दी गयी है।

एक सदस्य—

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है और वह आपको बतला देंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने १० मार्च को नियम ५१ का प्रश्न लक्ष्मी रतन काटन मिल के सम्बन्ध में दिया था जिसे आपने स्वीकार कर लिया था लेकिन आज तक वह एजेंडे पर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों द्वारा जो नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्न उठते हैं उनका निर्णय अध्यक्ष करते हैं। एक पर वक्तव्य हो जाता है और बाकी पर अगले दिन निर्णय लिया जाता है। आज ४ मंत्रियों को वक्तव्य के लिये रखा गया है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है लेकिन आज तक वह एजेंडे पर नहीं आया और उससे एक सन्देह पैदा होता है। चूंकि शासक दल के एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता की वह मिल है और उनके मिल में अनशन हो रहा है बहुत बड़े पूंजीपति का मिल होने से राजनीतिक लोगों को उससे फायदा मिलता रहता है, इससे सन्देह पैदा होता है कि आखिर १० मार्च का दिया हुआ प्रश्न आज तक एजेंडे पर क्यों नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न दिया था उसे सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया गया है। आज ४ वक्तव्य तैयार हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। अब अगर और चाहते हैं तो बाद में समय मिलने पर रखा जायगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्,। मैंने भी इलाहाबाद जिले के एक नायब तहसीलदार के सम्बन्ध में एक प्रश्न दिया था.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें। नियम ५१ के अन्तर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं सभी सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिये जाते हैं। चार मंत्रियों का वक्तव्य तैयार है जो आपके सामने आज आ जायगा और बाकी अगले दिन लिये जायेंगे। जितने भी प्रश्न आप लोग उठाते हैं सब एक दिन में कैसे होंगे।

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

आपने उसे १२-१३ तारीख के लिये निश्चित किया था।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष से पूछ लेंगे, उन्होंने ही निर्णय किया था। (व्यवधान) चार मंत्री जो जवाब दे सकते थे, आज दे रहे हैं। आप कृपा करके बैठें। माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दें।

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

उसका क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अध्यक्ष जी से बात कर लीजिएगा। आप कृपा करके बैठें, मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं बोलने की। (व्यवधान) मैंने आपको समझा दिया, अब आप बैठ जायं।

इलाहाबाद में नक्सलपंथियों द्वारा खलियान लूटने व खेत जलाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)

कुलभास्कर आश्रम किसान विद्यापीठ की ग्राम मोहिऊद्दीनपुर, थाना नवाबगंज जिला इलाहाबाद में कुछ भूमि है। इस भूमि के संबंध में उक्त विद्यापीठ तथा कुछ ग्रामवासियों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा है। जहां तक नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना का प्रश्न है यह सही नहीं है कि नक्सलपंथियों की एक बड़ी भीड़ ने उक्त किसान विद्यापीठ के खेत पर आक्रमण किया और उनका गल्ला लूट कर ले गये तथा फसल को जला दिया गया।

२--प्राप्त सूचना से यह विदित होता है कि मौजा मोहिऊद्दीनपुर व मौजा कोनहरपुर के प्रधानों ने लगभग ८०० बीघा गंगा कछार भूमि विद्यापीठ के नाम फरवरी १९६९ में कर दी थी, जिसमें से केवल १५० बीघा भूमि कृषि योग्य है तथा शेष भूमि पानी या बालू से दबी है। परगनाधिकारी ने उपरोक्त पट्टों को अनुमोदित नहीं किया जिस कारण विद्यापीठ की ओर से आयुक्त इलाहाबाद के यहां अपील कर दी गई है जिन्होंने आगामी कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी है। इसी भूमि के संबंध में कुछ ग्रामवासियों तथा विद्यापीठ के बीच भी विवाद है। दोनों पक्ष इस भूमि पर अपना-अपना अधिकार बताते हैं। इसी विवाद को लेकर गत फरवरी में शांति भंग होने की संभावना थी अतः कुछ ग्रामवासियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ की कार्यवाही की गई।

३--दिनांक ४ मार्च, १९७० को सायंकाल विद्यापीठ के चौकीदार ने थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि विद्यापीठ के करीब ६० बोझा बेरी तथा ४०० बोझा सरसों उस दिन प्रातः काल चौहरजा तथा अन्य कुछ व्यक्ति जबरदस्ती उठा ले गये। इस रिपोर्ट पर धारा ३७९ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया। मुकदमों में जांच जारी है। घटनास्थल पर उच्च पुलिस अधिकारी भी जा चुके हैं।

४--दूसरे दिन दिनांक ५ मार्च, १९७० को उक्त विद्यापीठ के प्रधानाचार्य ने थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि गत रात्रि को लगभग ९.४५ बजे चौहरजा तथा अन्य कुछ व्यक्तियों ने विद्यापीठ के फार्म हाउस में आग लगा दी। इस आधार पर धारा ४३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया और जांच जारी है।

५--उपरोक्त घटनाओं के कारण विद्यापीठ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में किसी व्यापक असंतोष की सूचना नहीं है। इस संबंध में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं और स्थिति नियंत्रण में है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह नक्सलपंथी लोग जो ४०० बोझा सरसों आदि को उठा ले गये और विद्यापीठ के फार्म हाउस में आग लगा दी, उनको कब गिरफ्तार किया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

उनको नक्सलपन्थी कहने से स्थिति में तो कोई फरक पड़ता नहीं। वे नक्सलपन्थी नहीं हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। वह जमीन के एक झगड़े के कारण हुआ है।

श्री रामगोपाल संड---

श्रीमन्, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री इस सिलसिले में पकड़े जा चुके हैं और उन्हीं का यह आन्दोलन चलाया हुआ है कि फार्मों तथा बिल्डिगों में आग लगा दो। वहां के कालिज के अध्यापकों और छात्रों में बडा असन्तोष है। मैं आज ही वहां से लौटकर आया हूं और मैंने वह फार्म भी देखा है।

एक सदस्य---

मैं जानकारी के लिये बता दूं कि वे नक्सलपंथी नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोग हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मैं एक चीज कहना चाहता हूं। माननीय मित्र की भाषा ही नक्सलपंथी भाषा है। वे ऐसे लोगों को जरूरत मंद लोग ही कहते हैं। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी को केवल यह सूचना ही देना है कि वे इसको कृपा कर देख लें। नक्सलपंथियों के कार्यकलापों का यह भी एक अंग है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

मेरे क्षेत्र का मामला है मुझे भी अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें। यहां सभी माननीय सदस्यों का क्षेत्र एक है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, जब विवाद जमीन के कब्जेदारी का ही था तो १०७ की कार्यवाही से ही सरकार ने संतोष क्यों कर लिया, १४५ की कार्यवाही सरकार ने क्यों नहीं की ? फिर क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस ने जो ३७९ तथा ४३६ का मुकदमा दर्ज किया है उस पर कहां तक कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री चरण सिंह---

जैसा मैंने अर्ज किया, तहकीकात चल रही है। पुलिस ने १४५ की कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी। केस तो यह है कि दो सभापतियों ने ८ सौ बीघा जमीन का पट्टा विद्यालय के नाम कर दिया, किन्तु एस० डी० ओ० ने उसे एप्रूव नहीं किया। इस पर विद्यालय ने कमिश्नर के यहां अपील की। इस बीच अब एक चौकीदार ने यह रिपोर्ट की कि चौथी तारीख को शाम को पांच बजे कुछ लोग वहां की फसल काटकर ले गये, ऊंटों पर लाद कर ले गये उसकी जांच हो रही थी कि प्रिंसिपल की यह रिपोर्ट आ गई कि आग लगा दी। और कोई उसका चश्मदीद गवाह नहीं था। गांव के दो आदमियों ने सिविल कोर्ट में इस को लेकर दावा कर दिया है। कमीशन मौके पर गया था। जब रिपोर्ट मौके पर आई थी उसकी तहकीकात की गई। तो कोई भयावह स्थिति नहीं है, जैसा उसका जिक्र किया जा रहा है। १४५ की कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां, नक्सलपंथी के बारे में मेरे दोस्त ने कहा, किसी चीज को खामख्वाह नक्सलपंथी कहने से बड़ी विषम स्थिति

पैदा हो जाती है। इससे मालूम पड़ता है कि बड़ी भयानक स्थिति हो गई है। जबकि वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक साधारण बात है कि दो सभापतियों ने एक पट्टा किया, उसके विवाद हैं। ऐसे झगड़े तो प्रायः होते रहते हैं।

फतेहगढ़ के व्यापारियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार ७ मार्च, १९७० को थाना कोतवाली, फतेहगढ़ के पुलिस कर्मचारी सर्वश्री राम किशन, श्री मुरारी लाल तथा गंगा दयाल को गिरफ्तार करके थाने पर लाये तथा धारा १६० भा० द० वि० के अन्तर्गत यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि सर्वश्री राम किशन व श्री किशन एक ओर से तथा मुरारी लाल व गंगा दयाल दूसरी ओर से आपस में गल्ला मंडी के सामने सार्वजनिक सड़क पर मारपीट व दंगा कर रहे थे तथा मना करने पर न माने। यह लोग थाने पर सवा तीन बजे अपरान्ह आये थे तथा ३ बजकर ४० मिनट पर जमानत पर रिहाकर दिये गये। इन चारों व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट अदालत को ८ मार्च, १९७० को भेज दी गई तथा यह मुकदमा विचाराधीन है। इस घटना में पुलिस अधीक्षक का कोई अर्दली सम्बद्ध नहीं पाया गया।

८ मार्च, १९७० को प्रातः पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि गल्ला मंडी के व्यापारियों ने पुलिस की ज्यादती के कारण हड़ताल करने का निश्चय किया है। पुलिस अधीक्षक को उसी दिन एक शिकायती पत्र दिया गया जिसमें यह शिकायत की गई थी कि ७ मार्च, १९७० को थाने बुलाकर थानाध्यक्ष ने सर्वश्री राम किशन, श्री किशन, गंगा दयाल व मुरारी लाल को मारा जिससे उनको चोटें आई। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना की तुरन्त जांच करने के आदेश उप पुलिस अधीक्षक को दिये। बाद में इस शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक ने स्वयं अपने हाथ में ले ली है तथा जांच पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की जायगी।

८ व ९ मार्च, १९७० को गल्ला के फुटकर विक्रेताओं ने तो बिक्री नहीं की परन्तु आढ़तियों ने गल्ला खरीदा। गल्ला मंडी प्रत्येक मंगलवार को बन्द रहती है। अतः १० मार्च १९७० को हड़ताल का प्रश्न नहीं उठता। ११ मार्च १९७० को एक बाजार की कुछ दुकानों को छोड़कर नगर की शेष सारी दुकानें खुली। ११ मार्च १९७० को एक व्यक्ति श्री सतीश चन्द्र ने भूख हड़ताल करने की घोषणा की परन्तु पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाने पर तथा उनके द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच वे स्वयं करेंगे श्री सतीश चन्द्र ने अपनी भूख हड़ताल त्याग दी तथा जो कुछ दूकानें बन्द थीं वे भी खुल गई।

नगर में स्थिति अब पूर्णतया शांतिपूर्ण है। जांच से दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

कनछेदित डी० वाई० एस० पी० का अर्दली था, वह गल्ला खरीदने गया था, जब तौलायी मांगी गई दलाली पर, तो तौलाई न देने पर दंगा किया और मारपीट की गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जो पहले ऐप्लीकेशन दी है, उनको बताया जाता है उससे संबंधित हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने शिकायत में नहीं लिखा है कि उस अर्दली ने ऐसा किया है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, ने इस मामले की जांच स्वयं अपने हाथ में ले लिया है या किसी डी-वाई० एस०पी० से करायेंगे, अपनी पावर को डेलीगेट तो नहीं करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

पुलिस अधीक्षक स्वयं जांच करेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---(जिला बाराबंकी)

जिस तरह की शिकायत और वाक्या है उससे ज्ञात होता है कि मार पीट जरूर हुई । क्या शिकायत यह भी है कि यह जो मुकदमा कायम किया गया, बना कर फर्जी कर दिया गया और जो अब तक जांच हुई है उसका क्या नतीजा निकला ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

लोगों का कहना यह है कि पुलिस ने ही मारपीट की, पुलिस का कहना है कि लड़ रहे थे, घूंसों और डंडों से, क्या यह सच है, यह सुपरिंटेंडेंट पुलिस तहकीकात कर रहे हैं ।

इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९-३-७० को लगभग ९ बजे रात में जब थानाध्यक्ष, खुल्दाबाद, अपने क्षेत्र में गश्त पर थे तो उन्हें सूचना मिली कि हिम्मतगंज दायरा मुनव्वरशाह के पास जी० टी० रोड पर दो दलों के बीच ढेले बाजी हो रही है। उन्होंने थाने से फोर्स मंगाने की व्यवस्था की और स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों दलों के एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, शेष व्यक्ति भाग गये । जांच से यह ज्ञात हुआ कि एक ही सम्प्रदाय के दो व्यक्तियों-केदार और हिन्द लाल में आपसी मनमुटाव था । घटना के समय जब केदार अपने दो साथियों के साथ सड़क से जा रहा था तो अपने विरोधी हिन्द लाल तथा उसके साथी को देख कर गाली दी । इस पर हिन्द लाल व उसके साथी ढेले बाजी करने लगे । केदार व उसके साथियों ने भी ढेले व बोतलें फेंकी । केदार का भाई तथा कुछ अन्य व्यक्ति भी उसकी सहायता में आ गये । केदार ने फायर भी किया किन्तु ढेलों, बोलतों और गोली से किसी को चोट नहीं लगी ।

थानाध्यक्ष खुल्दाबाद की रिपोर्ट पर हिन्द लाल व उसके साथियों के विरुद्ध धारा १४७/३३६ भा०दं०वि० के अन्तर्गत तथा केदार व उसके साथियों के विरुद्ध धारा १४७।१४९ १४८/३३६/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमें कायम किये गये, जिनकी जांच की जा रही है। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस ने दोनों पार्टियो के व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए रिपोर्ट न्यायालय में दी है । एक पार्टी के चार तथा दूसरी के तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

फरार मुलजिमों के तलाश के लिए पी० ए० सी० की सहायता ली गई थी किन्तु अब केवल स्थानीय पुलिस देख-रेख कर रही है ।

इस घटना में साम्प्रदायिकता की कोई बात नहीं है। फिर भी शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा गश्त का समुचित प्रबन्ध किया गया है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

बताया गया है कि एक पार्टी के चार और दूसरी पार्टी के तीन व्यक्ति पकड़े गये हैं । क्या माननीय मंत्री इन सातों व्यक्तियों के नाम बताने की कृया करेंगे. ?

श्री ओमप्रकाश सिह--

जो व्यक्ति पकड़े गये हैं वे ये हैं-कुम्भनाथ, सीताराम, बैजनाथ, अजमत खां, एक पार्टी के, हिन्दलाल, मल्लू, याकूब, अयूब, मुन्ना दूसरी पार्टी के ।

श्री राम गोपाल संड. -

क्या पिछले दिनों में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ था उसमें अधिकांश लोग साम्प्रदायिक दंगें में पकड़े गये थे ?

श्री ओमप्रकाश सिह. -

सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामगोपाल संड---

जब यह झगड़ा हुआ सारा इलाहाबाद बन्द हो गया था, पी० ए० सी० लगा दी गयी थी, वही गुंडे जिन्होंने पिछली बार झगड़ा किया था, झगड़ा शुरू कर दिया, मोहर्रम और होली का अवसर है, आप इस प्रकार का प्रबन्ध करें जिससे इलाहाबाद में शांति रहे ।

बुलन्दशहर तथा शाहजहांपुर जिलों में उपलवृष्टि से तथा आजमगढ़ जिले में उपलवृष्टि व झुलसा रोग से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य एवं रसद उपमंत्री (श्री राम किंकर)---

माननीय सदस्य सर्वश्री शमीम आलम तथा सुरेंद्र विक्रम ने सूचना दी है कि १० मार्च, १९७० को जिला बुलन्दशहर में तथा शाहजहांपुर जिले के परगना खेड़ा बझेड़ा में वर्षा तथा ओलावृष्टि से भयंकर क्षति हुई है । परगना खेड़ा बझेड़ा में रबी की फसल टुकड़े-टुकड़े होकर खेतों में बिछ गयी है । पेड़ों के पत्ते व छाल तक नहीं बचे हैं। हजारों पक्षी मर गये हैं तथा सैकड़ों पशुओं तथा मनुष्यों को चोट आई है तथा कुछ पशु और मनुष्य मर भी गये हैं। सर्वश्री दल सिंगार यादव तथा राम करन ने सूचना दी है कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में पश्चिमी हिस्से में भयंकर झुलसा, गेरुई, तत्पश्चात् बहुत वृष्टि तथा ओले से रबी की फसल को भयंकर क्षति हुई है। पूरे क्षेत्र में भयंकर हाहाकार मचा है। आदमी, अन्न और पशु चारे के अभाव में भूखों मर रहे हैं । ऊपर से सरकारी वसूली जारी है।

शाहजहांपुर में १० मार्च, १९७० को सायंकाल वर्षा तथा ओला वृष्टि हुई। इससे कुल ६६४ गांव प्रभावित हुए जिसमें से १२५ ग्राम परगना खेड़ा बझेड़ा ५० ग्राम परगना निगोही तथा ८० ग्राम परगना पोवायां के बुरी तरह प्रभावित हुए । खेड़ा बझेड़ा के ये ग्राम पिछली बाढ़ में भी बुरी तरह प्रभावित हुये थे । इन ग्रामों में गन्ने की फसल को छोड़ कर अन्य सभी फसलों की क्षति लगभग शत प्रतिशत हुई है। किसी व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना नहीं है परन्तु ३ बकरियां तथा १ गाय मर गयी। मकानों को क्षति नहीं हुई । फसलवार क्षति का तखमीना लगाया जा रहा है । तिलहर तहसील में जिसमें खेड़ा बझेड़ा परगना भी शामिल है, १,८०,००० व्यक्ति प्रभावित हुये हैं। इस तहसील में ५,००० एकड़ गेहूं की फसल को १०,००० एकड़ चने तथा गेहूं की मिश्रित फसल को, २०० एकड़ सरसों की फसल को, ६,००० एकड़ मटर तथा ६,००० एकड़ चने की फसल को क्षति पहुंची है। ५०,००० रु० अहेतुक सहायता शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा

[श्री राम किंकर]

५०,००० रु० आपातकालीन तकावी देने के लिए राजस्व परिषद् द्वारा व्यवस्था की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में नियमानुसार कृषि देयों की वसूली स्थगित की जा रही है।

बुलन्दशहर में १० मार्च, १९७० को ३ बजे अपरान्ह से ५ बजे सायंकाल तक ओलावृष्टि हुई। ओले बेर के बराबर थे। जिले की सभी तहसीलों अर्थात् अनूपशहर, सिकन्दराबाद खुर्जा तथा सदर प्रभावित हुई। सबसे अधिक क्षति सिकन्दराबाद तहसील में तथा सदर तहसील के परगना अगोटा तथा बरोन में हुई। जिलाधिकारी ने कई एक गांवों का स्वयं निरीक्षण किया और उन ग्रामों में क्षति लगभग शत प्रतिशत पाई। बाकी गांवों का निरीक्षण अन्य अधिकारी कर रहे हैं और आशा की जाती है कि उनकी रिपोर्ट शीघ्र आ जायगी। एक मनुष्य तथा एक पशु के मृत्यु की भी सूचना प्राप्त हुई है। बुलन्दशहर को ३०,००० रु० अहेतुक सहायता के लिये दे दिये गये हैं। जिलाधिकारी इसके तुरन्त वितरण की व्यवस्था कर रहे हैं। राजस्व परिषद् ५०,००० रु० आपातकालीन तकावी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जहां फसल को ५० प्रतिशत या उससे अधिक हानि हुई है, मालगुजारी चालू व बकाया तथा सभी कृषि देयों की वसूली के स्थगन के आदेश दे दिये गये हैं।

जिलाधिकारी आजमगढ़ ने सूचित किया है झुलसा रोग से केवल गेहूं की फसल में लगभग २ प्रतिशत क्षति हुई है। २,००० एकड़ क्षेत्रफल में झुलसा रोग पर काबू पा लिया गया है। लगभग १,३०,००० एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल को माह फरवरी में वर्षा या उपलवृष्टि से क्षति पहुंची है। मटर की फसल को १५ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तथा अन्य फसलों को १० प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक वर्षा से हानि हुई। उपलवृष्टि से अन्य फसलों को हानि २ प्रतिशत से १० प्रतिशत रही। परन्तु सगड़ी तहसील के करीब-करीब सभी गांवों में मटर की फसल की क्षति २५ प्रतिशत तक हुई। फसल को क्षति ५० प्रतिशत से कम होने के कारण किसी प्रकार की सहायता दिये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

बुलन्दशहर जिलाधिकारी से अभी-अभी सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार १० मार्च की ओलाबारी से ८११ गांव प्रभावित हुये हैं। इससे २,७९,७०९ एकड़ की फसलें नष्ट हुई हैं। फसलों की क्षति के प्रतिशत अलग अलग गांवों में अलग अलग है। कुछ गांवों में फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है। पांच पशुओं की मृत्यु हुई है। कुल फसलों की क्षति का मूल्यांकन लगभग ६ करोड़ २२ लाख रुपये आंका गया है। जिलाधिकारी ने अब ५ लाख आपदा तकावी के लिए तथा डेढ़ लाख रुपया अहेतुक सहायता के लिये मांगा है जिसको दिये जाने की व्यवस्था की जा रहीं है। चारे की कमी की संभावना पैदा हो गई है और उसे दूर करने की व्यवस्था की जा रही है। तेईस हजार रुपया अहेतुक सहायता बांटने के लिए तहसीलदारों को दिया जा चुका है। तहसील बुलन्दशहर तथा सिकन्दराबाद में सस्ते गल्ले की दुकानें खोल दी गई हैं। प्रभावित गांवों से गन्ना चीनी मिलों में प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। तहसील अनुपशहर सदर व खुर्जा के उन ग्रामों में जहां क्षति ५० प्रतिशत या उससे अधिक है वसूली स्थगित की जा रही है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

तिलहर में जहां सुरेंद्र विक्रम जी का गांव है उस क्षेत्र में बड़ी क्षति हुई है ओला की वृष्टि से और लगभग शत प्रतिशत गेहूं की फसल नष्ट हो गयी है तो क्या वहां सरकार सस्ते गल्ले की दुकान खोलने पर विचार कर रही है?

सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

इस संबंध में जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं। ऐसे सभी प्रभावित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें या तो खोली जा चुकी हैं अथवा खोली जा रही हैं।

बुलन्दशहर तथा शाहजहांपुर जिलों में उपलवृष्टि से तथा आजमगढ़ जिले में १६९ उपलवृष्टि व झुलसा रोग से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री आभी (जिला आजमगढ़)--

झुलसा रोग से आजमगढ़ में न केवल गेहूं की फसल को बल्कि सारी धान व मटर की फसल को भी बहुत नुक्सान हुआ है । जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट जो आई है। क्य माननीय मंत्री इस संबंध में पुन: जांच करायेंगे और सत्यता की जानकारी करेंगी और भविष में इस बात की व्यवस्था करेंगे कि झुलसा रोग की रोकथाम हो सके और जो नुक्सान हुआ है उस लिये विशेष सहायता दिये जाने की भी व्यवस्था सरकार करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

यह बात सही है कि झुलसा रोग आजमगढ़ जिले में विस्तृत रूप से आया लेकिन उसके निराकरण के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गयी थी और उसके अनुसार यहां के कृषकों को इससे संबंधित दवा की उपलब्ध की व्यवस्था की गयी थी और सरकार द्वारा अनुदान देने की भी व्यवस्था की गयी थी । जिन कृषकों ने इस योजना का लाभ उठाया उनका खेत झुलसा रोग से बच गया और जो उससे लाभ उठाने के लिये तैयार नहीं हुए निश्चित रूप से उनके खेतों को हानि हुई ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या यह ठीक है कि कृषि विभाग के अध्यक्ष अभी तक यह पता नहीं लगा पाये कि झुलसा रोग क्या है तो दवा फिर कौन सी दी गयी ?

श्री शिवराज सिंह--

दवा निश्चित है और उसका उपयोग करने से निश्चित रूप से इस बीमारी से बचा जा सकता है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

आजमगढ़ जिले में झुलसा रोग से जो भारी नुकसान हुआ है उस संबंध में माननीय मंत्री फिर से जांच करवा लें क्योंकि ओलावृष्टि से जो नुक्सान हुआ है वह भारी है और जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया है और क्या सरकार इस जिले को सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि झुलसा की जो बीमारी है जिससे पिछली धान की, गेहूं और मटर की फसल खराब और तबाह हो गई है उसका कारण नहीं जाना जा सका है । जो दवायें वहां इस्तेमाल की गई हैं उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और कोई फायदा नही हुआ । मैं यह कहूंगा कि इन सारी शिकायतों की जांच करायेंगे और जो बरबादी हुई है उसमें कृषि विभाग द्वारा दवाओं वगैरा का भी ढकोसला शामिल है उन तथ्यों की जांच करायेंगे और भविष्य में किसानों को इससे बचाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उस पर अवश्य विचार किया जायेगा परन्तु श्रीमन्, यह सही नहीं है कि झुलसा बीमारी का कोई उपचार नहीं है। डाइथिन जिक कैमीकल्स तथा प्राफेलेक्टिक्स के छिड़काव करने से निश्चित रूप से इस रोग से बचाया जा सकता है और आजमगढ़ में काफी मात्रा में डाइथिन जिक कैमीकल्स और प्राफेलेक्टिकस वगैरा रखने

[श्री शिवराज सिंह]

की व्यवस्था की गई । लेकिन कृषकों ने जिस मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिये था नहीं किया । इसलिये जिले को पूर्णतया इस रोग से बचाया नहीं जा सका ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने कहा कि दवा से कोई फायदा नहीं हुआ मैं इसके खिलाफ हूं । लेकिन जिन खेतों पर इसका इस्तेमाल हुआ और किसानों को यह दवायें मिल गईं उनको बचाया जा सका । लेकिन हकीकत यह है कि मंत्री जी ने कहा कि कृषकों ने उसका इस्तमाल नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं निजी तौर पर जानता हूं कि बहुत से खेतों पर उस वक्त पहुंचे जब झुलसा रोग लग गया था और सारी धान की फसल खत्म हो चुकी थी । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में जो किसानों का नुक्सान हुआ है वह महकमें की लापरवाही से हुआ है । इस पर कृषि मंत्री जी को तवज्जुह देना चाहिये और कर्मचारियों की हिमायत नहीं करनी चाहिये ।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तथ्य जिस तरह से होते हैं उसी तरह से बयान किये जाते हैं । अगर सरकारी कर्मचारियों की गलती होगी तो उसको स्वीकार करेंगे और भविष्य के लिये व्यवस्था करेंगे कि ऐसा न हो । मैं स्पष्ट कर दूं कि झुलसा रोग के लग जाने पर कोई उपचार नहीं है। लेकिन इससे पहले उसको बचाया जा सकता है। अगर फसल सूख गई है तो उसको किसी भी उपचार से हरा नहीं किया जा सकता है । पहले से उपाय कर लेने से इस बीमारी से बचाया जा सकता है। खेतों में डाइथिन जिंक कैमीकल्स और प्रोफेलेक्टिक्स के छिड़काव से उनको बचाया जा सकता है। यह बीमारी बाहर से आई । जो बीज बाहर से आया उसमें यह बीमारी आई । इसलिये क्वारंटाइनमेजर्स नहीं लिये जा सके । यह बीज के माध्यम से बीमारी हुई है । हमने विभाग को भी चेतावनी दे दी है कि जो बीज बाहर से आये उसके लिए पूरी सावधानी बरती जाय जिससे बीमारी न फैल सके ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में विशेष रूप से हानि हुई है और माननीय मंत्री वीरेंद्र वर्मा जी भी देख आये हैं तो क्या वे तकावी की राशि डेढ़ लाख करने की कृपा करेंगे जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके ?

श्री राम किंकर—

तकावी के लिए जो मांग है उसके संबध में पहले मैंने यह सूचना दी थी कि ३० हजार रुपया अहेतुक सहायता के लिये है तथा ५० हजार की और व्यवस्था की जा रही है । डेढ़ लाख रुपये की जो मांग है, उस पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

संयोग का विषय है कि माननीय मंत्री जी के सामने २–३ जिलों का जिक्र है। मैं उनके सूचनार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला आजमगढ़ तथा दूसरे कई जिलों की भी ऐसी स्थिति है, जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि ओलावृष्टि की वजह से वहां की फसल खंड-खंड हो गयी है और उसी क्षेत्र में बाढ़ भी आ गयी थी, इसलिये वहां की स्थिति भयानक है। सरकार ने तात्कालिक सहायता के लिए रुपया तो स्वीकार किया है लेकिन मेरी सूचना यह है कि वह अभी दी नहीं गयी है, इसलिये शीघ्र से शीघ्र उस रुपये को दिलवाने की व्यवस्था की जाय ।

एक सदस्य—

जिस जिले के संबंध में यह प्रश्न है, क्या कोई सदस्य उस जिले के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पूछ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रश्न को सुझाव मानकर और आवश्यक सूचना मान कर माननीय मंत्री जी नोट भी कर रहे हैं और अगर वे जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए उनको मजबूर नहीं कर सकता ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मैं माननीय शास्त्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि जहां नुक्सान ज्यादा हुआ है वहां उनको तात्कालिक रिलीफ पहुंचाने के लिए ही आदेश दे दिये गये हैं । मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि रेवेन्यू मैन्युअल में यह व्यवस्था है कि नुकसान के अनुसार एस० डी० ओ० अथवा कलेक्टर मौके पर जाते हैं । आपने जवाब में देखा होगा कि कई जगह कलेक्टर भी गये । तो जिलाधीश जैसा मौके के नुक्सान के हिसाब से उचित समझेगा और सहायता के लिये जितना धन वह चाहेगा उसको सहायता पहुंचाने की कोशिश की जायगी, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं ?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा आइटम नंबर ९ की घोषणा करने पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, एक प्वाइंट आफ आर्डर है । मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैंने दूसरा आइटम ले लिया है। अब आप बैठ जाइये । इस पर और प्रश्न नहीं होंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मैं नहीं बैठूंगा । आप चाहें तो मुझे निकलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बाद में आये । प्रतिपक्ष ने यह कह दिया था कि १-२ सवाल ही होंगे, लेकिन मैंने कई सवालों की इजाजत दे दी । इस पर मैं बहुत से सवालों को करने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

माननीय सदस्य को एक छोटा सा सवाल करना है। विशेष परिस्थिति में एक प्रश्न उनको कर लेने दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यहां पर जो झुलसा का सवाल उठाया गया है, उसके संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को जिनको गांवों में जाने का इत्तफाक होता है, हम लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह सूचना है कि झुलसा से प्रभावित फसल को नुक्सान से नहीं बचाया जा सका । दूसरी बात यह थी कि इसके सिलसिले में करीब ४० लाख रुपया कृषि विभाग द्वारा बरबाद किया गया लेकिन उसका कोई असर या लाभ किसानों को नहीं मिला ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका उत्तर तो दिया जा चुका है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसका उत्तर नहीं आया है। मुख्य मंत्री जी कृपया इस शिकायत पर ध्यान दें कि रुपया बरबाद किया गया है और समय पर दवाई नहीं पहुंची है। मैं कहता हूं कि दवाई से फायदा भी नहीं हुआ है क्योंकि पता नहीं कि कैसी दवाई थी। तो यह ऐसा विषय है कि जिसकी तरफ स्वयं ध्यान देकर सदन को संतुष्ट कर देना चाहिये।

श्री चरण सिंह---

जो जायसवाल जी ने कहा है वह प्रश्न ठीक है कि समय पर दवाई नहीं आई है। आप इजाजत दें तो मैं जवाव देना चाहता हूं। आपको शिकायत है कि रुपये का दुरुपयोग और बदमाशी हुई है। तो यह शब्द कहना ठीक नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने बदमाशी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। वह हमारे मुंह में यह शब्द रख रहे हैं। तो मुख्य मंत्री जी को सुनने में भ्रम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

लखपत खेड़ा में जब से ओले गिरे हैं तब से लोगों को खाना नहीं मिला है और चूल्हे नहीं जले हैं, तो क्या मुख्य मंत्री जी वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवायेंगे और पटवारी जो बदमाशी कर रहे हैं उनको दंडित करायेंगे ?

एक सदस्य---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने बोलते समय एक ऐसा शब्द कहा जो मैं बतलाऊंगा नहीं तो वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यवाही से एक शब्द भी निकालने के पक्ष में मैं नहीं हूं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

जहां क्षति हुई है वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के लिए आदेश चले गये हैं।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

झुलसा रोग उसी तरह से है जैसे आदमियों में हैजा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे हैजे आदि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से अपने खर्चे पर व्यवस्था की जाती है तो क्या इसके लिए भी सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि अपने खर्चे पर इसको खतम करावें। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने बतलाया कि जहां किसानों ने दवाई का इस्तेमाल नहीं किया उनको फायदा नहीं हुआ है। तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अन्न कम पैदा होने का सारे देश पर असर पड़ेगा। तो क्या सरकारी स्तर पर किसान चाहे या न चाहे इस बीमारी को दूर करने के लिए मुख्य मंत्री जी कोई योजना तैयार करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मुख्य मंत्री जी अभी मेरे सवाल का उत्तर दे रहे थे, तो आप दिलवा दें। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कुछ कहेंगे ?

श्री चरण सिंह---

मैं जवाब दे रहा था आपने नहीं देने दिया । मैं फिर अर्ज करता हूं कि माननीय जायसवाल ने यह पूछा कि जो उस समय वक्त पर दवाई नहीं मिली और ३०,४० लाख रुपये गवर्नमेंट के खर्च हो गये, ऐसी शिकायत मेरे कान में आई थी और १५ दिन पहले मैंने यह आदेश दिये थे कि इस तरह की जो शिकायतें प्लांट प्रोटेक्शन विभाग के खिलाफ आ रही हैं उनकी तहकीकात की जाय । इस संबंध में पहले जायसवाल जी ने और फिर सुरेंद्र विक्रम सिंह जी ने लफ्ज बदमाशी कहा है, यह ठीक नहीं है। यह पहली मर्तबा उनकी जवान से निकला था । मेरा यह मतलब राज्य कर्मचारियों से था कि गल्तियां होती हैं और कुछ जानबूझकर गल्तियां होती हैं लेकिन अगर वह शिकायत नोटिस में आ गई तो तहकीकात करा लेंगे ।

अगर वह शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी और उसको सजा मिलेगी । हमारे माननीय मित्र ने जो अभी शब्द इस्तेमाल किया कि बदमाशी हो रही है, वह शब्द अच्छा नहीं है । उस लफ्ज को यहां इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये । जिस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार के लफ्ज कहे हैं वह यहां पर अपने को डिफैन्ड करने के लिये मौजूद नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बदमाशी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने यह कहा था कि ४० लाख रुपयों की जो बरवादी हुई है वह नहीं होनी चाहिये ।

बहराइच जिले के गौरा पिपरा तथा कड़ा गांवों में बाढ़ पीड़ितों के झोपड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाथियों से रौंदवाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

माननीय सदस्य श्री पारसनाथ सिंह ने नियम ५१ के अन्तर्गत सदन का ध्यान उस प्रश्न की ओर आकर्षित किया है कि बहराइच जिले की तहसील नानपारा के ग्राम गौरापिपरा तथा कंडा में सरकारी अधिकारियों द्वारा जिन बाढ़ पीड़ितों को बसाया गया था वन विभाग के कमचारियों ने उनके झोपड़ों को जानबूझ कर हाथियों से रौंदवाया जिससे सबकी सम्पत्ति नष्ट हो गई जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई थी लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और बाढ़ पीड़ितों को, जिनमें अधिकांश हरिजन थे, कोई हर्जाना नहीं दिया गया ।

२---इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि माननीय पारसनाथ सिंह जी तथा माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, नेता जनसंघ विधान मंडल ने २० सितम्बर, १९६९ को इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था । इस पत्र के आधार पर शासन की ओर से कलेक्टर, बहराइच तथा कन्जरवेटर आफ फारेस्टर, पूर्वी वृत्त, गोरखपुर को तुरन्त जांच और आवश्यक कार्यवाही हेतु २५ सितम्बर, १९६९ को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया था । कलेक्टर तथा कन्जरवेटर दोनों ही ने यह रिपोर्ट दी है कि शिकायतें तथ्यहीन हैं ।

कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार वस्तु स्थिति इस प्रकार है :

"बहराइच जिले में अगस्त १९६९ में भीषण बाढ़ आई हुई थी । इस बाढ़ से नानपारा तहसील भी प्रभावित हुई थी ।

[श्री शिवराज सिंह]

नानपारा तहसील के उत्तरी भाग में ग्राम सभायें गौरा-पिपरा और निदीपुरवा स्थित हैं। दोनों गांव सभाओं में गांव समाज की कुछ ऐसी भूमि है जिस पर पेड़ खड़े हैं और जंगल के रूप में है। ऐसी भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरित करने का मामला विचाराधीन है। जब तक यह भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं कर दी जाती तब तक उनकी देखरेख करने के लिये जिला अधिकारी ने उप अरण्यपाल बहराइच को अधकृत कर दिया था। ग्राम गौरा-पिपरा की सीमा में स्थित गांव सभा के जंगल को लोग चांदाझार तथा निद्धीपुरवा के गांव सभा के जंगल को कंडा जंगल के नाम से पुकारते हैं।

यह दोनों जंगल सरजू नदी के किनारे स्थित हैं। आसपास की भूमि की अपेक्षा जंगल का धरातल कुछ ऊंचा है। पिछली बाढ़ में गौरा-पिपरा, भगड़िया, निद्धीपुरवा आदि गांवों के निचले भागों में बाढ़ का पानी फैल जाने पर गरीब तबके के लोग चांदाझार और कन्डा के जंगलों में आकर अस्थाईरूप से ठहर गये। उनकी देखादेखी अन्य लोग भी इन्हीं जंगलों में आकर बसने का प्रयास करने लगे। चांदाझार के जंगल में मुख्यत: गौरापिपरा के लोग और कन्डा जंगल में भगड़िया तथा अन्य गांवों के लोग जंगल की झाड़ियों को साफ करके और छोटे-मोटे पेड़ों को काट कर झोपड़ियां डालने लगे।

इसकी सूचना पाने पर वन विभाग के मोतीपुर रेंज के फारेस्टर श्री राम जी सिंह कुछ फारेस्ट गार्डों के साथ चांदाझार के जंगल में १२-९-१९६९ को गये। उन्होंने जंगल में अनेक झोपड़ियां बनी हुई पाई और देखा कि झाड़ियां साफ की गयी हैं और छोटे मोटे पेड़ भी काटे गये हैं। उन्होंने इन सब कार्य को अनधिकृत बताया। स्थानीय ब्लाक प्रमुख श्री रघुनायक सिंह जो संयोग से क्षेत्रीय विधायक श्री पारस नाथ सिंह के सगे भाई हैं गौरा-पिपरा ग्राम के ही रहने वाले हैं। फारेस्टर के मौके पर जाने पर वे भी वहां आ गये और उन्होंने फारेस्टर को इस मामले में हस्तक्षेप करने से रोका।

सारे रास्ते में पानी व कीचड़ भरा रहने के कारण तथा रास्ते में सरजू नदी पड़ने के कारण फारेस्टर मोतीपुर से वन विभाग के हाथी पर सवार होकर गये हुये थे। बाद में यह शिकायत आई कि उन्होंने हाथी से झोपड़ियां उजड़वाई। इस शिकायत की जांच परगनाधिकारी द्वारा की जाने पर यह पता लगा कि फारेस्टर ने जानबूझ कर हाथी से झोपड़ियां नहीं रौंदवाईं और भावावेश में इस प्रकार का आरोप बढ़ाचढ़ा कर किया गया।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वन विभाग में केवल एक ही हाथी है और केवल चांदाझार के जंगल में इसके जाने की बात कही जाती है। कन्डा जंगल में हाथी द्वारा झोपड़ियां उजड़वाने का आरोप नहीं है।

सम्भवत: प्रारम्भ में कुछ वास्तविक बाढ़-पीड़ित लोग ही इन जंगलों में आये किन्तु बाद में उनकी देखा देखी और राजनैतिक प्रोत्साहन प्राप्त करके अन्य लोगों ने भी जो वास्तव में जरूरतमन्द नहीं थे जंगल में डेरा डाल दिया। इन लोगों ने गांव सभा की वन सम्पत्ति को हानि पहुंचाई इस प्रकार के अतिक्रमणों को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बाद में और अधिक जांच करने के बाद यह निश्चय किया गया कि केवल ऐसे व्यक्तियों को जिनके घरों में बाढ़ का पानी भर जाता हो उन्हें इन जंगलो के किनारे कुछ भाग में सुव्यवस्थित रूप से बसने दिया जाय जिससे गांव सभा की सम्पत्तिपर मनमाने ढंग से अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति रोकी जा सके और साथ ही साथ बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को राहत भी मिले। इस निर्णय के फलस्वरूप चांदाझार जंगल के ४.२२० एकड़ क्षेत्रफल में गौरा-पिपरा ग्राम के ६७ परिवारों को बसने के लिये यथेष्ट भूमि दे दी गयी। इसी प्रकार कन्डा जंगल के ५ एकड़ क्षेत्रफल में भगड़िया ग्राम के ६० परिवारों को बसने के लिये जगह दे दी गई है।

इन व्यक्तियों के अतिरिक्त कन्डा जंगल में ३५ अन्य व्यक्तियों ने जो विभिन्न गांव से जैसे पुरैना, सरकिला, नयी बस्ती आदि से आये थे अतिक्रमण कर रखा था। जांच के समय उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे खेती के लिये भूमि चाहते हैं और उसी स्थान पर बसना चाहते हैं जहां उन्हें खेती के लिये भूमि मिले। उनकी समस्या अन्य बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों से भिन्न थी। अतः उन्हें कन्डा जंगल में घर बनाने की भूमि नहीं दी गई है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध गांव सभा की भूमि में अतिक्रमण करने के कारण जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम११५ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। धारा ४४७ भारतीय दंड विधान की रिपोर्ट भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज करा दी गयी है।

जिन व्यक्तियों को बसने के लिये भूमि दे दी गयी है उनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही रोक दी गयी है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि नानपारा तहसील के उत्तरी भाग में गत कुछ वर्षों में गांव सभाओं की भूमि पर व्यापक रूप से अतिक्रमण हुआ है। यह प्रवृत्ति अब भी यदाकदा उभर आती है। प्रस्तुत मामले में भी बाढ़-पीड़ितों का सहारा लेकर कुछ अवांछनीय तत्वों ने गांव सभाओं की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने का प्रयास किया था और यदि समय से उसे रोका न जाता तो गांव सभाओं की सम्पत्ति की बहुत हानि होती?" जिलाधिकारी, परगनाधिकारी तथा उप अरण्यपाल तीनों की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि आरोप निराधार हैं।

ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा शिकायत "अतिशयोक्तिपूर्ण" है। अतिशयोक्ति को निकालते हुये शिकायत क्या है? दूसरी बात यह है कि कितनी झोंपड़ियों को उजाड़ने के लिये कितने हाथियों की आवश्यकता पड़ती है? अतिशयोक्ति निकालकर असली शिकायत क्या है?

श्री शिवराज सिंह—

पूर्व गामी सरकार के कार्यकाल में इस शिकायत की जांच करायी गयी थी। जो रिपोर्ट उस जमाने में प्राप्त हुयी थी उसी के आधार पर वक्तव्य तैयार किया गया है। जिन रिपोर्ट्स को पूर्वगामी सरकार ने स्वीकार कर लिया था उन्हीं के आधार पर वक्तव्य तैयार किया गया है। श्रीमन्, मैंने इन रिपोर्ट्स को देखा है। इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट परगना अधिकारी के यहां से प्राप्त हुयी है और दूसरी फारेस्ट विभाग से आयी है। इन दोनों रिपोर्ट्स को देखते हुये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इनकी और छानबीन की जानी चाहिये। तत्पश्चात् मैं इस अवस्था में हूंगा कि माननीय सदस्य को संतुष्ट कर सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं बहराइच जिले के जो विधायक हैं उनके लिये प्रार्थना करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वनाधीश के कहने पर जिलाधीश महोदय ने नानपारा तहसील के उप मंडलाधीश का बयान बदलवा दिया था और क्या वे उप मंडलाधीश, नानपारा की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा कि, मान्यवर, मैंने कहा कि यह पूर्व मंत्रि-परिषद् की जांच है। मेरा विवेक मेरे साथ है। मैं उस जांच से संतुष्ट नहीं हूं। मैं स्वयं कुछ सप्लीमेन्टरी क्वैस्चन्स करके इसकी जांच करवाऊंगा। यह उचित होगा कि माननीय सदस्य इस सवाल को फिर उठावें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी केवल इस बात पर विचार करेंगे कि उनक ख्याल से यह सम्भव हो सकता है कि यह झोपड़ियां हाथियों के द्वारा ही उजाड़ी गयीं और इस प्रकार की भावना मंत्री जी को भी इस समस्त पत्रावली से होती है ?

श्री शिवराज सिंह-

इस प्रकार की सम्भावना प्रतीत होती है लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है उसको देखते हुये उसकी पुनः जांच कराने की आवश्यकता है। लेकिन पूर्वगामी सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

सरकार पूर्वगामी और अन्तर्गामी नहीं होती। मंत्री जी के दिमाग में यह रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये।

श्री शिवराज सिंह--

लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ओढ़ना नहीं चाहता।

श्री रामचन्द्र आजाद द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

एक सदस्य ने अध्यक्ष को अपना त्याग-पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है "श्रीमन् मैं एतद्द्वारा सदन से अपने स्थान से दिनांक १६ मार्च, १९७० अपरान्ह से पद-त्याग करता हूं। आपका विश्वासपात्र रामचन्द्र आजाद।" श्री रामचन्द्र आजाद ने स्वयं आज १२.५८ बजे दोपहर को उपस्थित किया और हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये। आ० गो० खेर १६ मार्च, ७०।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह किस दल के थे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक १९७० जो विधान सभा द्वारा १० मार्च, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के, आज (१६ मार्च, १९७० को) वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ क अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक १९७० जो विधान सभा द्वारा १० मार्च, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के, आज (१६ मार्च, १९७० को) वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा १२ मार्च, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के आज (दिनांक १६ मार्च, १९७० को) वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (क्रमागत)†

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

यह जो कार्यवृत्त १३ तारीख का छपा है इसके पृष्ठ ३ पर लिखा है कि श्री महीलाल ने विवादान्त प्रस्ताव किया जो स्वीकृत हुआ। श्री कृष्णानन्द राय ने आपत्ति की कि कार्य-मन्त्रणा समिति में प्रस्तुत विधेयक के लाने का कोई संकेत नहीं किया गया था। विवादान्त प्रश्न जो श्री महीलाल जी ने उपस्थित किया था वह स्वीकृत नहीं हुआ था। उसके पहले ही आपत्ति हो गयी थी। यह गलत छपा है। सचिवालय को आपको बताना चाहिये था और यह नहीं रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष महोदय ने कह दिया था।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र की प्रथा में लोकतंत्रीय संस्थाओं के लिये यह कहना उपयुक्त होता यदि ये संस्थायें समय से पूर्व ही स्थगित कर दी जातीं और ये अधिकार जिलाधीशों के सुपुर्द कर दिये जाते। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसमें जिला परिषदों का पूरा समय समाप्त हो गया और पूरा समय ही समाप्त नहीं हुआ बल्कि दो वर्ष और अधिक हो गये और इन संस्थाओं के सम्बन्ध में आज शायद मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इधर और उधर, दोनों ओर के बैठने वाले महानुभावों को इनके कार्य के सम्बन्ध में बहुत बड़ी शिकायतें हैं। तो यह आवश्यक है कि जो हमारी लोक-तंत्रीय संस्थायें हैं, ग्राम सभा और जिला परिषदें, इनके सम्बन्ध में एक विचार होना चाहिये कि अपने प्रदेश में अगर इन संस्थाओं को रखना चाहते हैं तो इनमें क्या परिवर्तन किये जायं जिससे कि जो उनसे आशा की जाती है उसकी पूर्ति वे कर सकें। आप जानते हैं कि यह विषय बड़ा गम्भीर है और इसके विचार करने के लिये कुछ समय की भी आवश्यकता है। ऐसी दशा में इन संस्थाओं को, जिनको कि काफी समय हो चुका है और और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स क्रियेट हो गये हैं, समाप्त करके इनके अधिकार जिलाधीशों को दे दें और अगर यह आवश्यक हो या विरोधी पक्ष की तरफ से यह बात उचित समझी जाती है तो उसके सम्बन्ध में फिर कोई सलाहकार समिति की तरह निर्माण हो सकता है और जब परिस्थितियां ठीक हो जायं, किस तरह से क्या करना है इसका निश्चय हो जाय और उनका गठन हो जाय तो फिर यह जो बीच का समय है इसके लिये मेरे खयाल से यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह ठीक ही उपस्थित किया गया है। यह कहना कि कोई राजनीतिक कारण है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। तो मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामचन्द्र विकल पीठासीन हुये।)

---

†१३ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अल्पकालिक व्यवस्था विधेयक, १९७० पेश किया गया है और उस पर श्री बसंतलाल शर्मा की ओर से जो संशोधन उपस्थित है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह विधेयक जो पेश किया गया है इस के पीछे शुद्ध राजनैतिक द्वेष की पूर्त्ति और भेदभाव की बातें ही हैं। क्योंकि स्वयं जिला परिषद् अधिनियम में, आदि से अन्त तक यदि पढ़ें तो सब चीजों का निराकरण मौजूद हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई भी सदस्य अगर कोई गलत काम करता है तो इस में उनके लिये पूरे दंड का प्राविधान है। इसकी धारा २९ के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई परिषद् का सदस्य या पूरी जिला परिषद् ही अगर कोई गलत काम करती है तो इस में सारा प्रबन्ध हैं और सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को डिबार किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है और तीन साल तक आगे चुनाव लड़ने के लिये उनको मुमानियत की जा सकती है, उनको पदच्युत भी किया जा सकता है। इसी तरह से आगे एक और धारा २२५ है और धारा २२६ है जिस में जिला अधिकारी को इस बात का अधिकार है कि वह जिला परिषदों का निरीक्षण करे और वह देखे कि अगर कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है या गड़बड़ी की जा रही है या नियमों के अन्तर्गत काम नहीं हो रहा है तो उन को परिषदों के विरुद्ध कार्यवाही करने का पूरा अधिकार और पावर है इस अधिनियम, में तो जब यह सारी पावर मौजूद है तो मैं नहीं समझ सका कि यह जो सरकार द्वारा संशोधन विधेयक लाया गया है उसकी क्या जरूरत है? मंत्री महोदय को ऐसी कौन-सी आशंका थी जो कि इसकी जरूरत हो गई? यह तो सरकार की बुरी नीयत की बात है।

आप यह भी जानते हैं कि स्थानीय निकायों से विधान परिषद् के लिये चुनाव हो रहे हैं और उन पर इस तरह से सरकार अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। विधान परिषद् में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि चुने जाने वाले हैं और उसमें मतदान जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य, लोकल बाडीज के और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष व सदस्य वोटर होते हैं इसलिये अपना प्रभाव उस मतदान पर डालने के लिये यह किया जा रहा है ताकि विधान परिषद् में उनके मन के मुताबिक लोग पहुंच सकें। एकमात्र यही मन्शा उनकी मालूम होती है। यह एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है कि भविष्य में कोई भी सरकार, अगर पावर में आती है तो अपने मन के मुताबिक हर कानून को बनावेगी जो एक बना बनाया अधिनियम है और उस अधिनियम के आधार पर ये सुसंगठित संस्थायें हैं जो ठीक से चल रही हैं, उनको तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है ताकि उनके दल—बी० के० डी० की राजनीति ठीक से चल सके। यह चीज हमारे समझ में नहीं आती कि यह कहां तक उचित है? इस तरह से तो भविष्य में एक परिपाटी बन जायगी और आगे आने वाली सरकारें यही उदाहरण लेकर चलेंगीं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह कोई अच्छी भावना की बात नहीं है और जनतंत्र व पंचायती राज की भावना के एकदम विरुद्ध यह कदम है।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही है कि ३७ जिला परिषदों ने गलत काम किया है और शिकायतें भी आई हैं, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन-कौन-सी जिला परिषदें हैं और उनमें किन-किन अध्यक्षों ने गलत काम किये हैं, किन उपाध्यक्षों ने गलत काम किये हैं या कौन-कौन से जिला परिषद् के सदस्य हैं, जिन्होंने गलत काम किये हैं। यह बताने की उनमें हिम्मत होनी चाहिये और अगर नहीं बताया जाता है तो यों ही एक भय व आतंक की हवा बना दी गयी है क्योंकि स्थानीय निकायों से विधान परिषद् के चुनाव की बातें सामने आ रही हैं और वे चाहते हैं कि उनमें किसी न किसी प्रकार का रोब गालिब हो जाय। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें यह बात सदन के सामने लानी चाहिये थी कि फलां जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों ने गलत काम किया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। तो श्रीमन्, जब धारा २९ के

अनुसार सारी पावर सरकार को है तो फिर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी ? जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या उसके सदस्य हैं, उनकेखिलाफ कोई शिकायत है तो उनके विरुद्ध पूरी कार्यवाही की जा सकती थी। उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ३ साल तक चुनाव से अलग किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात की भावना नहीं रखते हैं कि जो जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य कोई गलत काम करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न की जाय ।

सन् १९५८ में अंतरिम जिला परिषद् अधिनियम लागू किया गया था। इसी सदन के एक माननीय सदस्य पिछले दिन खड़े हुये उन्होंने कहा था और माननीय मंत्री जी ने भी सफाई दी थी कि जो अंतरिम जिला परिषद् विधेयक था वह भी तो तीन-चार साल के लिये लाया गया था। अधिष्ठाता महोदय, अंतरिम जिला परिषद् के नौकरशाही जमाने का अनुभव सब लोगों को होगा कि किस तरह लोग नौकरशाही से परेशान हो रहे थे। माननीय सदन के सदस्यों को उस अंतरिम जिला परिषदों के सिलसिले में फिर भी याद होगा कि उसमें गैर सरकारी सदस्य बहुत थे। जिला बोर्ड के अध्यक्ष और ७ मेम्बर थे, उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र समिति से अंतरिम जिला परिषद् के लिये दो-दो सदस्य, चुनकर आये थे और जिला सहकारी संघ जिला सहकारी बैंक से सदस्य, गन्ना विकास संघों की ओर से सदस्य, चुनकर आये थे। इसमें जन-प्रतिनिधित्व बहुत था। उसको एक तरह से जिला परिषद् ही समझिये। बलवन्त राय कमेटी जो बनी थी और जिसने सारे देश का दौरा करके यह विचार किया कि जनतंत्री विकेन्द्रीयकरण कैसे हो और यह जो नियोजन है, उसको हमारे देश की जो आखिरी यूनिट है, गांव-गांव तक कैसे पहुंचा जाय, और किस प्रकार से नियोजन में गांव सभाओं से सहयोग लिया जाय ? इसी संदर्भ में बलवन्त राय कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी कि जिले के अन्तर्गत तीन खम्भा राज्य हो, अर्थात् जिला परिषद्, क्षेत्र समितियां और ग्राम सभायें। माननीय चौधरी साहब ने थोथी दलील देकर कहा है कि गांव सभाओं में और ग्राम पंचायतों में बहुत झगड़े हुआ करते हैं। मैं निवेदन करूं कि हमने जनतंत्री पद्धति अपनाई है उसी सन्दर्भ में तो हम सब चुनाव लड़ते हैं। संसद के सदस्य और इस विधान सभा के सदस्य सभी तो चुनाव लड़ते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि जब हम ग्रामों मे मतदाताओं के पास जाते हैं तो वहां पर भी झगड़ा व निम्नस्तर की दलबन्दी वगैरह हम और आप सभी राजनैतिक दल वाले कराते हैं। यह तो सब जगह, सारे देश में हो रहा है। इसका अर्थ यह तो नहीं है कि पंचायती राज को समाप्त कर दिया जाय। ग्राम पंचायतों में जनतंत्रीय पद्धति को समाप्त कर प्रदेश की क्या इससे भलाई होगी ? हाल में जनरल कैरिअप्पा ने जो राष्ट्रपति शासन सारे देश में होने के लिये भाषण दे दिया तो उससे सारे संसद के सदस्यों में और हम सब में, जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, एक खलबली-सी मची है। आखिर ऐसा क्यों ? यह एक तानाशाही की ओर इशारा था। क्या माननीय पंचायत राज मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक प्रक्रियावादी नहीं है ? जिसमें तानाशाही को जन्म दिया जा रहा है। और क्या कम्युनिस्ट देशों की तरह से यह दलीय तानाशाही नहीं है ? क्या इसका परिणाम भविष्य के लिये अच्छा होगा ? क्या इसमें देश की जनतंत्रीय पद्धति को प्रोत्साहन मिलेगा या उसका हनन होगा ?

श्रीमान, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक जिला परिषदों की बात है मुख्याधिकारी की तरह वहां पर डी० पी० ओ०, जो पी० सी० एस० या आई० ए० एस० पद के होते हैं, सारे कार्यों को विशेषकर आय-व्यय के कार्यों को नियमपूर्वक संचालन करने के जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार क्षेत्र समितियों में क्षेत्र विकास अधिकारी होते हैं और जो राजपत्रित होते हैं, जो सारे आय-व्ययक के कार्य के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। और शिक्षा आदि विभागों का काम चलाने के लिये तमाम गजटेड आफिसर्स होते हैं तो फिर परिषदों को समाप्त करने की क्या जरूरत है ? जिला परिषद् अधिनियम के आधार पर जब नया चुनाव करने का प्राविधान भी है तो नव-निर्वाचन क्यों तुरन्त नह

[श्री डूंगरसिंह विष्ट]

करवाये जा रहे हैं ? यह तानाशाही का द्योतक है । अगर कोई जिला परिषद् ऐसी है जो अच्छा काम नहीं करती है तो ठीक है, आप अगर समझते हैं कि वहां किसी तरह का गलत काम हो रहा है तो अधिनियम की धारा के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये । ये जो जिला परिषदें, क्षेत्र समितियां व गांव पंचायतें हैं, इस नीयत से बनायी गयी थी कि गांधी जी का स्वप्न था कि देश का जो अन्तिम शासन है वह गांव की इकाई है वहां गांव पंचायतें होंगीं । गांधी जी यही कहा करते थे । श्रीमन्, गांव पंचायते, क्षेत्र समितियां और जिला परिषदें जो हमारी जनतंत्रीय पद्धति को सिखाने की प्रारम्भिक पाठशालायें हैं इस सदन के जो सदस्य हैं उनमें ९० प्रतिशत सदस्य उन्हीं में से चुन कर आगे आये हैं । चौधरी साहब और माननीय शिवराज सिंह जी तो अपने को गांधीवादी कहते हैं, केवल कहने से गांधीवादी नहीं हो जायेंगे जब तक कि उन बातों को कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे । खाली बनावटी गांधी वादी होने की दुहाई देने से काम नहीं चलने वाला है ।

विकेन्द्रीयकरण को स्थायी करने का कार्य अगर नहीं किया जाता तो यह केवल ढकोसला है । राजनीतिक ईमानदारी की बात यह है कि सरकार जो कुछ भी कहती है उसको उचित ढंग से करे । लेकिन इस विधेयक को देखने से मालूम होता है कि इसमें सब तरह से जनतंत्र पर चौधरी साहब की सरकार ने नियन्त्रण लगाया है और इस विधेयक में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी या जिलाधिकारी का नाम रखा गया है जो इस सरकार के लिये लाभदायक होंगे । ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सरकार मनोनीत कर देगी । इस सम्बन्ध में आपको थोड़ी सी याद दिला दूं कि सन् ६७ में संविद सरकार के जमाने में जब पर्वतीय सलाहकार विकास परिषद् बनी थी तो उसमें किन-किन लोगों को रखा गया था । श्रीमन् आप तो उस समय वन मंत्री थे लेकिन मुख्य मंत्री जी से संबंधित वह विषय था । उनकी ही राजनैतिक ईमानदारी का मैं सबूत देना चाहता हूं । उस सलाहकार परिषद् में उन तमाम लोगों को रखा गया था जो आम चुनाव में बुरी तरह कांग्रेस से हार गये थे । जो व्यक्ति गुप्ता जी के खिलाफ खड़ा हुआ था उसको उस सलाहकार परिषद् में रख दिया गया यानी कांग्रेस के खिलाफ जो-जो व्यक्ति चुनाव लड़े थे उनको उस विकास परिषद् में मनोनीत कर दिया गया और इसी तरह के अल्मोड़ा से एक हारेहुये जनसंघ दल के व्यक्ति को भी उसमें रख दिया गया । क्योंकि जनसंघ वाले नाराज हो गये क्योंकि उनके दल के लोगों को नहीं लिया गया था इसलिये उनको मनोनीत कर दिया गया । इस तरह से जिला स्तर पर जितनी भी खाद्य, शिक्षा आदि की कमेटीज बनीं थीं या जिला कोआपरेटिव बैंक या जिला सहकारी संघ थें उन सब में अपने दल के लोगों को रखा गया । इससे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है आज जिस राजनीतिक दल—बी० के० डी० की सरकार है केवल इस विधेयक से उसको लाभ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है । ये तमाम सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं समझता हूं कि यह जो जनरल करिअप्पा ने कहा है । देश में घटिया किस्म की राजनीति को देखकर ही इस तरह की बातें कहने का साहस करिअप्पा ने किया है । श्रीमन्, आप देख लें कि इसके पीछे क्या है ।

पिछले साल जो प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने अन्तरात्मा की आवाज का नारा लगाया और घोर अनुशासनहीनता का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी की प्रतिक्रिया से तमाम दलों में, जनता में अनुशासनहीनता आज इस कदर बढ़ गयी है । आज स्थिति यह है कि जो व्यक्ति उनका या उनके दल की सरकार का समर्थन न करे वह देशद्रोही समझा जाता रहा है । उसी की पृष्ठ-भूमि में इस विधेयक को भी पढ़ें तो मालूम होगा कि तमाम तानाशाही को जन्म दिये जाने के काम हो रहे हैं । चौधरी साहब हमारे देश में दल बदलुओं के मुखिया रहे हैं इनके सिद्धान्त-हीन भगोड़ेपन को इतिहास माफ नहीं करेगा । श्रीमन्, चौधरी साहब के कथनानुसार हमने गलत काम किया था इसलिये हम इधर विरोध पक्ष में आ गये हैं लेकिन माननीय पंचायतराज मंत्री जी आप जो यह गलत काम कर रहे हैं, याद रखिये, आपको भी इधर शीघ्र विरोध पक्ष में आना पड़ेगा । आपके कार्यों से जनतंत्र का हनन हो रहा है और जो इस तरह से आपकी सरकार

द्वारा देहात के जीवन को अस्त व्यस्त करने की बात सोची जा रही है, जहां के लिये हम नयी-नयी ग्राम स्वराज्य की घोषणायें करते आये हैं आज उन सभी का हनन हो रहा है । हमारे माननीय शिवराज सिंह जी तो पुराने कांग्रेसी साथी हैं। जो यह जिला परिषद् अधिनियम, सन् १९६१ में बना था वह उनकी उपस्थिति में ही बना था । चौधरी साहब भी बीस, बाइस सालों तक सरकार में हमारे नेता रहे हैं और उनके समय में ही यह अधिनियम बना था। नियोजन के लिये जिस तरह के कोआर्डिनेशन की जरूरत होती है वह इस अधिनियम से पूर्ण किया जा सका । इसी उद्देश्य से जिला परिषद् अधिनियम बनाया गया ताकि विकेन्द्रीयकरण की योजना सफल हो और हमारी पंचवर्षीय योजनायें सफल हों।

यह कहा गया कि कितने माननीय सदस्य, विधान सभा और संसद के परिषद् की बैठकों में शामिल हो पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विधान सभा के सदस्यों एवं संसद सदस्यों को, यह विधान सभा का तो काम काफी रहता ही है, साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों का भी बहुत काम रहता है और उसमें व्यस्त रहने के कारण ही वे ज्यादातर जिला परिषद् की बैठकों में शामिल नहीं हो पाते, किन्तु जब भी कोई अहम मसला जिला परिषद् के सामने होता है, ये लोग अवश्य उपस्थित होते हैं । लेकिन जो जिला परिषद् के सदस्य होते हैं, जो जिले के कोने-कोने से आते हैं, वे तो वहां बराबर उपस्थित रहकर यहां की तरह ही अपने-अपने क्षेत्र के बारे में तरह-तरह के प्रश्न पूछते व हर समस्या पर विचार व निर्णय करते हैं और उनका वहां के अधिकारी जवाब भी देते हैं । मान्यवर, अब सरकार दो साल का समय लेकर इस जनतंत्र विरोधी विधेयक से अपना सारा राजनैतिक लाभ उठा लेना चाहती है क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनावों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा । मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वापस लिया जाय । माननीय चौधरी साहब २०–२२ साल तक कांग्रेस सरकार में हमारे नेता रहे हैं, अभी थोड़े ही दिन हुये हैं हमसे अलग हुये केवल मुख्य मंत्री होने के लिये अलग हुये, वह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनतंत्र की रक्षा के लिये इनकी कितनी आवश्यकता है । यह जो विधेयक आज लाया गया है यह निश्चय ही जनतांत्रिक पद्धतियों का हनन करने वाला है, उनको समाप्त करने वाला है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को अवश्य वापस ले लेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय बसन्तलाल जी का जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने का है उसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सच है कि जितनी जल्दी और जिस शक्ल में यह विधेयक आया है, उससे बहुत प्रकार के सन्देह होना स्वाभाविक है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । श्रीमन्, हम लोगों का, जो विधायक हैं और स्वयं मुझको पिछली ९ तारीख तक उम्मीद नहीं थी और अधिकृत रूप से यह बताया गया था कि जिला परिषदों को भंग करने का सरकार का कोई इरादा नहीं हैं । हम लोग बिलकुल आश्वस्त थे और हमने, बहुत से विधायकों ने अपने जिले में इस प्रकार की सूचना दे दी थी कि जिला परिषदों को भंग करने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है । क्योंकि जब से यह नई सरकार बनी तब से बराबर इस प्रकार के समाचार प्रसारित हो रहे थे कि जिला परिषदें बहुत जल्दी भंग हो जायगीं । इसलिये जब ९ तारीख को स्पष्ट घोषणा सरकार की तरफ से की गई कि जिला परिषदों को भंग करने का कोई विचार नहीं है तो हम समझे कि यह अंतिम बात है तथा फाइनल बात है । फायनल्टी है सरकार के दृष्टिकोण में । लेकिन आश्चर्य १३ तारीख को हुआ जब कि अचानक जिला परिषदों को भंग करने वाला यह विधेयक हमारे सामने आ गया । श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि कौन-सी परिस्थितियां थीं, कौन से वे कारण थे, जिनसे बाध्य होकर के सरकार ने ९ और १३ तारीख के बीच में यह फैसला किया कि जिला परिषदें भंग हो जायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णचन्द्र]

हमारे सामने दो कारण आये। एक कारण तो यह है कि इनका एलेक्शन ओवरड्यू था, दो वर्ष अधिक हो गये और इनका चुनाव सन् ६८ तक करा देना चाहिये था। एक कारण यह हमारे सामने आया और दूसरा कारण यह हमारे सामने आया कि ५४ जिला परिषदों में से ३७ जिला परिषदें ऐसी हैं जिनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं। किस सम्बन्ध के गम्भीर आरोप हैं, इस मामले में मैं अंधकार में हूं। जिस समय पिछले दिन माननीय मंत्री जी एक लम्बी लिस्ट लिये हुये थे और जब सदन में आग्रह किया गया कि वह ३७ जिला परिषदें कौन सी हैं, और इन ३७ जिला परिषदों के खिलाफ कौन से आरोप हैं, कृपा करके पढ़कर सदन को सुना दें और सदन को विश्वास में ले लें तो ऐसा नहीं किया गया। तो मैं नहीं समझता हूं यह जो आरोप हैं और गम्भीर आरोप हैं, तो उनकी शक्ल क्या है। वे कितने गम्भीर हैं, जिला परिषदों के किस विभाग से सम्बन्धित हैं और किस अधिकारी से सम्बन्ध रखते हैं, मैं तो अन्धकार में हूं तथा सम्भवतया यह सदन भी अन्धकार में हो। ये दो कारण सामने आये।

जहां तक ओवरड्यू एलेक्शन का सवाल है, यह दुर्भाग्य की बात है। यह एक पद्धति है। श्रीमन्, यह आज की पद्धति नहीं है। जब से इसका प्रारम्भ हुआ सन् ४७ के बाद से तब से यह परम्परा--यह पद्धति इस प्रदेश में ही नहीं हो गई है, बल्कि हर जगह हो गई है, हर जगह अपनाई जा रही है कि स्थानीय निकायों के चुनाव को किसी न किसी कारण से टाला जाये ऐसा भी अवसर आया है, जब म्युनिस्पैल्टीज के नामिनेशन हो गये और श्रीमन्, यहां से आज्ञा प्रसारित हुई कि अब चुनाव नहीं होंगे नामिनेशन रद्द समझा जाये। तो यह कोई आज की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कम अवसर आये हैं जबकि ओवर ड्यू एलेक्शन हो गया होगा और उसके बाद स्थानीय निकाय को भंग कर दिया गया हो। श्रीमन्, यह बहुत गम्भीर बात है, यह मामूली बात नहीं है। ५४ स्थानीय निकायों को भंग करना मामूली बात नहीं है जो कि इतने प्रतिनिधित्वपूर्ण हैं जितना प्रतिनिधित्वपूर्ण यह सदन है। वे चुन कर आये हैं, वे अपने जिले की आकांक्षाओं, इच्छाओं, जनता की आशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन ५४ निकायों को यह सदन भंग कर रहा है, जो कि जनता से चुन कर आया है यानी जनता से चुनाव हुआ सदन एक, दूसरे सदन को जो जनता से चुन कर आया है उसको तोड़ दे यह दुर्भाग्य की बात है। सदन कुठाराघात करे ऐसे सदन पर जो कि जनता द्वारा ही चुन कर आया है, अगर एलेक्शंस ओवरड्यू थे तो भी इस कारण ५४ निकायों को तोड़ना नहीं चाहिये था। करना यह चाहिये था कि एलेक्शन मशीनरी गियर-अप कर दी जाती, आदेश दे दिया जाता कि सारा काम छोड़ कर, जिला परिषद् के चुनाव ३० जून तक करवा दो। सब कुछ हो सकता है। अभी बंगाल में, वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि हम तीन हफ्ते में चुनाव करवा सकते हैं। हमने प्रजातन्त्र की शिक्षा यूनाइटेड किंगडम से ली है। वहां हाउस डिजाल्व होता है, और ६ हफ्ते के भीतर चुनाव हो जाता है। हमारे स्थानीय निकायों का चुनाव तीन-चार महीनों में न हो, यह कमी है, जिसकी भी कमी हो, एलेक्शन कमीशन की कमी हो, या सरकार की कमी हो, शासन की कमी हो। मैं क्षुब्ध हूं, मैं नहीं चाहता कि प्रजातन्त्र की इन इकाइयों को इस तरह से भंग किया जाय। आप पेड सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं कर सकते, नौकरी से निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालते हैं तो हाईकोर्ट और सुप्रीप कोर्ट आपके आर्डर को इनवैलिड कर देता है। लेकिन जनता के चुने ५४ निकायों को उतनी भी हैसियत और मान मर्यादा प्रदान नहीं किया जितना कि अपने एक कर्मचारी को प्रदान करते हैं। अगर इंग्लैन्ड में एक काउंटी काउंसिल भंग की जाती है तो हंगामा मच जाता है और सारी काउंटी काउंसिलों को भंग करने का यदि विधेयक आ जाय तो मैं नहीं जानता कि वहां पार्लियामेंट में क्या हाल होगा।

भ्रष्टाचार को सामने आना चाहिये। एक व्हाइट पेपर आना चाहिये कि ३७ जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के खिलाफ यह गम्भीर आरोप हैं, सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिये। अगर ऐसे गम्भीर आरोपों के आधार पर जिला परिषदों को भंग किया जा रहा है

और यह बताया जा रहा है कि यह जिला परिषदें इस प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त करने के काबिल नहीं हैं तो यह, प्रभाव दूर तक जायगा और हम पार्लियामेंट के मेम्बर, पार्लियामेंट का सदन और यह असेम्बली सब नालायक हैं उनको भी भंग कर देना चाहिये। फौजी शासन कायम हो जाना चाहिये। इनका भी कोई सम्मान नहीं रह सकता है। एक तरीका जब आपने तोड़ दिया और किसी जगह प्रजातन्त्र पर हमला किया तो फिर जो दूसरे क्षेत्र हैं उन पर भी हमले होंगे और उनको आप रोक नहीं सकेंगे। यह नहीं हो सकता है कि गांव के प्रजातन्त्र को समाप्त कर दिया जाय, क्षेत्र के प्रजातन्त्र को समाप्त कर दिया जाय, जिले के प्रजातन्त्र को समाप्त कर दिया जाय लेकिन लखनऊ और दिल्ली का प्रजातन्त्र बदस्तूर कायम रह जाय। एक बार प्रजातन्त्र की कड़ी एक जगह कमजोर हो गई, एक बार प्रजातन्त्र में आस्था रखने वाली संस्थाओं का विघटन शुरू हुआ तो दिल्ली और लखनऊ में प्रजातन्त्र कायम रह जायगा इसमें मुझे अत्यन्त सन्देह है। इनके भ्रष्टाचार के आधार पर एक स्वीपिंग विधेयक यहां पर यह आ जाय इसकी आवश्यकता नहीं थी।

मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि मैं तो उनका ही आदमी हूं। न सिंडिकेट का हूं और न जनसंघ का हूं। उनके साथ ही मरूंगा और उनके साथ ही जीऊंगा। अगर प्रजातन्त्र उनके साथ जायगा तो हम भी उनके साथ ही चले जायंगे। लेकिन मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र जेब में नहीं रहता है। प्रजातन्त्र को दासी बनाकर नहीं रखना है, सेविका बनाकर नहीं रखना है। प्रजातन्त्र प्रस्फुटित, प्रज्वलित हो और हरा-भरा और बिकासशील हो, मजबूत हो तभी हम जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रजातन्त्र की कड़ी मजबूत हो, इस बात का हमको प्रयत्न करना चाहिये। मेरे यहां तीन नगरपालिकाएं थीं। उनमें से दो तो गुप्ता जी ने ही समाप्त कर दी थी। जिला परिषद् यह सरकार समाप्त कर रही है। अब हमारे यहां क्या बचता है। एक नगरपालिका बचती है और ५, ६ असेम्बली के मेम्बर बचते हैं। तो श्रीमन्, क्या प्रजातन्त्र इस तरह से कार्यान्वित होगा कि इस विधान सभा का गुम्बद बाहर से दिखाई पड़े, हीरे, जवाहरात दिखाई पड़े लेकिन अन्दर से खोखला हो, क्या इस तरह से प्रजातन्त्र चलेगा? इस तरह से प्रजातन्त्र नहीं चल सकता है। कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है। श्रीमन्, जब हमारे दोस्तों ने यह आवाज लगाई कि स्टेट से केन्द्र को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। पिछले डेढ़, दो साल से एक संघर्ष चल रहा है केन्द्र और राज्यों में कि विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये और राज्यों को ज्यादा आटोनामस होना चाहिये जिससे वे स्वयं निर्णय ले सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह बात एक सिद्धान्त पर निर्भर करती हैं और वह सिद्धान्त यह है कि हमारी शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। यही गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू कहते थे। ३०, ४० वर्ष के कांग्रेस के प्रस्तावों को देख लीजिये। बी० के० डी० के पिछले दो साल के प्रस्तावों को देख लीजिये, ज्यादा बल विकेन्द्रीयकरण पर दिया है। तो क्या श्रीमन्, हम यह विकेन्द्रीयकरण की ओर जा रहे हैं कि चुने हुये आदमियों को साफ करके जिलाधीशों, आई०ए०एस० अथवा आई०सी०एस० लोगों को अधिकार सौंपे जायं। एक आई०सी०एस० आफिसर ने कहा था "वी आर नाइदर इंडियन्स आर सिविल नार सर्वेन्ट्स"। आज सम्भव है उनके दिमांग में परिवर्तन आ गया हो। मैं जानता हूं कि बहुत-सी जगह आया लेकिन अधिकांश जगह नहीं आया। यहां पर इस सदन में जिलाधीशों, कमिश्नरों की बार-बार शिकायतें होती हैं। आई० ए० एस० आफिसर्स के बारे में सवाल उठाये जाते हैं उनकी मनोवृत्ति, तानाशाही, जन विरोधी कार्यों के बारे में। जिला परिषद् का सारा ढांचा आप कलेक्टर को दे दें लेकिन कलेक्टर साहब आजकल क्या हैं? जितने भी विभाग हैं उन सबका एकछत्र मालिक जिलाधीश है अपने-अपने जिलों में। हमारे यहां की दो सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज का मालिक जिलाधीश है।

जिला परिषद् को आप भंग करने जा रहे हैं उसका मालिक जिलाधीश बना दिया जायगा। क्या उसके पास इतना समय है कि ला, प्रशासन, प्लानिंग, रेवेन्यू, पुलिस तथा नगरपालिकाओं की

[श्री कृष्णचन्द्र]

व्यवस्था को देखने के बाद अब वह जिला परिषदों की व्यवस्था को भी देख सके ? उसके पास समय नहीं है । आर्ग्यूमेंट के तौर पर मैं मानता हूं कि जिला परिषद् भ्रष्ट थीं, कलेक्टर उससे अच्छा काम करेगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अच्छा प्रशासन क्या स्वायत्त शासन से अच्छा होता है ? एक मर्तबा यह आवाज आई थी । पंत जी यहां मुख्य मंत्री थे । शिवराज सिंह को याद होगा, वह भी उस समय एम०एल०ए० थे । वह आवाज थी कि न्याय पंचायतों को भंग कर दिया जाय, उनमें बड़ा भ्रष्टाचार है । मुख्य मंत्री जी का उत्तर था कि भंग नहीं कर सकते । जहां से चले हैं वहां वापस नहीं जा सकते । हम तो उस यात्रा के महायात्री हैं जिनको आगे चलना पड़ेगा गिरते जायंगे, पड़ते जायेंगे, भागते जायेंगे, लेकिन हमारी यात्रा जारी रहेगी, प्रजातन्त्र की यात्रा रुकेगी नहीं । इसलिये न्याय पंचायतें नहीं तोड़ी जा सकतीं, भंग नहीं की जा सकती हैं और उन्होंने एक वाक्य दुहराया था कि "Good Government is no substitute for self Government." श्रीमन्, यह विधेयक आया है । कल को लोकल बाडीज के चुनाव होने वाले हैं । इसलिये शक होना स्वाभाविक है । वैसे मैं जानता हूं कि आपने इसके लिये यह नहीं किया । हम सक्षम हैं, समर्थ हैं और चुनाव लड़ने की शक्ति हम में है । हमें सरकार की किसी मदद की आवश्यकता नहीं है । हमें किसी यंत्र के तोड़ने की आवश्यकता नहीं है । न बी० के० डी० को और न हमारी पार्टी को तोड़-मरोड़ करने की जरूरत है, हम सक्षम हैं, हम लड़ सकते हैं । लेकिन जिस अवसर पर आप यह विधेयक लाये हैं उससे हमारे दोस्त फायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं । उनका कहना यह है कि लोकल बाडीज के चुनाव हो रहे हैं इसलिये इनको खत्म किया जा रहा है ।

श्रीमन्, मैं इस बात की सहानुभूति रखते हुये और पूरे तौर से चौधरी साहब की भावना के साथ शत प्रतिशत अपनी कमजोर आवाज को जोड़ते हुये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन की आवश्यकता है, अच्छी सरकार की आवश्यकता है । इसके बाद भी मैं समझता हूं कि स्वच्छ प्रशासन के माने प्रजातन्त्र का गला घोंटना नहीं है । वह स्वच्छ प्रशासन है जिसमें जनता का अदना से अदना आदमी अपने प्रतिनिधियों के जरिये अपनी आवाज को रख सके ।

श्रीमन्, यह बिल आ गया है इसमें कोई सवाल नहीं है । मैं इन सारी बातों को देखते हुये कि यह विधेयक पास होगा, जब बिल आ गया है तो पास होगा, फेल नहीं हो सकता, मैंने एक संशोधन दिया है और वह यह दिया है कि कलेक्टर साहब के ही हाथ में सारी चीजें न छोड़ें । कलेक्टर साहब सम्पन्न अधिकारी हैं, सम्पन्न व्यक्ति हैं, उनके हाथ में प्रभुत्व है, शक्ति है, उनके हाथ में सम्पूर्ण अधिकार हैं, उनके हाथ में जिला परिषदों के अधिकार न दिये जायं । ८–१० करोड़ आदमियों का भविष्य उनके हाथ में न दिया जाय । उसके लिये एक सलाहकार समिति बना दी जाय । मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह मेरी बात जरा ध्यान देकर सुनें (व्यवधान) मैं कह रहा था कि मैंने इसलिये संशोधन रखा है कि प्रभुत्व सम्पन्न जिलाधीश के हाथ में इन ५४ जिला परिषदों को न सौंपे बल्कि एक सलाहकार समिति बनायें जिसमें विधान सभा, विधान परिषद् और संसद सदस्यों को रख सकते हैं और जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि अस्पृश्य नहीं हो गये हैं उनके खदेड़ने की यदि वृत्ति नहीं है, जिनके खिलाफ आरोप नहीं हैं, उनको भी लिया जाय । अगर उनको नहीं रख सकते हैं तो न रखें, दूसरा मेरा सुझाव यह है कि ४०–५० में से ७ आदमियों की लिस्ट बना लें और उनमें से ४–५ आदमियां को रख दें, इससे कोई लिएजन तो रहेगा, कन्टीन्यूइटी तो रहेगी । मेरा यह रीअर-गार्ड ऐक्शन है । जिस प्रकार से फौजें पीछे हटने की लड़ाई लड़ती हैं उसी प्रकार से यह संशोधन भी रीअर–गार्ड ऐक्शन है । मैं जानता हूं कि यह विधेयक पास होगा, लेकिन उसके पास होने में भी मैं उसके जहर को, उसकी तेजी को, उसकी तीव्रता को नष्ट कर देना चाहता हूं । इस संशोधन के द्वारा मैं उसके जहर के दांतों को निकाल देना चाहता हूं । मंत्रीजी इस विधेयक को बड़ी डेलीबरेशन्स के बाद, अपने सब नेताओं के बीच में विचार करने के बाद, इसको लाये हैं तो यह आशा करना कि वह इसको वापस ले लेंगे, यह तो ना मुमकिन है । वह पास होगा, वापस नहीं होगा, लेकिन

उसके साथ-साथ वह जनता को नुकसान न पहुंचा पाये, यह मैं चाहता हूं। इसलिये मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो हमारा दल विधान सभा में विरोधीदल की भूमिका निभा रहा है। लेकिन जहां विरोधीदल का यह कर्तव्य होता है कि सरकार की तरफ से अगर कोई काम खराब किया जाता है तो उसकी शिकायत करे, वहां उसका अच्छा काम करने पर भी उसकी शिकायत करें, इसके हम कायल नहीं हैं। इस समय सरकार की तरफ से जो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि उसके द्वारा यह सरकार जनता को स्वच्छ प्रशासन देने में सफल हो जाती है तो मैं निश्चित रूप से इस सरकार को बधाई दूंगा। मान्यवर, यह सत्य है कि ग्राम पंचायतें, क्षेत्र समितियां और जिला परिषद् जनतंत्र की बुनियाद हैं और जनतंत्र के माने में हैं कि जनता को स्वच्छ प्रशासन मिले, उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलें। लेकिन उसमें जब किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की बात आ जाती है तब प्रशासन गंदा हो जाता है और जनतन्त्र में आस्था रखने वाले, या ईमानदारी को प्रोत्साहन देने वाले हर व्यक्ति के अन्दर इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती है कि जिन कारणों की वजह से प्रशासन गंदा हुआ है, उनको दूर किया जाय। कोई आदमी इसलिये वृक्ष लगाता है कि उससे मीठा फल प्राप्त हो, लेकिन मीठा फल मिलने के बजाय उससे कड़वा फल मिलने लगे तो उस आदमी को उस वृक्ष को नष्ट करने को विवश होना पड़ता है। लेकिन यदि कड़वा वृक्ष काट कर दूसरा वृक्ष लगाया जाय और वह कड़वे फल के बजाय विष—फल देने लगे, तब तो और भी बुरा हो जायगा। इसलिये मैं माननीय शिवराज सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन बातों को ध्यान में रख कर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उनका वह उद्देश्य कहीं निरर्थक न हो जाय।

जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों को थोड़े समय के लिये भंग करके उन कमियों को दूर करें और स्वच्छ प्रशासन लायें जिसकी कि जनतंत्र की हिमायती जनता आशा करती है। मान्यवर, इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं इसलिये मजबूर हूं कि जिला परिषद् की अन्य बातों को जाने भी दिया जाय, लेकिन शिक्षा विभाग वहां पर एक ऐसा विभाग है जहां पर जिला परिषद् का अध्यक्ष चाहे जिस पार्टी का हो यदि अध्यापक की दुर्दशा की तरफ देखा जाता हैं तो तकलीफ होती है। आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसका एक कारण यह है कि शिक्षक को प्रमुख और चेयरमैन की खुशामद करनी पड़ती है और इस कारण वह स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में ध्यान नहीं दे पाता है। अगर कोई खुशामद में कमजोर होता है तो उसको सजा दी जाती है। कहीं-कहीं तो ऐसी शकायतें आई हैं कि उनको याद कर सर शर्म से झुक जाता है। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करायें और उनको कठोर से किठोर दंड दें ताकि भविष्य में उनकी सत्ता का दुरुपयोग करने की हिम्मत न पड़े। मान्यवर, इसके अलावा एक चीज की तरफ मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला परिषद् की जितनी सड़कें हैं उनकी बड़ी खराब हालत है। मैं किसी जिला परिषद् का नाम लेना नहीं चाहता हूं लेकिन यह देखने में आया है कि जिला की जो सबसे खराब सड़क हो वह जिला परिषद् की होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिला परिषद् की सभी सड़कें सरकार अपने नियंत्रण में ले लेवे और उनमें सुधार कराने का प्रयत्न करें।

इसी के साथ-साथ माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि जिला परिषद् भंग करने के बाद जिलाधीश के हाथ में जो अधिकार दिया जायगा उससे कहीं अनर्थ न हो जाये और जनतंत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सागर]

कहीं तानाशाही में न बदल जाय और जिलाधीश जिस दल की सरकार हो उसके इशारे पर न नाचे। इसके लिये मेरा सुझाव है कि यदि जिलाधीश को जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों का अधिकार दिया जाता है तो यह भी विचार हो कि जब तक दूसरा चुनाव नहीं होता है और जब तक जिला परिषद् या क्षेत्र समिति जिलाधीश के अधिकार में है तब तक जनतंत्र को जिन्दा रखने के लिये विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा और राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों की एक एडहाक कमेटी बना दी जाय जिससे किसी को किसी प्रकार का असन्तोष न रहे और अव्यवस्था न पैदा होने पावे। इससे जिन कमियों को दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है वह खटाई में नहीं पड़ेंगी और जनतंत्र में विश्वास करने वाली जनता सरकार को गाली नहीं देगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बतलाई हुई बातों पर ध्यान देंगे और संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने हमको बोलने का अवसर दिया। इस देश में जो दो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और उसकी आज जो दुर्दशा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वे दो शब्द हैं प्रजातंत्र और समाजवाद। आज देश में जितनी पार्टियां हैं जो छलवेश में अपने गुनाहों को छिपाने के लिये, जब जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करती उस समय वे उन गुनाहों को छिपाने के लिये समाजवाद का नारा लगाना आरम्भ कर देती हैं। ऐसी पार्टियों के लोग अपना भ्रष्टाचार, अनैतिकता, व्यभिचार आदि की परिसीमाओं से हटकर अपने गुनाहों से छुटकारा पाने के लिये प्रजातंत्र की ढाल लेकर और देश के इन तथाकथित नेताओं ने इस ढाल को स्वीकार कर लिया है जिसका यदाकदा प्रयोग करके वह अपनी रक्षा किया करते हैं। जब वह यह समझते हैं कि हमारी कमजोरी जनता में जाहिर होने लगी है, हम जनता के प्रतिनिधि होने के अयोग्य हो गये हैं और अब चल नहीं सकते और शीघ्र ही हमारी पोल खुलने वाली है, उस समय वे प्रजातन्त्र का नारा लगा कर अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करने लगते हैं। प्रजातंत्र को बचाने के लिये जो प्रयास होना चाहिये उन में इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हमारा कर्तव्य है कि कहीं ऐसा न हो कि जनता का विश्वास इन तथाकथित नेताओं के कारण जनतंत्र और समाजवाद से उठ जाय।

यहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा जिला परिषद् को समाप्त करने के लिये जो प्रस्ताव आया है इससे जनता में विश्वास पैदा होगा। जनता अपने चुने हुये प्रतिनिधियों को चाहती है और वह यह नहीं चाहती कि उसके अधिकारों का हनन हो। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि उनके पास जो ३७ जिला परिषद् की सूची है उसमें यदि जिला गढ़वाल की सूची न हो तो उसको भी उसमें सम्मिलित कर लें। पौड़ी गढ़वाल ऐसा जिला है जहां पर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार पनपे हैं और पनप रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जनतंत्र की दोहाई तो जरूर दी जाती है लेकिन जनता में चुने हुये लोग कौन आते हैं? पौड़ी गढ़वाल के जिला परिषद् के अध्यक्ष वे हैं जो ८,५०० मतों से हार चुके हैं और उसके बाद अब गुटों के अनुसार दुबारा फिट कर दिये गये। एक बार जिनको जनता ने बहिष्कृत कर दिया फिर दोबारा उन्हीं को उस पद पर बिठाना कौन से जनतंत्र का सिद्धान्त है? इस प्रकार की अनैतिकता अक्षम्य है। मैं तो यह कहता हूं कि यह केवल वहीं नहीं है वरन् पूरे प्रदेश में इस अनैतिकता ने घर कर लिया है और लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा हो गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक कि भ्रष्टाचार का सवाल है जो हमारे तथाकथित अध्यक्ष हैं उन्होंने विचार किया कि जनता को कंट्रोल करने के लिय अध्यापकों का ट्रान्सफर करना चाहिये। वह किया गया। हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं जो प्रदेश का सबसे पिछड़ा भाग है। वहां पर सड़कें नहीं हैं जिनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सके। जहां पर रेलगाड़ी हैं, सड़कें हैं वहां तो हम साहब बने हैं परन्तु जिन स्थानों पर इनका अभाव है वहां तो खच्चर ही जा सकते हैं अथवा कई स्थान ऐसे हैं जहां पर खच्चर भी नहीं जा सकते और बहुत प्रयत्न करने पर हम खुद वहां जाते हैं। हमको अपना सामान और बिस्तर लेकर खुद ही जाना पड़ता है। हमारे जिला परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने बेचारे गरीब अध्यापकों को १००,१००मील१५०,१५० मील दूर अध्यापकों का ट्रान्सफर कर दिया है। कायदे से ५ से १० प्रतिशत से अधिक अध्यापकों को ट्रान्सफर नहीं किया जाना चाहिये परन्तु हमारे जिला परिषद् के अध्यक्ष ने केवल जनता में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये इससे बहुत अधिक संख्या में अध्यापकों का स्थानान्तरण कर दिया है। उन्होंने तो शत प्रतिशत ट्रांस्फर्स कर दिये। वहां पर न कोई नियम रहा और न कोई कानून। प्रजातन्त्र की दुहाई भी वहां पर नहीं रही। अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। यह कहते हैं कि जिले के बाहर कोई कार या जीप नहीं जानी चाहिए। हमारी जिला परिषद् के अध्यक्ष महोदय जब कभी भी लखनऊ आते हैं तो जिला परिषद् की गाड़ी से ही आते हैं। उनकी घास लाने के लिए भी जीप की जरूरत पड़ती है। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सड़कों के किनारे पेड़ होते हैं उनको भी वे बेच देते हैं। यही बात नहीं है, अधिष्ठाता महोदय, बल्कि सारे जिले के भीतर भ्रष्टाचार और अनाचार फैला हुआ है। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के कानून के द्वारा उन लोगों का विश्वास लौट आयेगा जो कि यह समझने लगे हैं कि प्रजातन्त्र तो एक धोखामात्र है और एक प्रकार की फूंस की दीवार हमारे सामने खड़ी कर दी गयी है। समाजवाद और प्रजातंत्र के लिए सही कदम अगर उठाया गया है तो यही एक कानून है और इससे हमारी पहाड़ों की जनता को बड़ा लाभ होगा, जोकि इस समय भयाक्रान्त है। उन लोगों में आशा का संचार होगा।

हममें से एक माननीय सदस्य ने एक बात उठायी थी। जिन्होंने नगरपालिकाओं के विषय में एक प्रश्न उठाया था। मैं तो, श्रीमन्, समझता हूं कि उन नगरपालिकाओं के लिए, जिनमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, कानून बनने चाहिएं और ऐसी नगरपालिकाओं को कानून के द्वारा भंग कर देना चाहिए। पौड़ी-गढ़वाल नगरपालिका का उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं। नगरपालिका पौड़ी में पिछले ३ वर्षों से बजट पास नहीं हुआ है। वहां पर बहुत गोलमाल हुआ है। जो वहां पर मिनट बुक यानी कार्यवाही पुस्तिका थी, उसमें भी गड़बड़ी हुयी और उसको भी जिलाधीश महोदय ने जब्त कर लिया है और सील मोहर करके बन्द कर रखा है। इस वर्ष भी किसी प्रकार का बजट पास नहीं हुआ है। कई बार प्रश्न उठाये गये और यहां एसेम्बली में भी मैंने प्रश्न उठाया, मगर मरी समझ में नहीं आता है कि इस नगरपालिका को सुपरसीड क्यों नहीं किया जा रहा है। बड़े दुःख की बात है। वहां पर सारे का सारा टीन गड़बड़ कर दिया गया है। इन सब दुर्व्यवस्थाओं के बावजूद भी नगरपालिका पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। क्या कारण है कि शासन की ओर से कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाता है? इस निरंकुश शासन के द्वारा हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। भ्रष्ट तरीक अपनाये जा रह हैं, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि प्रजातन्त्र खत्म हो जायेगा। मैं समझता हूं कि जहां इस प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाये जायें और प्रजातन्त्र की आड़ ली जाये वहां पर प्रजातन्त्र की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रजातन्त्र की आवश्यकता यही है कि यहां के गरीब लोग चैन से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और अपने जीवन की सुरक्षा समझें।

तो, श्रीमन्, मैं पौड़ी-गढ़वाल की बात कह रहा था। नियम की बात करते हैं। वहां के अध्यक्ष महोदय पहली बार चुनाव में हारे थे। हार कैसे गये, उनके प्रति अविश्वास

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

का प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास का प्रस्ताव लाने के पश्चात दूसरे अध्यक्ष बने। मान्यवर, उन पर भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। जब दूसरे अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया तब पहले वाले अध्यक्ष जिनके प्रति पहले ही अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, अपने आप अध्यक्ष बन गये। समझ में नहीं आता है कैसे नियम हैं, कैसे कानून हैं और कैसा इस देश का प्रजातन्त्र है। यहां पर रोज प्रजातन्त्र की दुहाई दी जा रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि जिला परिषदों के लिए जो कानून बनाये गये हैं वे उत्तर प्रदेश की जनता को सच्चा, सुव्यवस्थित और स्वच्छ प्रशासन दे सकेंगे। स्वच्छ प्रशासन के लिए वे पहली कड़ी होंगे और इस दिशा में काम किया गया तो मैं समझता हूं कि आगे चल कर इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन मिल सकेगा। इसके द्वारा जिलों में जो भयातुर और भयाक्रान्त वातावरण बना हुआ है वह भी दूर हो जायेगा और भ्रष्टाचार का बड़ा भारी अम्बर जो जिलों में व्याप्त है वह भी दूर हो सकेगा।

एक निवेदन और कर देना आवश्यक समझता हूं। सारी शक्ति जिलाधीशों के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए। एक या दो प्रतिनिधि जनता के होने चाहिएं। यदि उपयुक्त समझा जाये तो एम० एल० ए० या एम० पी० भी हो सकते हैं। यदि उनको रख दिया गया तो इस प्रकार की कमियों को दूर करने में सहायता मिल सकेगी।

माननीय महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने आया है यह बहुत उपयोगी है। इससे जनता में बढ़ते हुए अविश्वास को रोकने में सहायता मिलेगी। इसलिये मैं इस विधेयक के लिए मंत्री जी का स्वागत ही नहीं करता बल्कि उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के द्वारा बड़ी सूझ-बूझ से जनता में बढ़ते हुए अशांत वातावरण को दूर करने का प्रयास किया है।

श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जब से मैं मध्यावधि चुनाव में जीत कर आया हूं और जो सत्र हुए हैं उनमें विरोधी दल के जो लोग रहे हैं वे अपने विचारों को सदन में बहुत साफ शब्दों में रखते हैं। परन्तु जो पक्ष सरकारी में हो जाता है वह हमेशा जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह से कहता और कानून बनाता है कि जिससे प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों का ही हनन होता है। जो मंत्री लोग उधर बैठे हैं, वे जुलाई, अगस्त में विरोधी पक्ष में बैठे थे और जोर-जोर से चिल्लाते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये। लेकिन ज्यों ही वे सरकार में आये तो हमारे समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है कि जिला परिषद को दो साल के लिए जिलाधीशों को सौंप दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि जब विरोध पक्ष में थे तो चुनाव के पक्ष में थे लेकिन आज जब सरकारी पक्ष में चले गये तो जिला परिषद् को खत्म करने की बात कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है कि ३७ जिला परिषदों के अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ९० प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं चाहे जिलाधीश हों, या एस-एस०पी० या अन्य कर्मचारी हों उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में जनता दरख्वास्त देती होगी। मेरी भी जानकारी है कि किसी भी हालत में जब तक कोई आदमी दो रुपया, चार रुपया पेशगी न दे दे तब तक उसका मुकदमा नहीं होता। अगर कोई नहीं देता तो उसके मुकदमें में तारीख लगा दी जाती है। जहां तक अधिकारियों की बात है उनमें से दो प्रतिशत के खिलाफ कार्यवाही की जाती है और वह भी शायद उनके विरुद्ध जो कि सरकार के खिलाफ होते होंगे। अगर सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाय तो तभी स्वच्छ प्रशासन कायम हो सकता है अन्यथा जिस तरह से पक्षपात चल रहा है उससे न तो हमारा, न प्रदेश का और न देश का कल्याण होने वाला है। आप दरोगा को देखिये। शरीफ आदमी को ले जाकर बन्द कर दिया जाता है। वहां उसकी

पिटाई होगी और जब असेम्बली में सवाल होगा तो उत्तर दिया जायगा कि जांच की जा रही है। उनमें जनसेवा के बजाय सामंतवादी भावना पैदा हो गयी है।

अब जहां तक जिला परिषद् का सवाल है वह यह है कि जिलाधीश इसका संचालन ठीक ढंग से नहीं कर सकेगा क्योंकि जो दो तीन विभाग अभी भी हैं उनका भी संचालन ठीक ढग से नहीं हो रहा है। क्योंकि कलेक्टर का संबंध उच्च अधिकारियों से होता है और जिला परिषद् का संबंध ग्राम पंचायत, बी०डी०ओ०, ए०डी०ओ०, ग्राम सेवक, इनसे रहता है। आज जो विद्यालय जिला परिषदों के अन्तर्गत चल रहे हैं सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उनमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं। शहर में बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर अधिक ग्रांट दी जाती है और उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी-अच्छी जगहों पर पहुंचते हैं और गांव के विद्यालय टूटे-फूटे मकानों में चलते हैं जिनमें कहीं छत नहीं है तो कहीं छप्पर नहीं है। इतनी असमानता है कि शहर के विद्यालयों में एक-एक अध्यापक को ३–४ सौ रुपये मासिक दिया जाता है जबकि उसी प्रांत में देहात के अध्यापक को ६० रुपया मासिक दिये जाते हैं और उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता है कि चुनाव के समय में अध्यक्ष के खिलाफ जिस अध्यापक ने मतदान दिया, उसका स्थानान्तरण बहुत दूर कर दिया जाता है।

आज जिला परिषदों के अध्यक्ष या तो इंडीकेट के हैं या फिर सिंडीकेट के हैं, इन्हीं दो दलों के हैं। बी०के०डी० की सरकार ने इसीलिये यह नीति निर्धारित की है कि दो ही दल के लोग हैं और वहां जो सदस्य रखे जायेंगे वह बी के० डी० के ही अधिक होंगे और कुछ समय के बाद जब उनकी स्थिति मजबूत हो जायगी जिले के अन्दर तब चुनाव करा देंगे। अगर प्रजातंत्र और गांधी सिद्धांत के मानने वाले हमारे मुख्य मंत्री जी हैं तो शीघ्रातिशीघ्र जिला परिषद् का चुनाव करा दें। गांधी जी ने गांवों को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम पंचायत को मजबूत करने की नीति बतलायी है। आज जिन पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति की गयी है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सन् ४७ में जितना वेतन उनको दिया गया था, केवल ५० रुपये, इस समय भी वही उनको दिया जा रहा है और यह इसलिये कि अगर उनका वेतन बढ़ा देंगे तो वहां अच्छे पढ़े-लिखे लोग पहुंच जायेंगे तो गांव के लोग भी होशियार हो जायेंगे। तब आज हम वहां जाकर जिस तरह से वोट मांगते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, वह नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि समाजवाद को फैलाने के लिए और जनहित में कार्य करने के लिये अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, ब्लाक प्रमुख आदि के जितने भी चुनाव बाकी हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र करायें। इससे जनता के अन्दर भी यह भावना उत्पन्न होगी कि वास्तव में सरकार का यह कदम उचित है।

इसके साथ ही आज जितनी सड़कें जिला परिषदों के अन्तर्गत हैं उनमें से ९९ परसेंट की हालत ऐसी है कि उन पर आवागमन नहीं हो सकता है और सरकार के पास अगर कोई दरख्वास्त दी जाती है तो सीधे जवाब दे देते हैं कि यह सड़क जिला परिषद् के अन्तर्गत है। तो जिला परिषद् सरकार के अन्तर्गत है या सरकार जिला परिषद् के अन्तर्गत है? जिला परिषद् भी आपके अन्डर में है। सरकार को चाहिये कि यह देखे कि इस सड़क की आवश्यकता अधिक है, तो उसमें रुपया अनुदान दे और उस सड़क को बनवावें जिससे जनहित में काम हो।

अब इसके बाद मैं ब्लाक की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा, अभी तक बी०डी०ओ० जो एक गजटेड आफिसर होता है, वह जहां पर अध्यक्ष और विधायक बैठते हैं, वहां पर वह भी मीटिंग में बैठते थे और सलाह देते थे और इस तरह से देहात में अच्छी तरह से काम होता था। लेकिन जिलाधीश के यहां कई बार मैं मीटिंग में गया, वहां एम०एल०ए० भी जाते हैं उन से वादविवाद हो जाता था और वह हर बात पर हमारे सामने कहते हैं कि आप गलत कहते हैं, उन का यही रवैया रहता है कि जो विधायक कहे या जनप्रतिनिधि कहें वह गलत है और जो वह कहें बस वही ठीक है। कभी-कभी इसको लेकर गरमा-गरमी भी हो जाती थी। सरकार ने उनको पावर अधिक दी है, यही इसका कारण है। यह जो लिख दें वही सही

[श्री राम पूजन पटेल]

है और सब की बात गलत समझी जाती है उन्हीं की बात सही कही जाती है । मंत्री लोग जो यहां उत्तर देते हैं, कैसे उत्तर देते हैं, वह वही होते हैं जो उनको यह अफसर भेज देते हैं, उनका विश्वास विधायक पर नहीं है, जो विधायक कहते हैं वह ठीक नहीं होता और अफसर का ही लिखा ठीक होता है । यह बात हमने अभी तक स्पष्ट रूप से यहां देखी है । यह नीति बहुत गलत है और इस से विधायकों का कोई मान ही नहीं रह जाता । एक थाने में डकैती होती है तो उसको ३९९ चोरी लिख दिया जाता है और यहां पर मंत्री जी भी उत्तर दे देते हैं कि वहां चोरी ही हुई थी, जो विधायक कहता है वह बात नीची हो जाती है और जो एस०पी० लिखता है वही ठीक मानी जाती है। अगर यही हालत रही तो दस-पांच साल में दो तीन चुनाव के बाद विधायक की कोई कीमत न रहेगी ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह जिला परिषदों को भंग करने के बजाय उनके चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करायें क्योंकि जब वह उधर नेता विरोधी दल थे तब वह कहते थे कि जिला परिषदों के चुनाव होने चाहिये । सिद्धांतवादी व्यक्ति वही है जो दुख सुख में एक सी बात करे, दुख ही में तो आदमी की पहचान होती है और उसी परख में आदमी का पता चलता है कि उसका आचरण सुख में और दुख में कैसा रहता है । यहीं पर मुख्य मंत्री जी पहले ४–५ घंटे तक भाषण देते थे और यहां प्रजातंत्र और समाजवाद के सिद्धांत सदन के सामने रखते थे और हम लोग उन की बातों से खुश होते थे कि यह नेता विरोधी दल जब यहां के मुख्य मंत्री होंगे तो उस में अफसर डरेंगे और विधायकों को उनका उचित स्थान मिलेगा, उनकी कद्र होगी लेकिन आज इस तरह के विधेयक से हमारी वह आशा पूरी नहीं हुई । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कृपा करके इन जिला परिषदों के शीघ्र ही चुनाव करा दें । इन शब्दों के साथ जो संशोधन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मुख्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि देशों में तभी प्रजातंत्र और समाजवाद की रक्षा हो सकती है जब आप शीघ्र से शीघ्र जिला परिषदों के चुनाव कराने का प्रबन्ध करें ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे इस शांत माहौल में इस अहम मसले पर बोलने का मौका दिया । वर्ना इस हाउस की हालत तो यह रही है जैसा कि मेरे भाई गढ़वाल वालों ने कहा था कि यहां प्रजातंत्र की रक्षा का नारा दिया जाता है लेकिन प्रजातंत्र की जो हत्या इस हाउस में ही प्रजातंत्र के रक्षकों के द्वारा होती है वह आपके सामने है और रोजाना आपको विदित है कि जिस तरह से यहां पर हम लोग बारहा खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, शोर मचाते हैं लेकिन हमारी फरियाद पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । यह भी प्रजातंत्र की हत्या है । सिवा इसके कि ५–४ आदमी हैं जिनके नाम जबान पर हैं, जिन की पहुंच है वही यहां पर चहकते नजर आते हैं और उन्हीं पर हमेशा नजरेइनायत की जाती है । मैं इस बात का जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि किसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाय । यहां की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जो बात हम नये सदस्य कहें वह भी आप तक और गवर्नमेंट तक पहुंचे । हम उम्दा से उम्दा बात कहते हैं लेकिन वह प्रेस तक भी नहीं पहुंचती, वहां पर दो-चार बुलबुलें ही चहका करती हैं जिनके जराये और पहुंच है या जो पावर रखते हैं । अगर हमारी उम्दा से उम्दा बात भी होगी तो कहीं नजर नहीं आयेगी लेकिन अगर माननीय डी०पी०बोरा की खांसी भी सुनेंगे तो वह भी प्रेस में जायगी । मैं सरकार पक्ष में होने के नाते मजबूर हूं कि जो बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना अवश्य करूंगा कि हर मामले में जिद नहीं करनी चाहिये । जो बात बिना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सोच समझकर की जाय अगर उसमें कोई मित्रगण तरमीम लायें और अगर वह उपयुक्त हो तो उसे मान लिया जाय । इसमें तौहीन नहीं होती बल्कि एडजेस्टमेंट ही होता है ।

जहां तक मैं समझ पाया हूं यह जो बिल आ रहा है, उसमें बहुत जल्दबाजी हो रही है । इस ९ वर्ष के प्रशासन में जो अत्याचार वहां पर हुए हैं, अगर उनको आपके सामने रखा जाय आप उनका सही अन्दाजा नहीं कर सकते हैं। वहां पर रिश्वत का बाजार गर्म है, फर्जी बिल बनाये जाते हैं, मास्टरों के साथ अत्याचार किये जाते हैं। यह ठीक है कि आपने उनको जिलाधीशों के मातहत करने का विचार किया है लेकिन इतने वाइड अख्तियारात आप जिलाधीशों को देकर यह नहीं सोचते हैं कि उनका कहां तक मिस यूज हो सकता है । आज भी वे लोग आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी पर्टिक्युलर पार्टी की सरकार है और दूसरी पार्टी के सदस्य उनके पास जाते हैं तो वे उनको घास नहीं डालते । हां, उनका मजाक जरूर उड़ाते हैं। आज सचिवालय में भी महसूस करते हैं कि किस प्रकार से वे आदेशों का पालन करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी आदत पड़ गयी है। आप चिकने घड़े हो गये हैं। ऐसी कोई जिद की बात नहीं है। अगर कोई एमेंडमेंट समझदारी का है और जिसकी वजह से प्रशासन में सुधार हो सकता है तो बिना अपोजिशन पार्टीज के जोर डाले आप अपने बिल में तरमीम कर लें।

एक सदस्य---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो भाषण माननीय सदस्य दे रहे हैं, हमारे मंत्री जी उसे नहीं सुन रहे हैं ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

श्रीमन्, मैं नहीं समझता हूं कि उनका कौन-सा बैरोमीटर है जिससे वे जान लेते हैं कि मैं उनको नहीं सुन रहा हूं ।

एक सदस्य---

हमारी आंखें ही बैरोमीटर हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहारादून)---

श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री जी उनके भाषण का एक भी वाक्य बता दें तो हम मान लेंगे कि वे उनके भाषण को सुन रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी के दो कान हैं उनसे २ सदस्यों को सुन सकते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

कहीं चौधरी साहब जिलाधीशों को इतनी वाइड पावर देकर अपने गले में मरा हुआ सांप न लटका लें। इसलिये जरूरी है कि कम से कम वे नोमिनेट करते समय विधान सभा के सदस्यों को जो उन क्षेत्रों से आते हैं अवश्य ही नोमिनेट करें। अगर नोमिनेशन का कोई दूसरा तरीका अपनाया गया तो उनके लिए और सरदर्द हो जायगा। आज से ही कोशिश होने लगेगी नोमिनेशन की। आप उनको चेक नहीं कर पायेंगे, आप सही तरीके से उनको गाइड नहीं कर पायेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर दूसरी तरफ से भी कोई अच्छी बात आवे तो उनको एक्सेप्ट कर लें। सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को आप अधिकार दे रहे हैं लेकिन इसमें आपको काफी सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है ।

चारों तरफ भ्रष्टाचार की शिकायत है लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार हट नहीं सकता । आपकी ट्रांसपोर्ट ऐडवाइजरी कमेटी है, उसमें आपके आर० टी० ओ० होते हैं । लेकिन आज वहां क्या हो रहा है ? अगर प्रजातंत्र के युग में इस तरह से अधिकारियों को आप पावर देंगे तो

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

वे डिक्टेटर की तरह से काम करने लगेंगे और ये लोग किसी दिन आपके लिये ही घातक हो जायेंगे और आपके लिये सरदर्द बन जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बढ़िया सुझाव आवे तो उसको आप मान लें। अगर नहीं मानेंगे तो हमें आपका समर्थन करना ही है कुशल प्रशासन के नाम पर। लेकिन कुशल प्रशासन के क्या कारनामे हैं उनको अगर देखा जाय तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आई० जी० को हटा कर एक डी० आई० जी०, श्री सक्सेना को प्रमोट करके आई० जी० बना दिया गया। श्री सक्सेना ने उसके लिये कोई आपकी शुक्रिया तो अदा की नहीं लेकिन आई० जी० ने सबसे पहला काम यह किया-- उनका नाम मैं नहीं लूंगा। अगर किसी को पूछने की आवश्यकता पड़ी तो बाद में बतला दूंगा। एक सब इंसपेक्टर जिन्हें श्री सक्सेना के जमाने में बहुत परेशान किया गया था, आखिर में तंग आकर वह हाईकोर्ट में चला गया और वहां फैसला उसके पक्ष में हुआ और उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुआ और उस सब इंसपेक्टर को नौकरी में रखने की बात तय हो गयी। लेकिन आई० जी० बनने पर श्री सक्सेना ने सबसे पहला काम यह किया कि उस सब-इन्सपेक्टर को. . .

श्री अधिष्ठाता--

आप विषय पर ही बोलें।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मैं स्वच्छ प्रशासन के सम्बन्ध में ही बोल रहा था। मेरे कहने का मंशा यह है कि इस युग में कुशल प्रशासन के बहाने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिला परिषद् के अन्दर बहुत धांधलेबाजी करेंगे और इन धांधलेबाजी की वजह से मिनिस्टर साहब के पास शिकायतें आयेंगी और बड़ी खराबी पैदा होगी। इस बिल का समर्थन तो मैं करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं जाकर कहूंगा कि इस बिल के अन्दर पहले के लेजिस्लेचर्स को तो कमेटी का मेम्बर मान ही लेना चाहिये और आगे आप चाहे जैसा करें।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक विधेयक यहां पर पेश किया गया और मैं तो यह समझता था कि शायद इसके गर्भ में जो कारण है वह कुछ और हों और यह भी मेरा इरादा नहीं था कि ख्वामख्वाह में इस माननीय सदन का बहुमूल्य समय लूं लेकिन जब कई ऐसी बातें हों जिससे उन लोगों की भावनाओं को ठेस लगे जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं,इसलिये हमारे माननीय बसन्त लाल शर्मा जी ने इसमें एक संशोधन दिया और मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हम सब इस वक्त प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन हम इस पक्ष में नहीं हैं और इस पक्ष में ऐसे जो लोग नहीं हैं, उनमें अधिक लोग प्रजातंत्र के समर्थक हैं, हामी हैं और उसकी पूजा करते हैं। मान्यवर, जिस मंदिर की हमने पूजा की हो, बरसों तपस्या की हो, जिस देवता की सदैव आराधना की हो, पूज्य बापू के चरणों में बैठकर उनकी छत्रछाया में सब कुछ सीखा हो, अगर उन सब पर एटम बम गिरा दिया जाय, या उनकी मान्यताओं को ही ढहाने की कोशिश की जाय, तो श्रीमन्, उस समय हमारा क्या कर्त्तव्य हो जाता है? क्या उस समय हमारा यही कर्त्तव्य हो जाता है कि हम चुप होकर बैठ जायं? मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है यह इस तरह का विधेयक है कि इसको भारी बहुमत से रिजेक्ट किया जाना चाहिये।

मान्यवर, अभी झांसी के माननीय सदस्य ने जिन बातों को यहां कहा, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। आखिर यह जिला परिषद् क्या है? इन जिला परिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो हमें मालूम होगा कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के लिये, गांधी जी के रामराज्य के स्वप्न को साकार रूप देने के लिये तथा उनकी अभिलाषाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की पूर्ति के लिये ही ग्राम सभाओं के चुनाव कराये गये थे, फिर बी० डी० सी० बनीं, उसके बाद जिला परिषदों का चुनाव हुआ। हम सभी यहां पर चुन कर आये हैं। हमें भी किसी ने चुन कर भेजा है। जिस जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है वही जनता जिला परिषदों, आदि में लोगों को चुन कर भेजती है। अगर हम उन लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं कि जिनको जनता ने चुनकर भेजा है तो हम जनता की भावनाओं का आदर नहीं करते, प्रजातंत्र की रक्षा नहीं करते, जनतंत्र का मखौल उड़ाते हैं। इससे अवश्य जनता के दिल पर ठेस लगेगी।

मान्यवर, यह विधेयक क्यों लाया गया है? इसके गर्भ में कुछ कारण हो सकते हैं। मैं दो, तीन मुख्य मुख्य कारण सुनाऊंगा, माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देने की कृपा करें। मान्यवर, पहला कारण है भ्रष्टाचार। यहां बताया गया था कि ३७ जिला परिषदों के संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायतें आयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की शिकायतें किस विभाग के बारे में प्राप्त नहीं होती हैं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां माननीय मंत्रियों के विरुद्ध भी शिकायतें आयी हैं और लोगों ने प्रश्न किये हैं। इसी सदन में उनके विरुद्ध परचे तक बांटे गये हैं। मान्यवर, आज जो कुशल प्रशासन की दुहाई देते हैं वे कुशल प्रशासन नहीं, उसके स्थान पर कुशल कुशासन अवश्य दे रहे हैं। सरकार के मंत्रियों में एक ऐसे भी मंत्री हैं जो जुडिशियरी से निकाले गये हैं। जिनके विरुद्ध २५-२५ हजार की रिश्वत लेने के आरोप हैं, सदन में पर्चे बाटे गये हैं, और अगर ऐसे लोग कुशल प्रशासन की दुहाई देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे किस तरह से कुशल प्रशासन दे सकते हैं?

एक सदस्य—

उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

उनको इस्तीफा देना चाहिये था। अगर आरोप असत्य थे तो उसके लिये उनको अदालत में जाना चाहिये था और उसके लिये पूरी जांच बिठानी चाहिये थी। श्रीमन्, अगर प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया गया, उस पर एटम बम गिराया गया, तो प्रदेश की जनता उसे बरदाश्त नहीं करेगी। आपको कोई हक नहीं है कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को आप रिजेक्ट कर दें। हम सब को चुनाव के लिये जनता के बीच जाना पड़ता है, जो जिला परिषद् के सदस्य तथा अध्यक्ष वगैरह हैं उनको भी जनता के बीच चुनाव के लिये वोट मांगने जाना पड़ता है, अगर कोई भ्रष्ट है तो जनता उसे माफ नहीं कर सकती, वह उसे रिजेक्ट करेगी। आपको कोई अधिकार नहीं है उनको हटाने का। मान्यवर, एक बात और बता दूं, एक मंत्री जी को रिजेक्ट किया जा चुका है १९६७ में, किन्तु आज वह दुहाई देते हैं कुशल प्रशासन की। आज वह कहते हैं कि जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है फिर उनको किस कारण थोप दिया गया है? जब कोई व्यक्ति अपने किये का प्रायश्चित कर लेता है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है और उसको जनता में फिर स्थान मिल जाता है। अगर आप मेजारिटी में बैठे हैं, मुझे कतई विश्वास नहीं है कि यह सरकार मेजारिटी में है, और जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो आप देखेंगे कि यह प्रस्ताव हमारा बहुमत से पास होगा। यह मुझे विश्वास है। अगर, मान्यवर, इस सरकार के अन्दर जरा भी बल है तो यह ३ महीने के अन्दर, चार महीने के अन्दर, ६ महीने के अन्दर पंचायतों का और जिला परिषदों का चुनाव कराये तो उसे असलियत का पता चल जायेगा कि जनता किसके साथ है। क्योंकि वहां हमारे समर्थक ज्यादा हैं और आज यह आरोप स्पष्ट रूप से यहां पर लगाया जा चुका है कि ३७ अध्यक्षों के विरुद्ध भ्रष्टाचा र की शिकायतें आईं तो उनको निकाला जा सकता है, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई जा सकती है, लेकिन जिला परिषदों को हरगिज, हरगिज भंग नहीं किया जाना चाहिये। आप उन अध्यक्षों को निकालें और सदस्यों को अधिकार दें कि वे दूसरे अध्यक्ष चुनें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा करने से आपको किसी ने नहीं रोका है। क्या यह उचित नहीं होगा? क्या यह

[भानुप्रताप सिंह]

अनुचित है ? लेकिन, मान्यवर, अगर उनकी यही आदत है तो हमको क्या शिकायत हो सकती है। यह तो उनकी प्रवृत्ति का द्योतक है। यह उनकी तानाशाही प्रवृति का द्योतक है। यह उनकी उसी आदत का परिचायक है। (सरकारी पक्ष से शोर होने पर) जरा दिल थाम कर सुन लो। मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जाएं और जब चुनाव हो जायेंगे तो निर्णय भी हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। अगर जनता उनके साथ है तो उनके व्यक्ति चुनकर आयेंगे और यदि जनता हमारे साथ है तो हमारी तरफ के, जो पार्टियां इधर बैठी हैं उनके सदस्य चुनकर आयेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

शाहजहांपुर में तो निर्णय हो गया।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)---

मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि नफरत से कोई काम नहीं होता। यदि हम समाज के अन्दर कोई इमारत बनाना चाहते हैं तो नफरत से कुछ नहीं हो सकता। इन लड़ियों को तोड़ने के बाद, इन फूलों को नष्ट करने के बाद, जिनसे प्रजातंत्र की वास्तविक उपलब्धि हुई है कोई भी सरकार जनतन्त्रीय सरकार नहीं कही जा सकती। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब यहां पर कोई असलियत की बात कह दी जाती है तो यह चिढ़ जाते हैं। किन्तु चिढ़ जाने से कोई बात समाप्त नहीं होती। आप किसी का गला नहीं घोट सकते। यहां पर तो सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि –

"हर चीज यहां पर मरकज होती है,
एक रोज इधर है एक रोज उधर,
नफरत से न देखो दुश्मन को,
न जाने कब मुहब्बत कर बैठे।"

मुझे अपने महीलाल जी से बहुत मुहब्बत है, वह अपने ही बड़े भाई हैं। आप लोग आत्मा को जगा देते हे।

एक सदस्य---

महीलाल जी से मुहब्बत है या बी० के० डी० से ?

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)---

नहीं केवल इनसे है। मैं यह कहना चाहता था कि इस प्रदेश के अन्दर, इस देश के अन्दर राजनीति अस्थिरता का विज्ञाता, उसका कोई भी जिम्मेदार तो हमारे भाई जो उधर बैठे हैं, बी० के० डी० के लोग और चौधरी चरण सिंह। अस्थिरता मैंने कहा है। जो इतने बड़े प्रजातन्त्र की जड़ों को खोदने से बाज नहीं आ सकते, जो आज एक बात कहता है, सुबह को बदल जाता है और टेरोराइज करता है, इस शासन को, ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, जो राष्ट्रीय नहीं कहे जा सकते, जिनसे समाज में स्वस्थ वातावरण नहीं पैदा होता, वह कभी कुशल प्रशासन दे सकता है।

विधेयक में है कि सारे अधिकार जिलाधीश में निहित कर दिये जांय। आज जो शासनकर्ता सरकारी नौकरों में विश्वास करते हों, उन लोगों में विश्वास करते हों, जो प्रजातंत्र की जड़ें खोदते हैं, मैंने कभी किसी अधिकारी को चुने हुये लोगों की इज्जत करते देखा है। जब वे यहां बैठते थे तो बराबर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें किया करते थे, आज जब हमारी तरफ से इसी तरह की शिकायतें की जाती हैं तो लोग बड़े-बड़े लोगों को छोड़कर लेखपालों पर उतर आते हैं। अगर किसी शासन का मुख्यमंत्री लेखपाल के पक्ष की बात कहे तो लानत है ऐसे शासन की। जिला परिषद् के अन्दर है क्या ? जिला परिषद् के द्वारा जिले के कितने विकास के कार्य

होते हैं । जनता यह समझती है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष गांव की हर समस्या को हल करने में सक्षम है । वह समझती है कि अगर वह कोई बात जिला परिषद् के अध्यक्ष से कहती है, तो वह चीज, आसानी से, पंचायत राज अधिकारी तक. ए० डी० एम०, प्लांनिग तक, कोआपरेटिव के अधिकारी तक पहुंच जायेगी । मान्यवर, हर महीने में मीटिंग होती है और परिषद् का चेयरमैन उसका अध्यक्ष होता है । उसमें सब विभागों के अध्यक्ष आते हैं । अगर जिला परिषदों के अध्यक्षों को हटा दिया जाय तो क्या होगा ? लाइन लगी रहेगी, गरीब मासूमों, अबलाओं की अधिकारियों के यहां जो किसी का दुख: तो समझना तो दूर रहा, अपने भरण पोषण की बातें ही सोचना जानते हैं। इतना ही नहीं, वे ऐसी बातें करते हैं जिनको कहने में मुझे यहां लज्जा आती है । इस समाज में उन अधिकारियों के बाल-बच्चे और परिवार वाले लोग भी हैं । वे अधिकारी जब समाज विरोधी बातें करते हैं तो दिल को तकलीफ होती है और उसको सुनने के लिये सारे माननीय सदस्य और आप यहां पर हैं । इसलिये हम अपनी बात स्पष्ट रूप से यहां कहना चाहते हैं । आज उन लोगों के अन्दर जिनके अन्दर, जिनके दिलों में प्रजातंत्र का विश्वास नहीं है, जो तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, जो नीच कर्म करने से बाज नहीं आते, आज जिला परिषदों की सारी शक्ति उनके हाथ में देना चाहते हैं।

मान्यवर, अगर यह उचित नहीं है तो इस सरकार को शीघ्र ही चुनाव कराना चाहिये । जैसा कि अभी पार्लियामेंट के चुनाव की बात हुई थी कि अगर पार्लियामेंट भंग हुई तो एलेक्शन कमीशन उसके चुनाव तीन महीने के अन्दर करा सकता है । यह बात गलत नहीं है । इसी हाउस में यह बात उठाई जा चुकी है । सभी माननीय सदस्य उस बात को जानते हैं कि जिला परिषद् के अधिकारियों के हाथ में जो चीजें हैं उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां पर जो गांवों में सबसिडी बटती है जिला परिषद् में अध्यक्ष के सामने उस सवाल को उठाया जाता है । आज अगर उनका अधिकार छीन लिया जायेगा तो फिर उन किसानों की सुनने वाला कौन वहां पर होगा ? उनकी बात कहने वाला यहां पर कोई नहीं रहेगा । क्या पंचायत के अन्दर जो गड़बड़ी हुई है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है ? जो गड़बड़ी ब्लाकों के अन्दर हुई है क्या सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है ? आज सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो सबसिडी की रकम दी जाती है वह लगभग ५० फीसदी वहां के अधिकारियों की जेब में चली जाती है । क्या इस बात से कोई माननीय सदस्य असहमति प्रकट कर सकता है ? इस बात को हम भी कहते हैं और उधर के भाई भी कहते हैं और जानते है ।

श्री महीलाल—

आपके विकास क्षेत्र में तो ऐसा नहीं हुआ है ?

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

मेरे विकास क्षेत्र में ऐसा हुआ है और उसकी शिकायत की है । अपनी सरकार से इस सम्बन्ध मैं मैंने सवाल किया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार प्रजातन्त्र और जनतन्त्र पर कुठाराघात करके तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हो तो जनता के हितों के लिये और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये जितने हम विरोधी पक्ष में बैठते हैं, सब अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे । हममें लड़ने की शक्ति है, अपनी बात कहने की शक्ति है । हम जनता के हिमायती हैं । तभी इस बात का निर्णय होगा कि जनता के अधिकारों का हिमायती कौन है ।

जो जहाज को उलट दे उसे तूफान कहते हैं,
जो तूफान से टकराते हैं उन्हें इन्सान कहते हैं ।

अगर इस कांग्रेस के अन्दर बुराई थी जिसने २० साल तक देश के अन्दर प्रजातन्त्र कायम किया और प्रजातन्त्र की स्थापना की हो इस संस्था में रह कर इन बुराइयों से लड़ नहीं

[श्री भानुप्रताप सिंह]

सका, दूर नहीं कर सका और बराबर मंत्री बना रहा और जो जंगे मैदान छोड़ कर भाग गया उसे क्या कहते हैं ? उसे भगोड़ा कहते हैं कायर कहते हैं। अगर कायर नहीं हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर ३८ एकड़ की सीलिंग के बिल को ला कर पास करें तो मेरा व्यक्तिगत वोट उसके समर्थन में होगा। लेकिन मैं यह हर्गिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि समाजवाद के झूठे वायदे तथा सत्ता की अनुशासनहीनता के तूफान में इस सारे के सारे तंत्र को बहा दिया जाय। आखिरी सांस तक बहादुर वह होते हैं जो इन तूफानों से टकराते हैं, भागने वाले बहादुर नहीं होते। वे दुनिया के इतिहास में जयचन्द और भगोड़े कहलाते हैं। आज जिस मंदिर की बुनियादें हिल रही हैं, जिस प्रजातन्त्र को ध्वस्त करने के लिये आटम बम डाला जाता है, मैं अपने दिल की गहराइयों से यह कहना चाहता हूं कि ये इस प्रजातंत्र को मिटा कर रख देंगे, इसका मखौल उड़ायेंगे। उनका कार्यक्रम क्या है ? वह है एक सूत्री।

श्री महीलाल--

माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)--

मान्यवर, उनकी आस्था भी इस प्रजातंत्र में है जैसा कि वह कहते हैं इसमें मुझे शक है लेकिन अगर वास्तव में उनकी आस्था है तो इस विधेयक को वापस लें। यह विधेयक जनतंत्र का हिमायती नहीं है, रक्षक नहीं है। यह विधेयक वह तलवार है जिससे प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन श्री बसन्त लाल जी शर्मा ने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। अधिष्ठाता-महोदय, आपने जो समय मुझे दिया उसके लिये मैं रोम-रोम से आपका आभारी हूं।

*श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री द्वारा पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं। जो अभी यह कहा गया कि यह विधेयक जनतंत्र का हत्यारा है तो मैं बतला दूं कि प्रजातंत्र की ५ सीढ़ी हैं, गांव सभा, क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, विधान सभा और लोक सभा। जिला परिषद् का चुनाव गांव सभा तथा क्षेत्र समिति पर निर्भर है। आज से ९ साल पहले गांव सभाओं का चुनाव हुआ था। उसके बाद क्षेत्र समितियों और तत्पश्चात् जिला परिषदों का चुनाव हुआ था। लेकिन इन जिला परिषदों के चुनाव अप्रत्यक्ष हुये और गांव सभाओं तथा क्षेत्र समितियों के चुनाव प्रत्यक्ष हुये। गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों के चुनाव रोके जाते रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि यह विधेयक जनतंत्र का हत्यारा है। यह बात नहीं है, बल्कि यह जनतंत्र को कायम रखने के लिये है। इस विधेयक को लेकर वास्तव में जो हमारी इकाइयां गांव सभा तथा क्षेत्र समितियां हैं उनके चुनाव हम करायेंगे। राजनीतिक दृष्टि से गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों के चुनाव जिला परिषदों के अध्यक्ष को बरकरार रखने के लिये टाले जाते रहे हैं। इसी विधान सभा में प्रश्न उठ चुका है कि जिला परिषदों के अध्यक्षों को बरकरार रखने के लिये उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता था और इनका चुनाव टाला जाता है। इसलिये यह विधेयक जनतंत्र में आस्था रखने वाला है और जनतंत्र को खत्म करने वाला नहीं है।

इसी विधान सभा में कहा जा चुका है कि ५१ जिला परिषदों में ३७ के अध्यक्षों के खिलाफ निन्दा की शिकायतें हैं। जब दो-तिहाई अध्यक्षों के खिलाफ और अनियमितताओं की शिकायतें हैं तो ऐसे अवसर पर भी जिला परिषद् खत्म न हों, तब कब खत्म होंगे ? जिला परिषद् के अध्यक्षों की शिकायतें बहुत सुनने में आती हैं। मैं अपने जिले जौनपुर के जिला परिषद्

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में बताना चाहता हूं कि जब यह तय हो गया कि जिला परिषद् खत्म होने जा रहे हैं तो वहां पर अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं। एक ट्रस्ट बना कर उम्मीदवारों से चन्दा लिया गया और इंटरव्यू से पूर्व ही चहेतों ने रुपया वसूल किया। जिन लोगों से रुपया मिल गया उनको पोस्टिंग कर दिया गया। इसी तरह से अध्यापकों के तबादलों के बारे में भी शिकायतें हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपा करके अखबार न पढ़ें।

श्री माता प्रसाद—

किसी से अध्यक्ष नाराज हो गये तो १०० मील दूर ट्रांसफर कर दिया और जब खुश हो जाते हैं तो नजदीक कर देते हैं। इनमें क्रय-विक्रय और छपाई के काम होते हैं जिनमें बड़ी गड़बड़ी होती है, अपने लोगों को ही टेंडर दे देते हैं और लाखों रुपयों का गोलमाल होता है। जिलाधीश अकेले को सारे अधिकार न दिये जायं। एक सलाहकार समिति होनी चाहिये। इसमें हरिजन, मुसलमान और हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसमें विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को भी रखा जाना चाहिये। एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि ब्लाक कमेटियों के प्रमुखों और जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता था, इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही कराया जाय। जैसा मैंने कहा लोकतंत्र के ५ खंभे हैं- - गांव सभायें, क्षेत्र समितियां, जिला परिषद्, विधान सभा और लोक सभा। लेकिन पांचों में केवल क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ही दो जो ऐसी संस्थायें हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाय। जहां तक जिला परिषद् के अध्यक्षों का सवाल है, कुछ इने गिने लोगों को ही जिला परिषदों का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिये, गरीबों और जनता का सीधा प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

इसमें एक गड़बड़ और है कि हरिजनों को उसमें नामिनेट किया जाता है। मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं। उनको भी जनसंख्या के हिसाब से सीटें दी जायं और प्रत्यक्ष चुनाव से ही लाया जाय, हम किसी के भी दया के पात्र नहीं बनना चाहते। इसके अलावा, एक बात यह है कि जब से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला परिषदों को खत्म किया जाय तब से जिला परिषद् बहुत बैठकें बुला रहे हैं और पिछले दिनों में जो गड़बड़ काम किये हैं, जो अन्याय किये हैं, उनको इन बैठकों के द्वारा ठीक करना चाहते हैं। मंत्री जी हर जिले में इस प्रकार के आदेश भेज दें कि कोई भी बैठक नहीं होनी चाहिये। हमारे जिले में केराकत कस्बा है। वहां पर रेलवे लाइन के पास की पटरी नीलाम फर्जी की गयी। नियम यह है कि पहले नीलाम होता है, फिर जिला परिषद् की बैठक में उसकी स्वीकृति होती है। लेकिन यह नीलाम केवल कागजात पर किया गया है और जिला परिषद् की स्वीकृति भी नहीं ली गयी है। तमाम जिला परिषद् की जमीन को किन्हीं खास व्यक्तियों को एलाट कर दिया गया। जिला परिषद् में इसकी स्वीकृति नहीं हो सकी। अब अध्यक्ष इसकी स्वीकृति कराना चाहते हैं। इसी प्रकार से जिला परिषद् ने शीशम के पेड़ों को भी फर्जी तौर पर बिलकुल कम दामों मेंनीलाम कर दिया। जब माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि ५१ में से ३१ जिला परिषदों के बारे में घोर भ्रष्टाचार की शिकायतें है तो माननीय मंत्रीजी अवश्य ही उनके खिलाफ जांच कराये और अगर शिकायत साबित हो जाय तो इन लोगों को दंड दिया जाय। अगर उनके खिलाफ कार्यवाही न की गयी तो आगे आने वाले लोग भी इसी प्रकार गड़बड़ियां करेंगे। तो मैं, मान्यवर, केवल इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि वास्तव में यह जो विधेयक है, इसके द्वारा हमारी दूसरी इकाइयों, गांव सभा, क्षेत्र समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायं और जिला परिषदों के चुनाव भी हों ताकि इन जगहों पर फैला हुआ भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बिल का मैं स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के जिला परिषदों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे रोकने के लिये अगर चौधरी साहब ने साहस किया है तो अच्छे काम की हमें सराहना करना चाहिये। मैं आपके द्वारा बस्ती जिला परिषद् की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर कई लाख रुपये का गड़बड़-घुटाला है जिसकी जांच बहुत दिनों से चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर एक सड़क है जो कि जिला परिषद् द्वारा बन रही थी। उसके लिये ८ लाख रुपया बनाने के लिये स्वीकृत हुआ लेकिन वह नहीं बनी हालांकि इन्जीनियर, ओवरसियर, अध्यक्ष और सेक्रेटरी के मकान जरूर बन गये। मैं आप से कहना चाहता हूं कि ऐसे अध्यक्षों की जांच करानी चाहिये और इस बिल को पास करके शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिये। ऐसे अध्यक्षों को तुरन्त अलग कर देना चाहिये और उनके खिलाफ जांच कराई जानी चाहिये। हमारे हरैया तहसील में ७ फलांग जिला परिषद् की सड़क है जिसको कि उत्तर प्रदेश के हर आदमी ने जो उधर से जाता है देखा होगा। यह लखनऊ और गोरखपुर रोड पर बसा हुआ हरैया बाजार है, लेकिन जिला परिषद् वहां पर न तो ७ फलांग सड़क को बनवाता है और न ही छोड़ता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य विधेयक तक ही सीमित रहें। सड़क वाला मामला बजट में रक्खें।

श्री सुखपाल पांडेय--

यह उसी से सम्बन्धित है इसलिये कहना चाहता हूं। इस सड़क के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लाखों रुपये की जमींन बेच दी गई है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् के १,२०० अध्यापक और अध्यापिकाओं को वेतन, जो कि सन् १९६६ से काम कर रहे हैं, आज तक नहीं मिला है। मेरे प्रश्न में विधान सभा में मुझे २० अगस्त को उत्तर दिया गया था कि ३१ अगस्त तक दे दिया जायगा लेकिन मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इन १२०० अध्यापक और अध्यापिकाओं को वेतन आजतक नहीं दिया गया है। यहा पर मैं बतलाना चाहता हूं कि बस्ती जिला परिषद् के बराबर दूसरी जगहों पर भ्रष्टाचार नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यहां पर यह कहा गया है कि ५१ में से ३७ जिला परिषदों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं इस सम्बन्ध में सोच रहा हूं कि जो थोडे से बच गये हैं उनकी भी छानबीन की जानी चाहिये। आज कुर्सी के व्याकुल लोग जिला परिषदों को रोकने के लिये बेचैन है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि दोनों ही तरफ के बैठे हुये लोग जिला परिषदों में हैं। किस प्रकार से जिला परिषदों में घपला हुआ है यह बात किसी से छिपी नहीं है। हमारे जिले में अध्यापकों के ट्रान्सफर करने में ऐसी धांधली बर्ती गई है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको ऐसे अध्यक्ष को तो पहले ही खतम कर देना चाहिये था। जब गुप्ता जी की सरकार थी और उसके बाद जब माननीय चरण सिंह जी की सरकार आई तब भी मैंने वहां की धांधलियों को लिखकर दिया परन्तु उनके खिलाफ अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। पिछली बार जब मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो उत्तर दिया गया था कि जांच की जा रही है। आज लाखों रुपयों का सामान बर्बाद किया जा रहा है, जिन लोगों से ज्यादा कमीशन मिलता है उन्हीं से सामान खरीदा जाता है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। यहां के लोग उनको यही जानते हैं कि वह तो बहुत सीधे साधे अध्यक्ष हैं परन्तु वास्तव में वह कैसे हैं इसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि जिलाधीशों को यह अधिकार देने की बात है उसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूर्णरूप से जिलाधीशों को यह अधिकार न दें, बल्कि एक सलाहकार समिति बना दें जिसमें जिले के विधायक, एम० पी० तथा एम० एल० सी० रखे जायं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त अध्यापकों से २०, २० रु० ,२५ २५ रु० चन्दा का वसूल किया गया। मैं भलीभांति जानता हूं कि हरैया तहसील में वहां के गरीब अध्यापकों से यह चन्दा वसल किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपको शीघ्र ही जिला परिषदों को भंग कर देना चाहिये और उसका नियंत्रण शीघ्र ही ले लेना चाहिये। यह मार्च का महीना है और इस माह में बहुत अधिक धन खर्च होने वाला है। अब जब यह बात विदित है कि जिला परिषद् समाप्त होने जा रही है तो वहां के लोग इस पैसे का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। वह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक धन इस मार्च के महीने में व्यय कर दिया जाय और अपने घर को भरा जाय। आपको चाहिये कि आप इस प्रकार बर्बाद होते हुये जनता के धन को बचावें। करोड़ों रुपये अध्यक्ष और इंजीनियर के घरों में चले जायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें शीघ्रता करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसको शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित किया जाय और जल्दी से आदेश भिजवाये जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् के शिक्षा विभाग को जिला परिषद से निकाल कर जिला विद्यालय निरीक्षक के अन्तर्गत कर दिया जाय। शिक्षा के नाम पर जिला परिषदों में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। लाखों रुपया शिक्षा का काट-कपट कर बिल्डिंग्स बनवाई जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि जिला परिषद् का शिक्षा विभाग वहां से हटा कर जिला विद्यालय निरीक्षक के अन्तर्गत कर दिया जाय। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत आवश्यक है और इसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*श्रीमती हमीदा हबीबुउल्ला (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। अभी हमारे भाई भानुप्रताप जी यह कह रहे थे कि लड़ेंगे और लड़ने के बाद मारेंगे। आपने एक बात नहीं कही। मैं तो अपने उधर के साथियों से यह कहना चाहती हूं :---

करने दो अगर कत्ले जहां तलवार की बातें करते हैं,
अर्जा नहीं होता उनका लहू जो प्यार की बातें करते हैं।

तो हम लोग तो अपने दोस्तों से प्यार की बातें करते हैं। हमारे दोस्तों के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत है और जनता के प्रति उसी मोहब्बत की वजह से इन जिला परिषदों को खत्म करना चाहते हैं। पहले भी हमारे भाइयों ने जो उधर बैठते हैं, जनसंघ के और एस० एस० पी० के भाइयों ने सुझाव दिये थे और बताया था कि जिला परिषदों में क्या क्या खराबियां हुई हैं। हमने अपने उन साथियों के सुझाव को दिया और मैंने भी उसमें छानबीन की। उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ कमियां थीं और हम जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम जिला परिषदों को खत्म करें। हमारे भाई बसन्तलाल जी ने कुछ अच्छी बातें कहीं। एक बात तो उन्होंने यह कही कि हमारा दल बहुमत में है और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि शायद हम इधर बैठें। तो मैं आपके माध्यम से बसन्तलाल जी से कहना चाहती हूं कि आप खुशी-खुशी तशरीफ लायें---आपका दिल चाहे हमारे कमलापति जी के पीछे बैठें और चाहे चौधरी चरणसिंह जी के पीछे बैठें। तो आप बहुत वैलकम हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती हमीदा हबीबबुल्ला]

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अच्छी अच्छी तकरीरें हुयीं, मगर मैं आपका ध्यान पार साल की बात की तरफ दिलाना चाहती हूं। उस वक्त मुझे जिला परिषदों की बाबत कुछ मालूमात नहीं थीं और उनकी खराबियों की बाबत भी कुछ मालूमात नहीं थीं। हमारे यहां बाराबंकी में जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे करीब के साथी थे। उन पर हमारा बहुत भरोसा था और उनकी मैं बहुत इज्जत करती थी और अब भी करती हूं। यहां पर पार साल हमारे भाई एस० एस० पी० के लीडर, श्री अनन्तराम जायसवाल, यह प्रस्ताव लाये थे या खुद इसी तरीके का कोई सुझाव दिया था और उसमें कुछ बातें बतायी गयीं थीं। जिला परिषदों की कुछ खराबियां बतायी गयी थीं। मैंने बहुत छानबीन की और ब द में पता चला कि जो बातें बतायी गयीं थीं उनमें बहुत कुछ सच्चाई थी। उन्होंने पार साल यह कहा था कि जिला परिषद् को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वे राजनीति में हिस्सा लेती हैं, उन्होंने चुनाव में वोट डलवाये और न अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं और न वक्त पर स्कूल ही जाते हैं। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि इसमें बहुत कुछ सच्चाई है। उन्होंने यह बताया कि देखिये साहब ६-६ महीने अध्यापकों की तनख्वाह नहीं मिलती है। वे बेचारे चुप बैठे रहते हैं इसलिए कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और वे निकाल दिये जायेंगे। इस कारण हमारी हरित क्रान्ति और रूरल डेवलपमेंट बिल्कुल पिछड़ गया है। सड़कें बनती नहीं हैं। विकल जी को शायद यह मालूम नहीं है कि सड़कें बिल्कुल जिला परिषद् के नीचे आती हैं। सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है। इसकी वजह से हमारे मार्ग में इस कदर परेशानियां हैं जिसकी इन्तहा नहीं। हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारे ८० परसेंट भाई गांवों में रहते हैं। जो गरीब किसान खेतों में गल्ला पैदा करता है वह गल्ला कैसे बेचे? बाहर ले जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। इसकी वजह से वह सस्ते में बेच देता है। सड़कों के न होने की वजह से बीमार को अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता है और न बच्चे दूर स्कूल ही पढ़ने जा पाते हैं। साइकिल भी उन सड़कों पर नहीं चल सकती है। हमारे भाई, श्री अनन्तराम जी जायसवाल, ने कहा था कि सड़कों पर गलत रुपया खर्च किया गया है। यह वह बात थी जो हमारी भाई, जायसवाल जी ने कही थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि श्री अनन्तराम जो जायसवाल, जो हमारे बाराबंकी के भाई हैं, को अबकी दफा क्या हो गया है। उनकी जनता की मोहब्बत और जनता के लिए हमदर्दी किधर चली गयी? वे कैसे चुप बैठे रहे? मैं आपको एक शेर याद दिलाती हूं:—

कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया।
बात निकली तो हर बात पर रोना किस लिए आया।

आखिर मेरे भाई को क्या हो गया कि जो चीजें उन्होंने पारसाल बतायी थीं उनको हजम करके खामोश बैठे रहे? क्या एक साल के अन्दर इतनी अच्छी अच्छी बातें होनी शुरू हो गयी हैं? फिर मैंने देखा कि हमारे जनसंघ और एस० एस० पी० के भाई जब इसके समर्थन में कुछ कहते थे तो उनको घसीट घसीट कर बिठाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि यह हमारे हक के खिलाफ है, तुम ऐसा न कहो। क्या सच बोलने पर बन्दिश हो गयी? मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं जानती हूं कि पंचायत राज के लिये जिला परिषद् जरूरी हैं लेकिन हमने उनको जज कर के देख लिया। बीमार इन्सान को डाक्टर की भी जरूरत होती है और दवा की भी जरूरत होती है। मगर अगर डाक्टर के इलाज से फायदा न हो, जो दवा उसको देते हैं वह जहर का काम करे तो मैं अनन्तराम जी से पूछूंगी कि क्या वह डाक्टर को नहीं बदलेंगे, दवा नहीं बदलेंगे? आपको जरूर बदलना होगा। हमें इसलिये नहीं बदलना है कि जिला परिषद् की हम इज्जत नहीं करते हैं। हम सिर्फ इसलिये बदलना चाहते हैं कि वह जनता जो हमारी तरफ देख रही है, जो दुखी है, जो कहती है कि हमारी कोई मदद करे, हमारे नेता जो चुनकर गये हैं वह हमारी बात करें, चौधरी चरण सिंह और गुप्ता जी की बात न करें और जो चीज हमारे फायदे की है वह करें। सरकार सब की है। वह विरोधी दलों की भी है और हमारी भी है।

सरकार का फर्ज है कि हर काम ऐसा करें जिससे जनता का फायदा हो, वह जनता जिसने हमको वोट दिया है। आज उसके सिवाय कोई बात यहां जायज नहीं है।

जब जिला परिषद् की खराबियां समझ लीं तो खूबसूरती से उसको खत्म कीजिये और यह इन्तजाम कीजिये कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार हो जिससे हमारी जनता को फायदा पहुंचे, हमारी हरी क्रान्ति आये, हमारे खेत लहलहायें, हमारे गांव बेहतर बनें। हमारा यही एक उसूल है और इसके सिवाय न हमें जिला परिषद् से मुखालिफ़त है और न सरकारी कर्मचारियों से मुहब्बत है। हमें तो सिर्फ जनता की भलाई देखनी है। अगर उसको सड़कों की जरूरत है तो वह मिलनी चाहिये, अगर दवा की जरूरत है तो वह मिलनी चाहिये।

सुबह नौ आ गया,
पौरगी मिट गयी,
शोर है हर तरफ इन्कलाब आ गया।

अब चुपके चुपके गुजरने का मौका नहीं रहा। जनता दुखी है, परेशान है और हमारी तरफ देख रही कि हम उसको कुछ दें और हम तय कर चुके हैं कि यह सरकार इन चीजों को लायेगी और वह आगाज जो जनता इतने दिनों से मांग रही है वह हम दे कर रहेंगे।

आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जिला परिषद् के विषय में जो यह विधेयक आया है उस विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। वास्तव में यह विधेयक स्वागत के योग्य है। वह इसलिये कि पिछले ६ सालों से इस प्रदेश में जिला परिषदों ने जो काम किये हैं उनके कारण सारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है और जो जो चीजें उन्होंने छुयी हैं उनमें एक प्रकार से गिरावट आयी है। जिला परिषदें यदि जनता की प्रतिनिधि होतीं और जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होतीं तो सम्भव है कि कुछ लाभ होता। परन्तु प्राथमिक शिक्षा का सारा उत्तरदायित्व लेकर ये जिला परिषदें न केवल शिक्षा के स्तर को गिराने में सफल हुई हैं वरन् सारे क्षेत्रों में और खास कर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक प्रकार से असन्तोष का वातावरण निर्मित किया है। अध्यापक वर्ग हर समय त्रस्त रहता है। ये लोग पढ़ाने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी कि जिला परिषदों के सदस्यों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को खुश रखने में।

एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जिला परिषदों में भ्रष्टाचार की नीति इस कदर अपनाई गयी कि अध्यापक की नियुक्ति के लिए दो-दो सौ रुपया और वह भी एडवान्स में लिया गया। ये अध्यापक भी पढ़े लिखे लोग नहीं बल्कि अन्धे, लंगड़े, लूले और बदमाश किस्म के अप्रशिक्षित लोग नियुक्त किये गये। मेरे एक प्राइमरी स्कूल के गुरु हैं। उन्होंने बतलाया कि यह जो अप्रशिक्षित अध्यापक आये हैं इनमें एक के यहां एस० डी० आई० महोदय गये और उन्होंने कहा कि आपके विद्यार्थियों का रजिस्टर देखना चाहता हूं, निरीक्षण करना चाहता हूं। उन अध्यापक महोदय ने कहा कि निरीक्षण वगैरह क्या कीजियेगा आप अभी हमको जानते नहीं। आप अपना काम कीजिये और हमारे फेर में न पड़िये। वह एस० डी० आई० परेशान हुआ और अध्यक्ष के पास पहुंचा। अध्यक्ष से कहा कि ऐसी गुस्ताखी की है। अध्यक्ष ने उस अध्यापक से कहा कि या तो एस० डी० आई० से माफी मांगें या फिर बरखास्त कर देंगे। तो यह हालत है जिला परिषद् के अध्यापकों की। इस तरह बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिए जिन विद्यार्थियों को चुना गया उनसे चार-चार सौ रुपया लिया गया। हमारे विधान सभा के सभी माननीय सदस्य देखते हैं कि जिला परिषद् की सड़कों की क्या हालत है। सड़कें नाममात्र की हैं। गड्ढे अधिक हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों रुपया जाता है लेकिन उस रुपये का गोलमाल

[श्री जगन्नाथ राव]
होता है और सड़कों की मरम्मत नहीं होती बल्कि गड्ढों को धूल से पाट दिया जाता है और फिर कुछ दिन बाद वे वैसी ही हालत में आ जाती हैं जैसी हालत में थीं।

इन जिला परिषदों को तो पहले समाप्त हो जाना चाहिए था। इसके लिए जो विधेयक लाया है और यह एक साहसिक कदम उठाया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। यह विधेयक छोटा सा है और इसमें कुछ खामियां हैं जिससे सरकार की नीयत पर सन्देह होता है। पहली बात यह रखी है कि दो वर्ष के अन्दर तक चुनाव करायेंगे। यह की नहीं है। अगर जनता की भावनाओं का आदर करना था तो शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराना चाहिए था। मुख्य मंत्री जी की बात मैंने सुनी जब उन्होंने कहा कि क्षेत्र समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं। उसमें कुछ सुझाव दिये है। जो भी करना हो, लेकिन उन्हीं के साथ इनका भी चुनाव करा देते। सरकारी नियंत्रण में इनको न रखें और इसमें यह जो रखा है कि जिलाधीश इनका शासन-कर्ता होगा, उसके द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सब के पद समाप्त किये जायंगे। इन जिलाधीशों के पास इतना अधिक कार्य रहता है और वे इतने व्यस्त रहते हैं कि वे इस कार्य को ठीक से नहीं देख सकेंगे। इस के लिये एक सलाहकार समिति बनाई जाय और जो सदन की भावनायें हैं उनके अनुसार उस समिति में अच्छा हो कि यहां के सदस्य, परिषद् के सदस्य तथा संसद के सदस्य भी रहें तो सही प्रतिनिधित्व हो सकेगा।

एक बात इसमें यह भी कही गई है कि जिलाधीश किसी अन्य सदस्य को या किसी अधिकारी को अपने इस कार्य की जिम्मेदारी को डेलीगेट कर सकते हैं। यह बात उचित नहीं है। इससे यह सन्देह होता है कि धीरे-धीरे वह अपने आदमियों की नियुक्ति जिलाधीशों से कह कर करायेंगे। इसमें यह लिखा है कि वह अपने इस अधिकार को किसी व्यक्ति को प्रतिनिहित कर सकते हैं। यह शब्द प्रकट करते हैं कि जिला परिषदों में अपना हाथ रखने के लिये या अपने राजनैतिक हितों के हित साधन के लिये यह शब्द रखे गये हैं। इसलिये यह पावर केवल उसी समय तक जिलाधीशों को देना चाहिये जब तक कि नये चुनाव न हों।

एक बात और कहनी थी कि जब से जिला परिषदों को समाप्त करने का प्रश्न सामने आया है तब से जिला परिषदों के अध्यक्ष और सदस्यगण जैसे कोई लूट करने का समय आ गया है इस तरह से काम कर रहे हैं और जो पेड़ या भूमि है उसको जल्दी से जल्दी नीलाम कर के पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है और जल्दी-जल्दी वह उनको बेच रहे हैं। वह लोग लाखों रुपया कमाने के चक्कर में हैं। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को पास करने के बाद एक मास पहले की जो इस तरह की नाजायज नीलामी और बेची गई चीजें या भूमि हों उनको नाजायज करार दिया जाय, उनको जांच कर के रोका जाय और जो गलत हों उनको मंसूख किया जाय। अन्यथा यह अधिकारी, कर्मचारी और अध्यक्ष हर तरह का दुरुपयोग करेंगे और उससे प्रदेश को हानि पहुंचेगी। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)--

मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त जिला परिषदों के बारे में जो बिल पेश है उसी पर चर्चा हो रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि इस सरकार ने थोड़े ही दिनों में जो कदम उठाये हैं और जिस तरह के फैसले लिये हैं उनसे इस सूबे की जनता ने राहत महसूस की है और उसके अन्दर इतमीनान का माहौल और भरोसा पैदा हुआ है कि यह सरकार जनहित के कुछ काम करेगी। इस सिलसिले में मेरे नजदीक सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि यह बिल हाउस में लाया गया है। इन जिला परिषदों का चुनाव सन् ६३ में हुआ था और ५ साल के बाद सन् ६८ में उनकी मियाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खत्म हो चुकी, होना यह चाहिये था कि उनके चुनाव करा दिये जाते लेकिन बार-बार उनकी म्याद बढ़ाई गई और मुकर्रर मियाद से ऊपर करीब-करीब २ साल के हो गये कि यह काम कर रही है। जहां तक उनके कामों का ताल्लुक है चाहे सरकारी बेंचों पर बैठने वाले साथी हों या उधर बैठने वाले हों विरोधी पक्ष के लोग सभी इस बात से इत्तिफाक करते हैं कि जहां तक इन जिला परिषदों की कारगुजारी का सवाल है उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मास्टरों के तबादले की बात हो या दूसरी जिम्मेदारियों की बात हो, किस तरह से वहां काम किये जाते हैं उनको देख कर ताज्जुब होता है।

पिछले दिनों जब मिड टर्म इलेक्शन हो रहा था तो मैं इलेक्शन के सिलसिले में एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक स्कूल था। उस स्कूल में न तो किसी जंगले में, न किसी खिड़की में और न किसी दरवाजे में ही किवाड़ लगे हुए थे। जब मैंने देखा तो पाया कि उसमें ३-३ मास्टर मोमबत्ती जला कर बैठे हुए थे। मेरे पूछने पर कि वे वहां कैसे बैठे हैं, मालूम हुआ कि वे अध्यापक हैं उस स्कूल के और उस दिन से १० दिन पहले यहां पर भेजे गये थे। मुझे बताया गया कि इलेक्शन के समय में खास तौर से भेजा गया था क्योंकि उनको चेयरमैन द्वारा बुलाकर यह कहा गया था कि वे कांग्रेस के कैंडिडेट की मदद करें, जिसे करने से उन्होंने इन्कार कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है और वे पौलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहते हैं। उसकी सजा उनको यह मिली है कि अपने घर से छोमी तहसील में ४०-४० मील के फासले पर उनका तबादला कर दिया गया है। वहां पर न तो उनके रहने का कोई स्थान है, न वहां पर उनके खाना बनाने का कोई स्थान है। इलैक्शन के बाद भी उन मास्टरों की जिन्होंने अध्यक्षों की इच्छानुसार भाग नहीं लिया, उनकी कोई मदद नहीं की। जब वे चेयरमैन से बात करने गये तो उन्होंने भी साफ-साफ कहा कि आप लोगों ने उस समय हमारी बात नहीं सुनी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपकी बात अब सुनें। इसलिए आज जो विधेयक आया है उसका महज मकसद यह है कि जिला परिषदों का वक्त खत्म हो रहा था और जिला परिषदों के जो वर्तमान अधिकारी हैं, उनकी शिकायतों को इस विधेयक द्वारा दूर किया जा सके।

आज सारे सूबे के लोगों की ओर से इस विधेयक का स्वागत हो रहा है। हर पार्टी के माननीय सदस्य और उनके नेता आज इस विधेयक का स्वागत कर रहे हैं। यह बड़ा अन्याय है कि जिला परिषद् नगरपालिका या टाउन एरिया जो हैं उनमें अगर कलेक्टर या सरकारी अधिकारियों को रखा गया तो कैसे जनतंत्र रहेगा क्योंकि जम्हूरियत की बुनियाद ही चुनाव हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बात को समझते हैं कि जम्हूरियत की बुनियाद ही चुनाव है तो इलेक्शन उन्हें समय पर कराने चाहिए थे। म्युनिसिपल बोर्ड हो या चाहे जिला परिषद् हो, उनके चुनावों को आप टालते ही जाते हैं हर साल, तो उन लोगों को एतमाद हो, उसको आप खत्म करने की कोशिश करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक पेश किया गया है बहुत अच्छा और मुनासिब है। होना तो यह चाहिए था कि एक आर्डिनेंस जारी किया गया होता और २४ घंटे में जिला परिषदों के ऊपर कब्जा कर लिया गया होता। आपको उन्हें यह मौका नहीं देना चाहिए थां कि जिला परिषदों के अध्यक्ष जो इस समय नाजायज फायदा उठा कर गलत काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात करते। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि कम से कम इस बात पर निगाह रखी जाय कि लोगों ने जो तेजी से निश्चय करके गलत आर्डर्स पास करें, उन सारी बातों की छानबीन की जाय और जो दोषी पाये जायं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। बहरहाल मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि फौरन हम जिला मैजिस्ट्रेट्स को देंगे और कोशिश करेंगे कि जो अधिनियम १९६३ में जरूरत के लिहाज से बना था, जिन तरमीमों की जरूरत हो, उनको लाकर फिर चुनाव करायें।

[श्री हबीबुर्रहमान]

इस सिलसिले में मुझे बहुत साफ तरीके से यह कहना है कि कलेक्टरों के हाथों में जिला परिषदों को देना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, मजबूरी के दर्जे में ऐसा किया जा रहा है। मजबूरी के दर्जे में जो चीज की जाय उसे जितनी जल्दी समाप्त किया जाय उतना ही अच्छा है। इसलिये मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि इस सिलसिले में जल्दी से जल्दी वह कदम उठाने की कोशिश करेंगे और मैं इस सिलसिले में यह भी कहूंगा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो जो इसकी छानबीन करे---बात साफ है कि ३१ मार्च तक इसकी मियाद खतम हो रही है और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात करके इनडाइरेक्टली वे लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जिला परिषदों में मौजूद हैं, उसकी मियाद को कम करने के बाद गवर्नमेंट के आर्डिनेंस के भरोसे बैठे रहें और इस तरह से इनडाइरेक्टली उनकी मदद करते हैं। यह बात नहीं होनी चाहिये। इस सिलसिले में एक सुझाव मैं और रखना चाहता हूं कि जो जिला परिषदें जिला मैजिस्ट्रेट को दी जायं, उसके लिये उन जिलों के एम० एल० ए०, एम० पीज० और एम० एल० सीज० की एक कमेटी बना दी जानी चाहिये जो कलेक्टर की ऐडवाइजरी कमेटी की तरह से हो और उसी के साथ मैं यह भी कहूंगा कि ७–८ मेम्बर और अलग से नामजद करने चाहिये जो उनकी सलाह से काम करें। इस तरह से जो कमेटी बनेगी वह जिला परिषदों का काम ठीक ढंग से चलावेगी और वह जनता के हितों का ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेगी।

इस सिलसिले में मैं और कोई बात न कह कर सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इस सिलसिले में अधिनियम है उसके अन्दर जिन तरमीमों की जरूरत हो उनको जल्द से जल्द हाउस के सामने लाकर और जल्द से जल्द पास करा कर फिर वोटरलिस्ट तैयार करके एलेक्शन कराया जाना चाहिये और इस तरह का मौका नहीं होना चाहिये कि कलेक्टर हमारे खिलाफ जिला परिषदों में बैठकर काम करता रहे। दूसरी बात यह है कि जो जिला मैजिस्ट्रेट हैं उनकी तो और भी जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको और सौंपना कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें इस बात की भी कोशिश करनी चाहिये कि जितनी जल्द मुमकिन हो सकता हो, तीन महीने या ६ महीने के अन्दर ही दोबारा चुनाव होना चाहिये और जनता के चुने हुए नुमायन्दों के हाथ में जिला परिषदें दे देनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की ताईद करता हूं।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, यदि यह बिल केवल इसलिये पेश किया गया होता कि जिला परिषदों का ५ साल का समय समाप्त हो चुका इसलिये उनका चुनाव कराया जाय तब तो मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता लेकिन उद्देश्य के पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक हथकंडा है। इस बिल के उद्देश्य में यह लिखा हुआ है "उनके कार्य के बारे में राज्य सरकार के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, यह समझा गया है कि उनके सदस्यों या पदाधिकारियों को अपने-अपने पदों पर फिर से चुनाव हुए बिना बने रहने देना जनहित में नहीं है।" मान्यवर, मैं मानता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश की अधिकांश जिला परिषदों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार चरमसीमा पर पहुंच चुका है लेकिन राजनीति में क्या एक पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में चला जाना, यह भ्रष्टाचार नहीं है? अगर कोई दल वचन भंग करे, जो किसी पार्टी के साथ मिल कर सरकार चलाने की बात करे और कल फिर उस वचन को तोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मिल कर सरकार बनाने की कोशिश करे तो क्या यह भ्रष्टाचार न होगा? क्या इन भ्रष्टाचारों के आरोप में यदि गवर्नर महोदय भारतीय क्रान्तिदल को भंग कर देते तो वह जन हित में होता? क्या माननीय शिवराज सिंह जी को उससे ठेस न पहुंचती और वे उसे स्वीकार कर लेते?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया जिला परिषद् विधेयक पर ही बोलें।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय शिवराज सिंह जी को यह बात बहुत खली कि जिला परिषदों में बहुत भ्रष्टाचार है। आज मैं पूछता हूं कि चाहे तहसीलदार के विभाग को ले लिया जाय, चाहे कलेक्टर के यहां देखा जाय, हर जगह भ्रष्टाचार आपको मिलेगा तो क्या माननीय मंत्री जी तहसीलदार के ओहदे को और कलेक्टर के ओहदे को भी समाप्त करेंगे? जिला परिषदों में अगर भ्रष्टाचार था तो उसके लिये आप कोई जांच कमीशन बिठा सकते थे, वहां के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये और कोई कानून बना सकते थे, अगर इससे भी सन्तोष न होता तो दो महीने में पुन: उनके चुनाव कराने के आदेश दे सकते थे। आज गांव सभा, आदि के चुनाव को १० वर्ष हो गये। क्या ब्लाकों में भ्रष्टाचार नहीं है, ब्लाक प्रमुख ब्लाकों की जीप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या ब्लाकों का पैसा ब्लाक प्रमुख, आदि नहीं खा रहे हैं? क्या बी० डी० ओ० द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? क्या इनको भी समाप्त करने की कोई योजना आपने बनायी है? अगर नहीं बनायी है तो जिला परिषदों को ही क्यों आप खत्म कर रहे हैं? केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये आप यह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि हमेशा अधिकांश जिला परिषदों में चन्द्रभानु गुप्ता जी का बहुमत रहा है, इसलिये उनकी ताकत को आप कम करना चाहते थे और इसीलिये आप यह विधेयक यहां लाये।

(व्यवधान)

मैं तीन महीने पहले की बात बताता हूं। माननीय शिवराज सिंह के बगल में जो दल बैठा हुआ है जब वह सरकार में था तो उसने डी० पी० सी० में गवर्नमेंट नामिनी की जगह किस तरह से अपने आदमियों को भेजा, किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया, सौ-सौ, दो-दो सौ रुपये घूस लेकर नाम भेजे गये और खुल कर भ्रष्टाचार हुआ। क्या इन लोगों को खत्म करने की भी आपने कोई योजना बनाई? आपको तो केवल चन्द्रभानु गुप्त पर ही वार करना था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह बिल लाया गया है, जनहित की दृष्टि से नहीं। इसका उद्देश्य गन्दा है, इसलिये मैं चाहूंगा यह सदन इस बिल को पास न होने दे। अगर जिला परिषदों को समाप्त ही करना था तो सरकार को तुरन्त चुनाव कराने चाहिये थे। जब संविद की सरकार बनी थी, तो उस समय भी चरण सिंह जी ने अड़ंगेबाजी लगायी थी कि चुनाव नहीं होगा। चरणसिंह जी आटोक्रेट हैं, तानाशाह हैं, वे इस बिल द्वारा जनतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अगर जनतंत्र की रक्षा करनी होती तो आज चुनाव दो महीने में करा कर जिला परिषदों को गठित कर देते। उससे अच्छे आदमियों का उसमें चुनाव होता और जिला परिषदों का प्रशासन अच्छी तरह से चलता। लेकिन आपने चुनाव न करा कर अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को साबित किया है। आपने उनके सारे अधिकारों को जिलाधीश को दे दिया है। आप जिलाधीशों की बातें करते हैं कि जिला परिषदों के अधिकार उनके पास चले जाएंगे तो बड़ा स्वच्छ प्रशासन हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है? आज सभी को मालूम है कि ये जिलाधीश आपके कितने भ्रष्ट हैं। यदि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठा दी जाए तो ये अधिकांश जेल में चले जाएंगे। एस० डी० एम० जो मुकदमों का फैसला करते हैं उनकी हालत यह है कि जब तक उनके साथ में रुपया न आ जाए तब तक किसी केस में न्याय ही नहीं मिल पाता है। जब उनके हाथ में प्रशासन आ जाएगा तो वहां का प्रशासन--सारे का सारा प्रशासन कितना गन्दा और भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचने की बात है। ब्लाकों की भी यही हालत है।

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय]

इसमें एक और बात बड़ी खतरनाक लाई गई है कि उसके सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य, जिला मैजिस्ट्रेट में निहित हो जाएंगे और जिसको चाहे वह अपने प्रदत्त अधिकार, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है और वह एक कमेटी भी बना सकता है। इस सबको देख कर मुझे लगता है कि वह घुमा फिराकर अपने आदमियों को ही अधिकार दिलाएंगे। उसके प्रशासन में बी० के० डी० के आदमियों को ही थोप दिया जाएगा। इसलिए उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट रीति से संघटित की जाय। मुझे पूरा सन्देह है कि इनकी नीयत साफ है? मुझे पूरी आशंका है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर कोई समिति के द्वारा परामर्श दिलाना चाहते थे जिलाधीश को तो इस बिल के साथ वह उक्त समिति को भी संगठित कर देते। जैसे उस समिति में एम० एल० ए०, या अन्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जिले के उसमें होंगे। यदि ऐसा होता तो मैं समझता कि सरकार बड़ा स्वच्छ और कुशल प्रशासन जिलाधीशों के जरिये जनता को देना चाहती है। लेकिन इस के द्वारा पूरे जिले में बी० के० डी० का राज्य स्थापित किये जाने का हथकंडा अपनाया गया है।

१३ तारीख को चौधरी चरणसिंह ने भाषण दिया कि चुनाव के अधिकार के कारण गांवों में दुश्मनी फैलती है और मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे ग्राम पंचायतों के चुनाव के कारण कटुता और दुश्मनी वहां न पैदा हो। मतदान द्वारा सभापतियों का चुनाव होता है, हर आदमी का वोट पड़ता है। यह जनतंत्र की प्रणाली है, इससे अच्छी प्रणाली चौधरी चरण सिंह जी क्या सोच रहे हैं, जिसके जरिये ब्लाकों का, ग्राम-पंचायतों का और जिला परिषदों का चुनाव करायेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं। मुझको तो ऐसा लगता है यह केवल तानाशाही के जरिए सभापतियों का, जिला परिषदों का और ब्लाकों का चुनाव कराने की सोच रहे हैं। इनका जनतन्त्र में विश्वास नहीं है। इसलिए इसका चुनाव दो वर्ष के लिए और बढ़ा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि और सामुदायिक विकास मंत्री जी जो बिल लाए हैं, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० मैं उसका समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में हमारे मित्र, श्री माता प्रसाद जी, जो एक संशोधन लाए हैं खण्डों में, जिसके बारे में मैं बाद में कहूंगा, उसका भी समर्थन करता हूं और इसमें जो संशोधन आया है विरोध पक्ष की तरफ से—प्रवर समिति में भेजने का, उसका मैं विरोध करता हूं। श्रीमन्, जिस दिन से बिल आया और इस पर बहस हो रही है, उसको मैं बराबर सुनता रहा हूं कि प्रजातन्त्र की हत्या हो गयी–जिला परिषदें भंग हो गईं। मैं नहीं समझ पाता कि प्रजातंत्र क्या चीज है? प्रजातंत्र क्यों बना? कैसे ऐसा होनेमात्र से प्रजातंत्र की हत्या हो गई? यह वह इकाई है जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, गरीब अमीर को इंसाफ मिले, न्याय मिले। यह वह प्रणाली है जिसके तहत यह सदन चल रहा है, लोकसभा चल रही है और ग्राम पंचायतें चल रही हैं।

श्रीमन्, यह कहा गया कि जिला परिषद् का अध्यक्ष चुना हुआ है, कैसे हटाया जा रहा है, कैसे जिला परिषदें भंग कर दी जायंगी? प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। चुना हुआ अदमी हटाया जा रहा है। मैं अपने साथियों से जानना चाहूंगा, थानेदार, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार कोई भी अधिकारी हो अगर भ्रष्ट काम करता है, चाहे आई० सी० एस० या पी० सी० एस० आफिसर हों, उसके खिलाफ ऐक्शन, कानून के अनुसार लेते हैं। लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ जब आप ऐक्शन नहीं लेते हैं, या सरकार कोई ऐक्शन लेगी। (व्यवधान) आपने देखा होगा जब पिछले चुनाव १९६७ में हुए, इससे पहले अंतरिम जिला परिषदें थीं, उसके बाद सारी जिलापरिषदें भंग कर दी गयीं। उस समय हमारे गुप्त जी चीफ मिनिस्टर थे। उन जगहों पर नये अध्यक्ष अप्वाइंट कर दिये। उस समय चुनाव नहीं करवाया गया, जब कि लिस्टें तैयार थीं।

क्या उस समय प्रजातंत्र की हत्या नहीं हुई? प्रजातंत्र की हत्या मैं नहीं मानता कि इस विधेयक के लाने से हो गयी। इसलिए नहीं मानता, जनता की कोई इकाई हो, चाहे लोक सभा हो, विधान सभा हो, गांव सभा हो, या जिला परिषद् हो या क्षेत्र समिति हो, उससे अगर जनता की आस्था डिग जाय तो हम को ऐसी व्यवस्था करनी ही होगी उस समिति से उस व्यक्ति का या जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति हों, उनको हटा कर नये लोगों को लाएं ताकि जनता की सुख सुविधा की व्यवस्था नयी व्यवस्था के अनुसार कर सकें।

बताया गया कि ३७ जिला परिषदों के खिलाफ शिकायतें हैं। मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। मैं अपने यहां की जिला परिषद् के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। एक हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट होती है, १९६७ के दिसम्बर में। एक कमला शुक्ला नाम की एक लड़की है, वह रिपोर्ट करती है जा कर थाने में। वह कहती है कि मुझ को अध्यक्ष ने नौकरी के बहाने बुलाया और उसके बाद एक नहर की कोठी में मेरे साथ बुरा काम करने का प्रयास किया। (व्यवधान) कोई भी भ्रष्ट है, चाहे वह कांग्रेसी हो, जनसंघी हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, हमारा और आप का फर्ज है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को हम प्रयास करें, सरकार में, जनता के सामने न रहने पाये। उस को हर कीमत पर निकाल देना होगा। अगर निकालेंगे नहीं तो सोच लीजिये, जिस प्रजातंत्र की तहत में हम आप बैठते हैं, जनता हम से और आप से घृणा करने लगेगी।

(व्यवधान)

श्री निहाल सिंह ('जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, जिसके खिलाफ आपने भ्रष्ट चरित्र का दोषारोपण किया वह किस पार्टी के हैं इस पर भी प्रकाश डाल दें।

श्री रामलाल राही--

मैं अभी बताता हूं। वह कांग्रेस के हैं। हमारे माननीय गुप्त जी ने पदासीन किया था और उन्हीं की कृपा से अब तक अध्यक्ष बने चले आ रहे हैं।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिन अध्यक्ष के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है तो उन सीतापुर के अध्यक्ष का नाम बतलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामलाल राही--

मैं यह कह रहा था कि अगर सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में भ्रष्ट लोग आयेंगे तो हमारे ऊपर जनता का विश्वास कैसे रह सकता है? जब जनता का विश्वास नहीं रह पायेगा तो यह प्रजातंत्र अवश्य ही खतरे में पड़ जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सभी भाई एक मत से उस विधेयक का समर्थन करें जिसको जनप्रिय सरकार ने यहां पर पेश किया है। ऐसे भ्रष्ट दुराचारी और गलत आदमी राजनैतिक क्षेत्र में काम करते हों तो उनको आप निकाल दें और उनका बहिष्कार करें। अगर आप उन को नहीं निकालेंगे तो फिर किसी भी अधिकारीवर्ग की जो हम शिकायत करते हैं कि फलां अधिकारी भ्रष्ट है और गलत है तो जिस तरीके से हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का बचाव करते हैं उसी तरीके से अधिकारी भी उन अफसरों का बचाव करेंगे और हम आप कुछ नहीं कर पायेंगे। जब ५१ जिलों में से ३७ जिला परिषदों के खिलाफ शिकायत आई हैं तो उन जिला परिषदों के अध्यक्षों को नहीं रहना

[श्री रामलाल राही]
चाहिये और उन जिला परिषदों को नहीं रहना चाहिये। मैं विरोधी पक्ष की एक बात का समर्थन करता हूं कि चुनाव जल्दी होने चाहिये। मुझे आशा है कि यह जनप्रिय सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रयत्न करेगी।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अल्पकालिक व्यवस्था विधेयक जो अधिनियम बनाने के लिये सरकार ने पेश किया है और उस को प्रवर समिति में जाने के लिये शर्मा जी ने जो संशोधन दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं बिल का विरोध करता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें इस बिल के सिलसिले में कहीं हैं या जिला परिषद के अध्यक्ष या पंचायतों के विरुद्ध तथा क्षेत्र समिति के विरोध में जितनी भी बातें कही गई हैं उनको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। किसी भी व्यवस्था को थोड़ा बहुत हेरफेर करके बदलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समय की परिस्थिति के हिसाब से, जनता की शिकायत के आधार पर किन्हीं बिलों द्वारा थोड़ा बहुत हेरफेर किया जा सकता है लेकिन वह मंशा बहुत ईमानदारी से हो तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखनेवाला कोई बिल आये तो सदन को गम्भीरता से विचार करके ऐसा अधिनियम पास करना चाहिये जिससे प्रदेश की जनता की अधिक से अधिक भलाई हो। मुझे उस समय बड़ा ताज्जुब हुआ जब चौधरी साहब ने कहा बिल को पेश करते हुए कि इस तरह की व्यवस्था सन् १९५८ में कांग्रेस की सरकार ने जनहित में की थी और अपने को भी उन्होंने उसमें सम्मिलित किया था। इस बिल को पेश करते हुये दो बातें कही गयी हैं। एक तो यह कि ३७ जिला परिषदों के अध्यक्षों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और दूसरे यह कि जिला परिषदों में बहुत भ्रष्टाचार है और उनके चुनाव बहुत समय से नहीं हुए हैं। मुझे ताज्जुब हुआ जब चौधरी साहब ने इस बिल का समर्थन करने की बात कही जब कि यह बिल मेरी समझ में बहुत ही गैर मुनासिब है।

प्रजातांत्रिक पद्धति में प्रारम्भ से आज तक के शासन काल में यह सब से पहला बिल है जो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक हितों को खत्म करने वाला तथा जनता के प्रतिनिधियों का अपमान करने वाला बिल है। सन् १९५८ की बात दूसरी थी। मैं उस समय विधायक नहीं था। लेकिन यह मैं जानता हूं कि सन् १९५८ में जिला बोर्ड को १० वर्ष हो चुके थे और सरकार उस समय बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के सन्दर्भ में जिला परिषद् ऐक्ट बनाना चाहती थी। इसलिये उसे समय अन्तरिम जिला परिषदों का गठन किया गया और उनके गठन के लिये पालिसी निर्धारित हो गयी तथा उसके अन्तर्गत जिला बोर्ड के अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्ष घोषित किये गये। किसी का नामिनेशन राज्य सरकार ने नहीं किया था और न जिलाधीशों को समिति को नामिनेट करने का अधिकार दिया था। ऐसा करने से उस समय किसी दल विशेष को कोई लाभ होने वाला नहीं था, न किसी को नुकसान होने वाला था। जो जनता की संस्थायों के लोग थे वे अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य बने और किसी के हानि अथवा लाभ की बात नहीं थी। फिर भी जिलाधीश को अध्यक्ष बनाने के सम्बन्ध में बड़ा तीव्र विरोध किया था। लेकिन जब चौधरी साहब उस बात का हवाला देते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उस समय राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य चौधरी साहब भी थे लेकिन उन को उस समय और आज की नीति में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है।

आज जिला परिषदें, पंचायत राज्य की नीति और गांव सभायें जो ऐक्ट क मातहत कार्य करती हैं उस ऐक्ट को समाप्त कर दिया जायगा और उसमें इतना विशाल परिवर्तन किया जायगा एक छोटा सा बिल लाकर कि उस ऐक्ट की मंशा तथा शक्ति बिल्कुल खत्म हो जायगी। मैं समझता हूं कि जन प्रतिनिधियों का अपमान करने वाला जनतंत्र की प्रणाली में यह पहला बिल होगा।

मुझे इस बात पर भी ताज्जुब है जो यह कहा जाता है कि ३७ जिला परिषदों के अध्यक्षों के विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं। अगर अध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतें थीं जो इस विधान सभा ने

उस जिला परिषद् ऐक्ट के मातहत ऐसी व्यवस्था थी कि उसके माध्यम से उनके विरुद्ध जांच कराई जा सकती थी, जिला परिषदों के अध्यक्षों को सस्पेंड अथवा बरखास्त किया जा सकता है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह कहना जन प्रतिनिधियों का अपमान है, उनकी तौहीन है अगर यह कहा जाय कि चुने लोगों में से बहुमत में गलत व भ्रष्टाचारी हैं। हमारे प्रदेश में ५४ जिला परिषदें हैं जिनमें से ३७ अध्यक्ष बेइमान कहे जाते हैं। उनकी शिकायतें सामने आनी चाहिये थीं। मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के विषय में साबित होता कि उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हुयेहैं तो वह किसी भी दल विशेष के होते उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती और उन को बरखास्त किया जाता। मुझे कोई शिकायत नहीं होती लेकिन मुझे शिकायत है अगर लोग यह कहें कि विधान सभा में जो लोग बैठते हैं उनमें से अधिकांश बेइमान हैं तो मैं कहता हूं कि यह जनतंत्र प्रणाली पर कुठाराघात हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, अगर किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष से जलन नहीं है, अगर किसी की शक्ति को घटाने या बढ़ाने की बात नहीं है तो इसकी क्या जरूरत थी। जिला परिषदों के अध्यक्षों तथा सदस्यों का कार्यकाल ३१ मार्च को समाप्त होता अगर उनका कार्यकाल राज्य सरकार न बढ़ाती तो वह समाप्त हो जाते। आप उनके अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं। उनकी बेइमानी पर जांच करा सकते हैं। प्रदेश में ५४ जिला परिषद् हैं, इनमें कई हजार सदस्य हैं, ३२।३३ हजार गांव सभा के प्रधान हैं, क्षेत्र समिति के प्रमुख हैं तो उन सब को बेइमान कह कर विधान सभा के हाल में बैठ कर आप और हम ईमानदार नहीं रह सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई में इस बिल में ईमानदारी की भावना है, जनहित की भावना है तो मुझे कोई शिकायत की बात नहीं है। आप इस बिल को प्रवर समिति को दे दें। कौन सा राज्य पलटा जाता है, प्रदेश की सरकार प्रवर समिति में देने से पलट नहीं जायेगी। अप्रैल के सत्र प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ इस बिल को आप पेश कर सकते हैं। अन्यथा आप आज से लेकर तीन महीने के अन्दर इनके चुनाव करा दें। जनता को अधिकार दिये जा सकते हैं, बेईमान और ईमानदार की पहचान हो जायगी। आज एक साथी ने कहा था कि जनतन्त्र प्रणाली का इतना नाम लिया जाता है कि जिसे सुनने में हिचकिचाहट होती है। इसको जनतंत्र प्रणाली को ठेस लगाने वाला बिल कहा जायेगा। इसके चुनाव न कराने का कौन दोषी है।

१९७० की जून तक जिला परिषदों के अध्यक्षों का कार्यकाल था। उनको पांच साल के लिये चुना गया था। १९६७ के आखिर और १९६८ केआरंभ तक चौधरी साहब की सरकार ही थी। अगर वह बेईमानी थी तो उस को आप उस समय भी दूर कर सकते थे। उस समय भी बिल ला सकते थे, उन की बेईमानी की जांच करा सकते थे, उन को सस्पेंड कर सकते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गवर्नर का रूल हुआ। १९६९ के मार्च अप्रैल में पिछली सरकार बनी। उसको चुनाव कराने का मौका ही कितना मिला और अभी भी जिला परिषदों का कार्यकल ३ महीने और बाकी रहा है। अभी तो इतना समय है कि आप तीन महीने के अन्दर उनका चुनाव करा सकते थे। लेकिन अगर आप चुनाव नहीं कराते और इस बिल पर ही जोर देते हैं तो अवश्य ही लोगों को आपकी नीयत पर शक होगा। उससे मालूम पड़ता है कि आप किसी पार्टी विशेष और किन्हीं व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करना चाहते हैं। जो लोग प्रजातंत्र के ढंग से सत्ता में कहीं फिट नहीं हो पाये, उन को वहां फिट करना चाहते हैं। इस बिल के द्वारा अनुचित रूप से उन लोगों को लाना चाहते हैं।

आपने ३७ जिला परिषदों का नाम लिया जिनकी हालत आप ने खराब बतायी, जिनके अध्यक्षों से आप नाराज है। आप का आशय होगा कि गुप्ता जी के कृपा वाले लोग होंगे और जो उनके खिलाफ राय दे रहे हैं, वे उनके विरोधी लोग होंगे। लेकिन इनमें १०–२० ऐसे भी अध्यक्ष होंगे जो गुप्ता जी के समर्थन वाले न होंगे, और उनके भी समर्थन करने वाले

[श्री महरम सिंह]--

विधायक यहां होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे लोग उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं कहीं हमारी इच्छा पूरी न हुई हो, कहीं यदि हिसाब ठीक न बैठा हो जिसके कारण इस प्रकार के राजनैतिक दृष्टिकोण से कोई बात करना मुनासिब नहीं होता। जब आपको कोई ईमानदार नहीं कहता, तब तो आप उसकी सफाई देते हैं, लेकिन क्या उसके अनुसार ही उन अध्यक्षों को जिन को आप बेईमान बता रहे हैं, सफाई देने का हक नहीं है। न्याय तो यह था कि आप उनके खिलाफ जांच कराते और अगर कोई बेईमान पाया जाता तो उनको सजा देते। क्या उनको इस प्रकार की जांच मांगने का भी अधिकार नहीं है? बिना जांच कराये उनको बेईमान कहने का आप को क्या हक है? बिना जांच किराये बिना यह जाने कि कौन सही है कौन गलत है, आप ने उनको बेईमान कह दिया और हाउस में कह दिया यह आप का अन्याय है। क्षेत्र समितियों के चुनाव आप तुरन्त करा सकते हैं और जिला परिषदों के मेम्बर नया अध्यक्ष अपना चुन सकते हैं।

मैं इन सुझावों के साथ, प्रवर समिति में भेजे जाने का जो संशोधन रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह हमारे इस सुझाव को अवश्य मान लें।

श्री महीलाल--

उधर से और इधर से अनेकों सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक १० मिनट दिये जायं तथा दलों के नेताओं पर यह नियम लागू न किया जाय।

कई सदस्य--

यह नहीं होगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

अभी तो बहुत लोगों के संशोधन आने हैं, तो हम लोगों को मौका दिया जाय। संशोधन कल नहीं आ सकेंगे, आज ही आने हैं।

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने लिख कर भेजा था उसका उत्तर नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सबेरे आपको यह कह दिया था कि माननीय अध्यक्ष ने यह लिख दिया था कि इन तिथियों में नियम ५१ आदि के कोई प्रश्न नहीं लिये जायेंगे।

कई सदस्य--

आज के लिये तो है।

श्री उपाध्यक्ष--

१६, १७ और २०, २१ के लिये यह है। आज के लिये उन्होंने मन्त्रियों के पास भेज दिये हैं कि वक्तव्य दें। तो उनकी सुविधानुसार वक्तव्य हो जावेंगे। इसलिये जो बहस है वह नहीं चलेगी। कल वक्तव्य जो मंत्री जी देंगे वह आप के समक्ष आयेंगे अगर मंत्री सहमति देंगे। इसलिये मैंने आप का ध्यान इस ओर खींचा कि इसको मैंने इसलिये नहीं लिया और बहस चल रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

एक कार्य-स्थगन का भी प्रस्ताव है, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

सूचना दी जायगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आखिर कौन सूचना देगा ? जनरल मोशन यह है कि आज का सदन का कार्य रोक दिया जाय। यह टाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

टाला नहीं गया है, अध्यक्ष के विचारार्थ गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इमीजिएट इम्पार्टेन्स की बात पर वह कब विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आज वह अस्वस्थ हैं। कल निर्णय लेंगे, आपके पास आ जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं २७ फरवरी से यह सवाल उठा रहा हूं कि इस सदन के भिन्न-भिन्न दलों की संख्या क्या है, यह बतलाया जाय। १२ तारीख को अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि १३ तारीख को छुट्टी से पहले घोषणा कर दी जावेगी । अखबारों में पढ़ता हूं कि कोई कहीं चला गया। और कोई कहीं चला गया। यह सदन का ट्रेडीशन रहा है कि जब कभी किसी माननीय सदस्य ने दल चेंज किया है तो आप की तरफ से इस का ऐलान हुआ है लेकिन इस बार किसी सदस्य के बारे में मालूम नहीं हो सका है और न दलों की के सदस्यों की संख्या मालूम हुई है। तो जो वादा किया गया था कि ऐलान होगा, उसमें क्या हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो माननीय अध्यक्ष ही बतलायेंगे। यह प्रश्न विचाराधीन है। अगर यह मेरे अधिकार में होता तो अभी घोषणा कर देता। हो सकता है कल हो जावे। आप ने ध्यान नहीं दिखाया, क्योंकि आप कई बार एक ही सवाल पूछा करते हैं तो हो सकता है कल हो जाय।

एक सदस्य---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी को जो प्रस्ताव दिये गये थे तो मुझको यह बताया गया है कि वह सरकार को भेज दिया गया है परन्तु उस को दिये हुये ३, ४ दिन हो गये हैं और मुझको कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। कृपया इसकी जानकारी मुझ को शीघ्र करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अध्यक्ष महोदय के पास है और उन्होंने उसको सम्बन्धित मन्त्री जी के पास वक्तव्य के लिये भेज दिया है। जब कल अध्यक्ष महोदय आयेंगे तब आपको मालम हो जायगा।

श्री महीलाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रियासत हुसैन साहब ने यह प्रश्न उठाया है कि जिन सदस्यों ने आपके पास लिख कर भेजा है कि वह किस पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं तो उसकी

[श्री मही लाल]—

घोषणा हो जानी चाहिये। यदि यह घोषणा आज नहीं हो सकी है तो मैं समझता हूं कि आप हमारी भावनाओं को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा देंगे ताकि वह इसकी निश्चित घोषणा कल तक कर दें कि किस दल में कितने सदस्य हो गये हैं।

कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में दो दल हैं एक सरकारी और दूसरा विपक्षी दल। सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है और उससे यह साबित हो जायगा कि सरकार को कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और कितने लोग विपक्ष में हैं। इसलिय इस प्रश्न को अभी उठाना उचित नहीं है। इसलिये मैं आप के माध्यम से माननीय महीलाल जी से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का विरोधी दल बहुमत में है और उसकी परीक्षा २१ तारीख को हो जायगी और अभी से इसको न उठायें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर दूसरे दलों से लेकर ही अपने दलों की संख्या बढ़ानी है तो बात दूसरी है। इस लिये २१ तांरीख को जब यह परीक्षा होनी ही है तो अभी इस प्रश्न को उठाना ठीक नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैंने जो प्रस्ताव भेजा था तो मैं तो यही समझता था कि वह सदन में ही होगा और उसकी सूचना मुझको मिल जायगी। उसको सदन के समक्ष अवश्य आ जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष के समक्ष जो प्रश्न विचाराधीन थे और उनमें से जिन प्रश्नों को उन्होंने स्वीकार किया है उनको सम्बन्धित मंत्री महोदय के पास वक्तव्य देने के लिये भेज दिया गया है। जो प्रश्न उन्होंने भेजे हैं उसकी सूचना भी उन्हीं के पास है अतः मैं अन्य किसी और प्रश्न को उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय उपाध्यक्ष,महोदय, मैंने जो प्रश्न उनके पास भेजा था मुझको दो मिनट का अवसर दें मैं उसको पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बोलने की अनुमति नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

जिला परिषदों को समाप्त करके और स्वस्थ जिला परिषदों का चुनाव करवाने और स्वस्थ ढंग से नई जिला परिषदों का गठन होने की प्रेरणा लेकर आने वाले इस बिल का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रकार इसका विरोध जो हो रहा है उसे देख कर मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है :—

रकीबों ने रपट लिखवायी जा जा करके थाने में
कि अकबर जिक्र करता है खुदा का इस जमाने में।

हम अच्छी बात करते हैं तो भी रिपोर्ट लिखवाते हैं और बुरी बात करते हैं तो भी रिपोर्ट लिखवाते हैं। इस पक्ष के लोग और उस पक्ष के अधिकांश लोग इस बात को स्वीकार

करते हैं कि जिला परिषदों की व्यवस्था इतनी सड़ी गली हो चुकी थी कि उनमें अनेकों खराबियां पैदा हो गयी थीं। उन खराबियों को दूर करना आवश्यक है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है ? आप देखें जब प्रजातंत्र बढ़ते-बढ़ते एक-तंत्रवाद में परिवर्तित हो जाता है या डिक्टेटरशिप में बदल जाता है तो उसको खत्म करने के लिए फिर से प्रजातंत्र की स्थापना करनी होती है। हमारी जिला परिषदों का कार्यकाल ५ वर्ष के लिये था। ५ वर्ष के पश्चात् उनका चुनाव हो जाना चाहिये था। ५ साल हुये, ६ हुए और ७ हुए, लेकिन अब भी उन्हें प्रजातंत्र की कसौटी पर न कसा जाये, मान्यवर, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। यह तो प्रजातन्त्र का मखौल मालूम होता है।

प्रजातंत्र की भावना तो यह होती है कि ५ वर्ष के पश्चात् यह जान लिया गया होता कि आया जिला परिषदों ने अच्छा काम किया या बुरा और उनके पदाधिकारी अच्छे हैं या बुरे। जनता को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए था। जो सरकार प्रजातंत्र को मानने वाली होती है उसके लिये यह जरूरी होता है कि वह जनता की भावनाओं के अनुकूल कार्य करे। अगर इस बिल का यह मतलब होता कि जिला परिषदों को खत्म किया जा रहा है कि फिर से उनकी स्थापना ही नहीं होगी, तब तो बड़े दुःख की बात होती और तब यह कहना उचित था कि प्रजातंत्र का हित नहीं बल्कि अहित किया जा रहा है। मान्यवर, यह बिल इन भावनाओं को नहीं व्यक्त करता है। इस बिल में साफ-साफ यह दिया हुआ है कि दो साल या जब तक चुनाव हों, यह व्यवस्था कर दी जाये। अधिकांश सदस्य, चाहे इस दल के हों या उस दल के हों, इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिला परिषद् कुछ कामों में नाकामयाब रही है, अध्यापक तकलीफ में रहे हैं, सड़कें नहीं बनायी गयी हैं और अन्य प्रबन्ध नहीं हो सके हैं। जो उनकी कमियां हैं उनको दूर किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष मनमानी करते हैं, कानून में यह दुरुस्त करना आवश्यक है ताकि अध्यक्ष मनमानी न कर सकें। इसी कारण यह बिल लाया गया है।

पंचायत से ले कर जिला परिषद् तक हमें सोचना है। इसमें ६ महीने लग सकते हैं, ८ हो सकते हैं, १ साल लग सकता है और २ साल भी हो सकता है। उन दुर्व्यवस्थाओं और कमजोरियों को दूर करना जरूरी है। यह बड़े अफसोस की बात है कि इसको क्यों नहीं माना जा रहा है ? यह कोई अफसोस की बात नहीं है कि अगर चन्द्रमा कम होते-होते बिल्कुल छिप जाता है और फिर निकल आता है। दुःख की बात तो तब हो जब एक बार छिपने के बाद बिल्कुल ही न निकले। इसी प्रकार जिला परिषदें बिल्कुल खत्म हो कहां रही हैं ? इनका चुनाव होगा और वे सुचारु रूप से कार्य करेंगी। अगर जिला परिषदों को खत्म कर दिया जाता तो बड़े अफसोस की बात होती।

अभी कुछ दिन हुए आपने सुल्तानपुर की जिला परिषद् की बात सुनी। वहां पर ४५ अध्यापकों को बेकसूर निकाल दिया गया। वे प्रार्थना करते रह गये, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। हमने सवाल किया और यहां से आदेश गया। मेरे प्रश्न के उत्तर के लिए डिटेल्स मंगवाये गये। जिला परिषद् के अध्यक्ष डी० पी० ओ० का केरेक्टर रोल लिखते हैं। इसलिए उसने यह रिपोर्ट दी कि अध्यापक नियमित ढ़ंग से निकाले गये क्योंकि यदि वह ऐसी रिपोर्ट न लिखता तो जब अध्यक्ष महोदय साल के अन्त में उसका केरेक्टर रोल लिखते तो चौपट ही कर देते। विद्यालयों के संबंध में जो पूरी-पूरी जिम्मेदारी है, मान्यवर, वह जिला विद्यालय निरीक्षक की है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि ४५ अध्यापकों को बिना किसी कसूर के निकाल दिया गया और सैकड़ों अध्यापक बिला वजह बदल दिये गये। दोनों रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुई थीं। यही नमूना और भी जिलों का है। हमारे मंत्री महोदय ने बतलाया कि ३७ जिला परिषदों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। मैं जिला परिषद का सदस्य हूं और यहां आने से पहले भी रहा हूं। दिन भर मैं वहां चिल्लाता रहता, घंटों बोलता रहता लेकिन वह कहीं दर्ज नहीं होता था और अध्यक्ष के विरुद्ध जो कहता था वह कहीं अंकित नहीं होता था। इस तरह की अव्यवस्था जिला परिषदों में है। विरोधी पक्ष के एक सम्मानित सदस्य ने बताया कि हमने भी एक बार जिला परिषद् भंग की थी लेकिन प्रजातंत्र का नाश नहीं किया और उसके स्थान

[श्री शिवकुमार]--

पर अन्तरिम जिला परिषद् बना दी थी। तो क्या वे इजाजत देंगे मुझे भी कि जिला परिषदों को समाप्त कर उनकी जगह अन्तरिम जिला परिषद् स्थापित कर दूं और गवर्नमेंट के नामी अध्यक्ष वहां भेज दूं। अगर ऐसा करूंगा तो वे कहेंगे कि अपने आदमियों को, बी० के० डी० के या इन्दिरा गुट के भेज दिया। अब सिवाय इसके कि वहां जिलाधीश ही है जो कि किसी पार्टी का आदमी नहीं है, उसको ही यह काम सौंपा जाय और कोई चारा नहीं रह जाता। मैं उनके उस सुझाव का तो स्वागत करता हूं जिसमें यह कहा गया कि जिलाधीश जिले का काम चलाने के लिए एक ऐडवाइजरी कमेटी बनावे जिसमें एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, और राज्य सभा के सदस्य हों। लेकिन मैं कहता हूं जिला स्तर पर जितनी समितियां बनती हैं उनके वे प्रदेन सदस्य होते ही हैं और जिलाधीश को अगर न भी आदेश दिये जायं तो भी वे उसके अन्दर विधायकों को नजरन्दाज नहीं करेंगे।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

हर कमेटी का पदेन सदस्य विधायक नहीं होता।

श्री शिव कुमार--

आप मुझे बोलने दें। मैंने आप को शांतिपूर्वक सुना है। मान्यवर, जहां तक यह सुझाव है कि वहां की अन्तरिम व्यवस्था की जाय तो उसका मैं कायल हूं लेकिन उसकी आड़ में यह कहना कि जून तक उसका कार्य-कलाप बढ़ा दिया जाय तो यह मैं नहीं मानता क्योंकि जो वहां काम करने वाले अध्यापक आदि हैं जिन्हें छः छः महीने से वेतन नहीं मिला, ४०, ५० और ७० मील की दूरी पर जिसका ट्रांसफर कर दिया गया है, उन की सजा और बढ़ाना उचित प्रतीत नहीं होता। हमारे विरोधी पक्ष के सम्मानित सदस्य और उस पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। वह सही है। मेरे क्षेत्र में भी यही हालत है कि सड़कें देखने में सड़क नहीं मालूम होती और मैंने तो अध्यक्ष को लिखकर दिया था कि बजाय मिट्टी डलवाने के अगर वहां से कुछ मिट्टी निकलवा दी जाय तो वहां नावें ही चलने लगें। कभी वहां उन की मरम्मत करने के लिए गैंग गया ही नहीं। मालूम पड़ता है कि कहीं हमारे विधान में या नियमों में ऐसी कमजोरी है कि जिला परिषद् का इंजीनियर या अध्यक्ष सड़क बनवाये या न बनवाये, किन्तु उस पर कोई असर न पड़े। तो इन कमजोरियों को हमें ढूंढना होगा और ऐसा कौन कानून बनाना होगा कि जनहित के काम के लिये वह मजबूर हो जायं। ऐसा सुधारा कानून बनाने के लिये कुछ समय की जरूरत है, कुछ सोचने विचारने की जरूरत है। चाहे मन्त्रिमंडल हो, चाहे कुछ सदस्यों की एक समिति हो, उस में यह सोचा जायगा कि विधान में किस प्रकार सुधार किया जाय। इसके लिये अगर दो साल या जब तक चुनाव न हो जाय तबका तक का समय मांगा जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज जिला परिषद् के स्थान पर नयी व्यवस्था कर देने का मतलब है कि हम हजारों की तादाद में उन अध्यापकों को जीवन दान दे रहे हैं जिन्हें जिला परिषद् फांसी के तख्ते पर लटकाये हुये हैं; उन सड़कों को ठीक करने की हम सोच रहे हैं जिन्हें जिला परिषदों ने खराब किया है; उस प्रजातंत्र को जो सड़ गया है, जो अधिनायकवाद में परिणत हो गया है उस को जिन्दा करने के लिये यह जरूरी है कि यह बिल पास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से दरख्वस्त करूंगा कि वह सर्वसम्मति से, बगैर यह ख्याल किये कि किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिये यह बिल लाया गया है आप इसका अनुमोदन करें।

श्री राजित राम पांडेय--

जो आप की सदारत में ओले पर हुआ था और राजस्व मन्त्री ने यह कहा था कि तमाम जिलों में बसूली बन्द हो जायगी लेकिन मेरे जिले इलाहाबाद में मेरी तहसील में अभी तक बन्द नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कल कहियेगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आप जब माननीय सदस्यों को भाषण के लिये पुकारते हैं तो उसके पहले अपनी टेबिल पर बहुत गौर करते हैं। तो क्या कोई लिस्ट बनी हुई है जिससे आप पुकारते हैं और जो सदस्य लिस्ट नहीं देंगे उनको मौका मिलेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मौका आप मांगिये। आप कभी खड़े नहीं हुये। एक ही ढंग मेरे पास है कि जो आंख के सामने पड़ता है उसको मैं बुलाता हूं।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे जिला परिषद् विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। जो विधेयक लाया गया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जिला परिषदों मे जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वह सर्वविदित है। आज अध्यापकवर्ग को ६—६ महीने तनख्वाह नही मिलती है, वह आर्थिक कठिनाइयों में है और उनसे कहा जाता है कि तुम स्कूल ठीक समय पर नहीं पहुंचते हो। तो बताइए कि यह कितनी दुखद बात है। जब हम उनसे काम लेते हैं और समय पर वेतन नहीं देते हैं तो वे कैसे काम कर सकेंगे।

इसके अलावा जिला परिषदों में जो नियुक्तियां की जाती हैं वह मेरिट के आधार पर नहीं की जाती हैं बल्कि जो उनके पक्ष का होता है उसको नियुक्त मिलती है। इसके अलावा जिला परिषद् की सड़कों को आप देखें तो जितनी सड़कें हैं वह सब बिला मरम्मत के हैं। शिक्षा भवन जीर्ण होते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य एक, दो मिनट में समाप्त करने वाले हों तो दूसरी बात है नहीं तो कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

(कुछ क्षण पश्चात्) अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१६ मार्च, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८ पर)

परिशिष्ठ

प्रतापगढ़ जिले के विकास खण्ड कुंडा तथा कालाकांकर में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों तथा पुलों का निर्माण की योजनाओं का विवरण।

विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य		३१ अगस्त, १९६९ तक उपलब्धि		
		प्रशासकीय स्वीकृति		प्राविधिक स्वीकृति		
		धनराशि	मी०फ०	धनराशि	मी०फ०	
१	२	३		४		५
		(लाख रु०)		(लाख रु०)		
कुण्डा	सड़कें—					
	१–कुन्डा गुतनी मार्ग	८.२९	९.२	५.९७	७.०	४ मील में पत्थर की गिट्टी कूट कर पक्का किया जा चुका है। प्रीफिक्स कार्पेट करना शेष है। डेढ़ मील कच्चे मार्ग का निर्माण पूर्ण, शेष डेढ़ मील पर पत्थर की कुटाई प्रगति में, पुलियों का निर्माण पूर्ण।
	२–लाल गोपाल गंज-जहानाबाद मार्ग का निर्माण।	२.२५	३.४	२.२४	३.४	तीसरे कोट कंकड़ कुटाई प्रगति में।
	३–गढ़ी–सहसाबाद मार्ग	०.४०	०.४	०.३६	०.४	पूर्ण
	४–मानिकपुर–कैटिल पांड मार्ग का निर्माण	०.४०	०.४	०.३५	०.४	मिट्टी एकत्र की जा रही है
	५–कुंडा निरीक्षण गृह मार्ग।	०.३०	०.३	०.३०	०.३	पूर्ण।
	योग	११.६४	१४.१	९.२२	११.७	
	पुल					
	१–अहिबरन पुर पुल	३.००	–	०.२०५	–	७५ प्रतिशत कार्य पूर्ण
	२–बेतीपुल का निर्माण	२.००	–	–	–	३१ अक्तूबर, १९६७ प्रारंभ न होने के कारण योजना निरस्त कर दी गई।

१	२	३	४	५
३—बहादुर पुर पुल का निर्माण	०.२५	—	—	— कार्य प्रारंभ न होने के कारण योजना निरस्त कर दी गई।
४—डीह पुल का निर्माण	०.२५	—	—	—
	५.५०			
काला-कांकर				
१—मानिकपुर लाला की बाजार सड़क	२.००	५.००	२.००	२.४ १ मील १ फलांग पूर्ण। १ शेष मार्ग की ईटें तथा मिट्टी की कुटाई प्रगति में।
२—मानिकपुर लाला की बाजार मार्ग।				
१—अतिरिक्त लम्बाई	१.३०	१.०	—	— ३१ अक्तूबर १९६७ कार्य प्रारंभ न होने के कारण यह योजना निरस्त कर दी गई।
२—तदेव		१.०	—	—
३—कुन्डबारी कुन्डा मार्ग	३.००	५.०	३.००	४.४ ४ मील डेढ़ फ० में कार्य पूर्ण। शेष में प्रीफिक्स कार्पेट का कार्य प्रगति में। १ दिसम्बर ६९ में कार्य पूर्ण।
४—मानिकपुर सलोन-लबाना मार्ग	१०.००	११.०	३.७४	११.० ७ मील पूर्ण। शेष में कंकड़ कलेक्शन। दूसरा कोट प्रगति में।
	१७.१०	२३.०	८.७४	१८.०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर)

देवरिया जिले के हाटा, कप्तानगंज और सुकरौली ब्लाक के अन्तर्गत ग्रामीण जन-शक्ति योजना में वर्ष १९६६-६७ में ली गई सड़कों की सूची

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	ग्रामीण जन शक्ति सड़क जो वर्ष १९६६-६७ में निर्माण हेतु स्वीकृत की गई
१	हाटा	.. १—पिपरा-बडहरा कप्तानगंज
२	कप्तानगंज	.. १—पिचराइच-परतायल २—सोहरौना-पचड़ी ३—नाहर छपरा
३	सुकरौली	.. १—राजकीय ट्यूबवेल के सर्विस रोड की मेटलिंग ।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

प्रतीक्षा लिस्ट (मैकेनिकल) क्लीनर (अ)

१—श्री अतहर हुसैन
२—श्री शंकर राम
३—श्री महमूद अहमद
४—श्री ए० के० बी० गंगोत्री
५—श्री बाबू लाल
६ —श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव
७—श्री राम जय गुप्ता
८—श्री राम सूरत लाल श्रीवास्तव
९—श्री सुभाष चन्द्र
१०—श्री सूरज किरन नाथ
११—श्री दरबारी लाल
१२—श्री सरोज कुमार
१३—श्री विश्व भूषण भटनागर
१४—श्री अंजनी कुमार
१५—श्री मुहम्मद इश्हाक
१६—श्री सुरेश चन्द्र
१७—श्री जग मंदिर दास
१८—श्री कैलाश नाथ
१९—श्री अयोध्या प्रसाद पाल
२०—श्री बिन्देश्वरी प्रसाद

इस क्रमांक के उपरान्त इसी प्रकार ८१ नम्बर तक इस समय प्रतीक्षा बनी हुई है।

प्रतीक्षा लिस्ट (एलेक्ट्रिकल) क्लीनर (ब)

१—श्री सत्यपाल शर्मा
२—श्री सुख बहादुर
३—श्री वीर बहादुर सिंह
४—श्री अब्बू जफर
५—श्री साहब बक्स सिंह
६— श्री बजरंज कुमार श्रीवास्तव
७—श्री मिर्जा असलम हुसेन
८—श्री अरुन कुमार मिश्र
९—श्री राज नारायण सिंह
१०—श्री हरी ओम
११—श्री योगेन्द्र नाथ प्रसाद
१२—श्री राजेन्द्र प्रसाद
१३—श्री अरुन कुमार श्रीवास्तव

प्रतीक्षा सूची (टायर क्लीनर) (स)

१—श्री हरिश चन्द्र
२—श्री भरत लाल
३—श्री लवकुश लाल
४—श्री उदय प्रताप सिंह
५—श्री बिहारी लाल।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४६ पर)

गवर्नमेन्ट यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स् में वित्तीय वर्ष १९६७-६८ व १९६८-६९ की बिक्री तथा व्यय का विवरण।

क्रम सं०	शो रूम का नाम	वर्ष १९६७-६८ बिक्री		वर्ष १९६८-६९ में बिक्री		वर्ष १९६७-६८ में व्यय		वर्ष १९६८-६९ में व्यय	
		रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
१	आगरा	१,३२,८९४.	४२	१,४४,२३९.	७७	४५,४७३.	०९	६४,४९५.	८५
२	कलकत्ता	९२,७४८.	६३	१,१३,८५६.	३६	२४,९६९.	३२	२५,३८०.	०६
३	नागपुर	१,०७,८९३.	९९	१,३१,२१६.	२०	२८,७७९.	४४	२९,६५०.	२०
४	हैदराबाद	२,०१,७८२.	८७	२,४७,३३८.	०५	२८,४९९.	४८	३०,२०३.	६८
५	नई दिल्ली	६०,७२२.	६७	१,७२,९००.	१६	२७,६७३.	९७	२३,३८८.	३०
६	भोपाल	९०,६४३.	५०	१,५७,४७३.	२६	२३,९९१.	२८	२७,१३०.	८३
७	हजरत गंज, लखनऊ	३,४२,८३७.	०२	४,२३,२५१.	५६				
८	अमीना- बाद, लखनऊ	६२,१९९.	०९	१,१७,३६२.	०७				
						३,१८,६७४.	५३	३,८९,४११.	४२
९	ट्राली चारबाग, लखनऊ।	१२,२०८.	६४	२१,००८.	९२				
१०	इलाहा- बाद।	१,१३,९८०.	०१	१,४२,८०३.	४९				

नत्थी 'ड'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर)

मांगें	की गई कार्यवाही
१—नागदा फाइबर मिल के तुरन्त चालू करने का आदेश दिया जावे यदि ऐसा न हो तो सरकार स्वयं मिल को शीघ्राति-शीघ्र चालू करे तथा देश में कच्चा माल बनाने वाली अतिरिक्त मिलों का प्रबन्ध करे।	सरकार को यह जानकारी मिली है कि यह मिल अब चालू हो गई है ।
२—स्टेपुल व सूत के बढ़े हुए दामों को सरकार तुरन्त खत्म करने के आदेश दें तथा किसी भी दशा में ३१ एस० स्टेपुल प्रति पांच किलो का दाम ४० रु० तथा २० एस० सूत का दाम २५ रु० से अधिक न होने दें ।	मांग के आधार पर सूत का भाव घटता बढ़ता रहता है । इसके भाव पर कोई प्रतिबन्ध लगाना केंद्रीय सरकार के अधीन है ।
३—भाव को स्थिर रखने तथा जिले के बुनकरों को आसानी से निर्धारित तथा उचित मूल्य पर माल मिलने के लिये आवश्यक है कि जिले में सरकार तुरन्त स्टेपुल यार्न बनाने वाले मिल का निर्माण करे।	शासन के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत जिला बाराबंकी में स्टेपुल यार्न बनाने वाली फैक्ट्री की स्थापना की जा सके ।
४—सरकार समस्त स्टेपुल तथा सूती यार्न बनाने वालों मिलों का राष्ट्रीयकरण करें ।	स्टेपुल तथा सूती यार्न बनाने वाली मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।
५—हैन्डलूम कपड़े पर दामों की गिरावट रोकने के लिये आवश्यक है कि सरकार निर्यात के प्रतिबन्धों को हटाए तथा हमारे जिले के हैन्डलूम कपड़े का निर्यात स्वयं करें।	निर्यात के प्रतिबन्धों को हटाना केंद्रीय सरकार के अधीन है । राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वयं किसी जिले के हैन्डलूम कपड़े के निर्यात करें ।

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर)

Copy of order no. 134/*III—CRA (RB) dated June* 10, 1969

ORDER

Sri G. Pant, Deputy Collector, Rampur, was appointed as Receiver of Messrs. Raza Buland Sugar Co. Ltd., Rampur, *vide* my order, dated 5th May, 1969, for the recovery of the following items of Government and other dues which are recoverable as arrears of land revenue :

Sl. no.	Nature of dues	Number and date of recovery certificate	Amount involved
			In Rs.
1	Sugarcane purchase tax	12 Karya-Kar-68, dated 31st-October, 1968.	4,99,889.72
2	Arrears of cane price	31st October, 1968 ..	4,01,928.04
3	Ditto ..	No. 1, dated March, 1968 ..	2,74,390.72
4	Ditto ..	No. 198, dated July, 1966 ..	62,00,610.90
5	Ditto ..	No. 46, dated April, 1967 ..	15,38,054.02

The appointment of Sri G. Pant as Receiver of Messrs. Raza Buland Sugar Co. Ltd., Rampur, is hereby cancelled and he will be relieved immediately.

I. S. Ramesh, Collector, Rampur, U. P., in exercise of the powers under sections 146 (i)/182-A(i) (*a*) of the U. P. Land Revenue Act, 1901, read with section 2 of the U. P. Land Revenue Provisions(Extension to Rampur) Act, 1969 (President's Act no. 5 of 1969), do hereby appoint Sri P.C. Jhun-Jhunwala, President, Messrs. Raza Buland Sugar Co. Ltd., Rampur, as Receiver of the said Company, *vice* Sri Pant (for the realisation of the dues mentioned in para 1 of the order) over the assets and business of the said company from the date of his taking over charge as receiver till 31st October, 1969, in the first instance.

The appointment of Sri Jhunjhunwala, as Receiver of the aforesaid company, shall be subject to fulfilment of the following conditions—

(1) That Sri Jhunjhunwala shall immediately pay to the undersigned a sum of Rs. 3,50 lakhs for payment of cane price of 1968-69 season due to the cane growers. The said amount shall be deposited with the Punjab National Bank, Rampur and it will be disbursed to various cane unions according to the instructions issued by the undersigned. The balance of the cane price shall be paid as follows :

(2) That Sri Jhunjhunwala shall arrange that a sum of Rs. 7 per bag of sugar sold and delivered out of 1968-69 seasons production, will be paid by the Punjab National Bank direct to the undersigned for payment of arrears of can price for 1968-69 season. This amount shall be paid by the bank to the undersigned every week. Sri Jhunjhunwala shall furnish a weekly statement of such sales to the undersigned. He will confirm in writing the arrangements made with the bank in this regard. The bank will issued a letter of credit in this connection.

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५८ पर)

विधान सभा के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ८९ के उत्तर में उल्लिखित विवरण :—

उत्तर प्रदेश सहकारी सूत मिल्स लि०, इटावा ने वर्ष १८५९ में २२,८२,०५३ किलोग्राम सूत उत्पादित किया जिसका माहवार विवरण निम्नांकित है —

१—जनवरी, १९६९	..	..	२,१२,५५२
२—फरवरी, १९६९	..	..	१,८७,६५८
३—मार्च, १९६९	..	..	१,८४,०३७
४—अप्रैल, १९६९	..	..	१,९४,०४६
५—मई, १९६९	..	..	१,७७,४३०
६—जन, १९६९	..	..	१,९२,९७६
७—जुलाई, १९६९	..	..	२,०२,४६८
८—अगस्त, १९६९	..	..	१,८५,०१३
९—सितम्बर, १९६९	..	..	१,८९,०१०
१०—अक्तूबर, १९६९	..	..	१,९०,०२४
११—नवम्बर, १९६९	..	..	१,६९,०७०
१२—दिसम्बर, १९६९	..	..	१,९७,७६९

हिस्सेदार सहकारी समितियों को दिये गये तथा बाजार में बेचे गये सूत का माहवार विवरण—

	हिस्सेदार सहकारी समितियों को आबंटित सूत		बाजार में बेचा गया सूत	
	गाठें	थैले	गाठें	थैले
१—जनवरी, १९६९	२०१	९००	७२५	१३००
२—फरवरी, १९६९	३८६	५७८	६५०	५५०
३—मार्च, १९६९	१५२	२५०	४५०	१००
४—अप्रैल, १९६९	२४८	१००८	४००	८००
५—मई, १९६९	१५५	३०	—	—
६—जून, १९६९	२२४	३५०	११२२	१०००
७—जुलाई, १९६९	४३४	५००	७५०	११५०
८—अगस्त, १९६९	२८६	४००	६२६	१६००
९—सितम्बर, १९६९	२२६	१०६	३००	६००
१०—अक्तूबर, १९६९	२७८	४६०	८८७	७५०
११—नवम्बर, १९६९	९८	२५०	—	९००
१२—दिसम्बर, १९६९	२६१	५५०	७५०	१०००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११ एल० ए०—१९७०—८४५ । (प्रो०)